



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2024-25



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2024—25

छत्तीसगढ़ शासन

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या	
प्रस्तावना	1	
विनियोग लेखे का सार	2-15	
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	17-19	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
(.)	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (<i>भारित विनियोग</i>)	21-26
(..)	लोक ऋण (<i>भारित विनियोग</i>)	27-28
01	सामान्य प्रशासन	29-33
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	34-35
03	पुलिस	36-41
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	42-44
05	जेल	45-46
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	47-51
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	52-55
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	56-59
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	60-61
10	वन	62-71
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	72-76
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	77-80
13	कृषि	81-93
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	94-97
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	98-100
16	मछली पालन	101-102
17	सहकारिता	103-104

18	श्रम	105–107
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	108–117
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	118–123
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	124–128
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	129
23	जल संसाधन विभाग	130–140
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	141–149
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	150–152
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	153–155
27	स्कूल शिक्षा	156–164
28	राज्य विधान मंडल	165–166
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	167–171
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	172–177
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	178–179
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	180–181
33	आदिम जाति कल्याण	182–185
34	समाज कल्याण	186–188
35	पुनर्वास	189
36	परिवहन	190–192
37	पर्यटन	193–195
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	196–199
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	200–247
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	248–252
43	खेल और युवक कल्याण	253–255
44	उच्च शिक्षा	256–259

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	260–262
46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	263–264
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	265–269
49	अनुसूचित जाति कल्याण	270
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	271
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	272–273
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	274
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	275–277
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	278–285
56	ग्रामोद्योग	286–287
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	288–289
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	290–296
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	297
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	298–331
65	विमानन विभाग	332–333
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	334–336
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	337–347
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	348–350
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	351–358
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	359–362
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	363–366
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	367–368
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	369–374
80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	375–379
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	380–383
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	384–386
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	387

परिशिष्ट

	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-I 2024-25 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।	391
परिशिष्ट-II अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	392-395

प्रस्तावना

वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजन, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
- प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

बचत के मामले में, टिप्पणी की जा सकती है यदि:-

- (i) कुल प्रावधान के 2% से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (ii) ₹ 10 करोड़ से कम के अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (iii) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (iv) ₹ 30 करोड़ से अधिक के अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

आधिक्य के मामले में, टिप्पणी की जा सकती है यदि:-

- (i) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में समग्र आधिक्य (कोई भी राशि) है, ऐसे आधिक्य व्यय के नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (ii) ₹ 10 करोड़ से कम के अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (iii) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य के अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (iv) ₹ 30 करोड़ से अधिक के अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
** (.) ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	86,79,55,14	..
** (..) लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	..	93,60,43,63
01 सामान्य प्रशासन		
दत्तमत	4,56,20,66	57,80,61
प्रभारित	49,52,38	98,00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	1,18,39,79	8,50
03 पुलिस		
दत्तमत	70,35,18,14	9,86,22,42
प्रभारित	1,26,00	..
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	1,23,51,27	23,08,00
05 जेल		
दत्तमत	2,35,22,07	35,19,73
प्रभारित	10	..
06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय		
दत्तमत	1,01,88,71,10	6,22,61
प्रभारित	1,95,91	..
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,09,40,93	36,23,51
प्रभारित	80,17,05	..
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन		
दत्तमत	18,26,50,69	2,58,46,00
प्रभारित	15,26	..
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	26,29,22	3,94,00
प्रभारित	10	..

** राज्य शासन द्वारा कोई भी मांग संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है।

का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
87,06,62,43	27,07,29	..
				(27,07,29,081)	
..	1,08,70,66,58	15,10,22,95
					(15,10,22,95,375)
3,40,99,28	30,14,78	1,15,21,38	27,65,83
37,89,23	69,66	11,63,15	28,34
76,87,95	6,99	41,51,84	1,51
58,82,39,01	8,48,32,01	11,52,79,13	1,37,90,41
1,32,86	6,86	..
				(6,85,618)	
88,67,76	13,05,63	34,83,51	10,02,37
1,80,66,67	89,02	54,55,40	34,30,71
..	..	10
91,34,12,02	13,25	10,54,59,08	6,09,36
3,16,93	1,21,02	..
				(1,21,02,007)	
2,78,95,58	30,68,73	1,30,45,35	5,54,78
70,00,35	..	10,16,70
14,33,12,59	1,08,53,86	3,93,38,10	1,49,92,14
..	..	15,26
7,49,41	13,96	18,79,81	3,80,04
..	..	10

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
10 वन		
दत्तमत	27,88,01,99	1,18,80,65
प्रभारित	5,41,86	..
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	5,89,28,09	4,65,97,62
प्रभारित	5,15	1,00
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	51,27,74,45	6,26,56,14
प्रभारित	3,40,00,00	..
13 कृषि		
दत्तमत	79,53,34,77	44,50,80
प्रभारित	54,50	..
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	5,29,67,08	8,44,50
प्रभारित	63,00	..
15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	2,06,30,84	31,00,01
16 मछली पालन		
दत्तमत	1,00,18,49	6,01,00
प्रभारित	20	..
17 सहकारिता		
दत्तमत	2,26,98,56	36,67,01
प्रभारित	15	..
18 श्रम		
दत्तमत	2,42,27,23	1,08,50
प्रभारित	10	..
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	53,10,62,25	1,78,77,87
प्रभारित	1,44,78	..
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	3,36,47,74	23,51,49,12
प्रभारित	97,13	..
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,62,91,56	27,73,49,86

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
18,18,19,94	7,42,17	9,69,82,05	1,11,38,48
1,34,68	..	4,07,18
5,20,83,76	4,12,26,28	68,44,33	53,71,34
..	..	5,15	1,00
50,80,84,66	3,15,54,00	46,89,79	3,11,02,14
3,40,00,00
73,70,37,21	11,19,63	5,82,97,56	33,31,17
48,51	..	5,99
4,59,28,28	4,50,68	70,38,80	3,93,82
52,11	..	10,89
1,31,78,82	30,99,82	74,52,02	19
74,39,51	92,43	25,78,98	5,08,57
..	..	20
1,57,22,03	18,00,00	69,76,53	18,67,01
..	..	15
1,70,36,40	84,01	71,90,83	24,49
..	..	10
39,62,69,44	1,36,30,59	13,47,92,81	42,47,28
87,05	..	57,73
2,65,71,76	16,84,96,00	70,75,98	6,66,53,12
99,25	2,12	..
				(2,11,720)	..
2,13,95,11	27,38,78,62	48,96,45	34,71,24

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय		
दत्तमत	44,04,60	..
प्रभारित	5	..
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	7,08,80,78	7,71,25,80
प्रभारित	1,10	1,50,00
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	11,98,33,96	35,23,85,07
प्रभारित	..	20,50,00
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	7,12,93,60	6,30,25,13
प्रभारित	20,00	..
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	78,89,88	12,32,00
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	73,83,71,07	47,49,60
प्रभारित	15,95,00	..
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	86,56,18	1,00,00
प्रभारित	1,18,00	..
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	9,53,46,75	13,03,39
प्रभारित	1,48,02,02	1,74,50
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	71,26,52,97	7,95,19,24
प्रभारित	28,00	..
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	72,50,09	35,00
प्रभारित	40	..
32 जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,72,83,20	1,04,00
प्रभारित	10	..
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	72,76,45,76	18,63,00
प्रभारित	34,00	..

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
38,56,25	..	5,48,35
..	..	5
5,33,91,75	5,36,56,80	1,74,89,03	2,34,69,00
..	70,34	1,10	79,66
8,56,91,65	29,67,98,59	3,41,42,31	5,55,86,48
..	8,72,54	..	11,77,46
47,57,16	4,28,94,14	6,65,36,44	2,01,30,99
19,39	..	61
61,40,95	18,10	17,48,93	12,13,90
65,87,96,68	36,53,87	7,95,74,39	10,95,73
15,72,64	..	22,36
68,66,97	99,38	17,89,21	62
19,69	..	98,31
8,71,72,02	2,25,92	81,74,73	10,77,47
1,16,65,15	1,59,36	31,36,87	15,14
53,02,19,91	4,48,79,93	18,24,33,06	3,46,39,31
9,00	..	19,00
50,71,92	6,42	21,78,17	28,58
..	..	40
4,66,16,65	88,80	6,66,55	15,20
..	..	10
65,43,63,92	14,46,54	7,32,81,84	4,16,46
..	..	34,00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	1,27,81,66	6,43,11
प्रभारित	40	..
35 पुनर्वास		
दत्तमत	2,71,10	4,30
36 परिवहन		
दत्तमत	1,95,87,60	24,12,60
प्रभारित	1,70,00	..
37 पर्यटन		
दत्तमत	98,19,40	2,17,35,00
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	48,14,44,38	18,28,00
प्रभारित	50	..
41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना		
दत्तमत	3,34,14,57,06	54,77,80,61
प्रभारित	10	1,10,00
42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	..	24,36,65,05
प्रभारित	..	95,00
43 खेल और युवक कल्याण		
दत्तमत	72,27,67	5,87,50
प्रभारित	30	..
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	10,38,23,42	12,22,50
प्रभारित	1,10	..
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	90,98,80	7,47,21,10
प्रभारित	..	2,00
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	19,70,00	77,31,00
47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग		
दत्तमत	4,18,76,50	26,46,62
प्रभारित	20	..
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	2,85,90	..

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,08,59,15	5,46,43	19,22,51	96,68
..	..	40
87,41	..	1,83,69	4,30
1,50,86,60	10,63,58	45,01,00	13,49,02
4,92	..	1,65,08
58,96,05	1,25,87,56	39,23,35	91,47,44
45,98,61,10	1,02,37	2,15,83,28	17,25,63
..	..	50
2,83,92,86,87	33,76,26,65	50,21,70,19	21,01,53,96
..	89,92	10	20,08
..	19,44,54,67	..	4,92,10,38
..	95,00
41,24,14	5,09,77	31,03,53	77,73
..	..	30
8,79,32,72	3,14,44	1,58,90,70	9,08,06
..	..	1,10
78,89,81	7,08,03,95	12,08,99	39,17,15
..	2,00
13,21,48	42,42,27	6,48,52	34,88,73
3,03,71,43	15,24,86	1,15,05,07	11,21,76
..	..	20
1,00,77	..	1,85,13

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
50 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत	4,49,35	..
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व दत्तमत	19,20,00	30,00,00
53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	25,79,28	1,55,00,11
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय दत्तमत	3,37,49,10	83,34,10
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय दत्तमत	52,96,04,35	61,71,43
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	..
56 ग्रामोद्योग दत्तमत	1,29,94,44	1,07,60,80
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं दत्तमत	..	57,00,00
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय दत्तमत	12,52,68,73	1,80,70,00
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय दत्तमत	53,00	2,08,00,00
64 अनुसूचित जाति उपयोजना— दत्तमत	1,03,61,48,26	20,77,64,87
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	..
65 विमानन विभाग दत्तमत	1,65,18,06	66,80,30
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	..
66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण दत्तमत	2,80,42,32	27,49,00
67 लोक निर्माण कार्य—भवन दत्तमत	8,59,13,44	10,31,70,35
<i>प्रभारित</i>	<i>1,58,00</i>	..
68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन दत्तमत	..	2,92,31,70

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
2,01,44	..	2,47,91
13,37,92	46,06	5,82,08	29,53,94
20,36,68	1,55,00,00	5,42,60	11
2,76,81,34	45,21,75	60,67,76	38,12,35
50,11,36,81	17,40,41	2,84,67,54	44,31,02
5,00	4,90 (4,90,000)	..
1,07,46,82	1,00,55,62	22,47,62	7,05,18
..	7,03,82	..	49,96,18
10,04,07,05	24,75	2,48,61,68	1,80,45,25
16,67	2,02,80,95	36,33	5,19,05
89,17,36,05	13,29,85,14	14,44,12,21	7,47,79,73
..	..	10
1,55,63,94	37,28,72	9,54,12	29,51,58
..	..	10
2,06,43,71	13,24,94	73,98,61	14,24,06
7,16,27,83	3,34,08,34	1,42,85,61	6,97,62,01
1,48,55	..	9,45
..	39,95,74	..	2,52,35,96

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण दत्तमत	15,57,18,52	5,79,51,00
71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दत्तमत	1,86,25,94	81,00,01
75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं दत्तमत	..	3,53,01,00
76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं दत्तमत	..	5,75,62,32
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय दत्तमत	14,85,62,22	3,08,23,90
	<i>प्रभारित</i>	2,20
80 त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	40,08,30,51	1,16,50,01
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	23,50,13,72	7,86,10,22
	<i>प्रभारित</i>	1,00,00,00
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	4,35,27,93	77,50,01
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	60,93,52	1,55,00,11
योग दत्तमत:	13,93,20,91,95	3,03,26,09,32
योग प्रभारित :	94,31,00,58	93,87,24,13
महायोग:	14,87,51,92,53	3,97,13,33,45

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
7,36,25,97	2,18,32,42	8,20,92,55	3,61,18,58
88,91,26	4,78,00	97,34,68	76,22,01
..	2,46,97,21	..	1,06,03,79
..	3,41,14,88	..	2,34,47,44
10,22,55,90	2,79,08,01	4,63,06,32	29,15,89
..	..	2,20
36,37,35,98	1,16,48,64	3,70,94,53	1,37
18,37,62,79	7,75,00,00	5,12,50,93	11,10,22
1,00,00,00
3,40,90,36	77,49,64	94,37,57	37
56,14,66	1,55,00,00	4,78,86	11
11,78,57,73,49	2,15,66,62,57	2,14,63,18,46	87,59,46,75
93,97,67,72	1,08,83,28,40	61,75,04	14,18,68	28,42,18	15,10,22,95
12,72,55,41,21	3,24,49,90,97	2,15,24,93,50	87,73,65,43	28,42,18	15,10,22,95

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग	आधिक्य व्यय (₹ हजार में)
प्रभारित—विनियोग		
(.) ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारित विनियोग)	राजस्व	27,07,29
(..) लोक ऋण (भारित विनियोग)	पूंजीगत	15,10,22,95
03 पुलिस	राजस्व	6,86
06 वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	1,21,02
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	2,12
55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	4,90

वर्ष 2024-25 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों में से किए गए ₹ 37,41,15 हजार का व्यय सम्मिलित नहीं है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं की गई है। अप्रतिपूर्ति निधि का विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं, जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	11,78,57,73,49	93,97,67,72	2,15,66,62,57	1,08,83,28,40
घटाइये—वसूलियों का जोड़	18,65,59,24	..	12,03,06,64	..
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11— में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	11,59,92,14,25	93,97,67,72	2,03,63,55,93	1,08,83,28,40

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से आधिक्य व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :—
प्रभारित विनियोग :—

राजस्व :— ब्याज की अदायगी और ऋण सेवाएं, 03 06, 20, 55

पूँजीगत:— लोक ऋण

कुल:— 06 मांग संख्याएं

प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:—

(क) दत्तमत अनुदान:—

- (i) राजस्व :—अनुदान संख्या— 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 81, एवं 82
- (ii) पूँजीगत :—अनुदान संख्या— 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, एवं 76

(ख) प्रभारित विनियोग :—

- (i) राजस्व:— अनुदान संख्या— 01, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 64, 65, एवं 79
- (ii) पूँजीगत:— अनुदान संख्या—01, 11, 23, 24, 41, 42 एवं 45

लोक लेखा समिति द्वारा उप शीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेन देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र कार्यालय है।

मामले का महत्व

में,

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान छः विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 1,538.65 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000-01 से 2023-24 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 39,295.20 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है।

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण एवं
मांग संख्या 03, 06, 20 एवं 55 का संदर्भ]

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 29 दिसम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
प्रभारित-			
मूल	75,11,15,13		
पूरक	11,68,40,01	86,79,55,14	87,06,62,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(+)27,07,29

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

प्रभारित-

(i) भारत विनियोग पर हुए ₹ 27,07,29,081 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल.	42,680.00	42,680.00	0.00
			(-)42,680.00
(2) 2049-01-101-6458-5.40 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024-			
मूल.	7,020.00	7,020.00	3,510.00
			(-)3,510.00
(3) 2049-01-101-7597-9.22 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024-			
मूल	4,610.00	4,610.00	2,305.00
			(-)2,305.00
(4) 2049-01-101-7598-8.98 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024-			
मूल.	2,245.00	2,245.00	1,122.50
			(-)1,122.50

₹ 42,680.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2005-06 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

₹ 3,510.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

₹ 2,305.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

₹ 1,122.50 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-01-101-7599-9.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024— मूल. 6,773.00	6,773.00	3,386.25	(-)3,386.75
₹ 3,386.75 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2049-01-101-7758-‘उदय योजना’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान— मूल. 10,000.00	10,000.00	5,206.80	(-)4,793.20
₹ 4,793.20 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज— मूल. 35,000.00	35,000.00	24,017.56	(-)10,982.44
₹ 10,982.44 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज— मूल. 500.00	500.00	0.00	(-)500.00
₹ 500.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2005-06 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज— मूल. 32,000.00	32,000.00	25,109.36	(-)6,890.64
₹ 6,890.64 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों को प्रबंध— मूल. 500.00	500.00	99.77	(-)400.23
₹ 400.23 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(11) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज— मूल. 5,103.00	5,103.00	3,082.53	(-)2,020.47
₹ 2,020.47 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज- मूल. 56,500.00	56,500.00	49,826.65	(-)6,673.35
₹ 6,673.35 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2049-03-108-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना- (बचत निधि पर ब्याज)- मूल. 3,800.00	3,800.00	3,177.16	(-)622.84
₹ 622.84 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(14) 2049-03-108-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज- मूल. 650.00	650.00	0.00	(-)650.00
₹ 650.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(15) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज- मूल. 7,022.81	7,022.81	7.46	(-)7,015.35
₹ 7,015.35 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-6444-7.11 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण मूल. 7,110.00	7,110.00	10,665.00	(+)3,555.00
₹ 35,55,00,002 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(2) 2049-01-101-6600-6.94 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029 मूल 6,940.00 पूरक. 1,785.00	8,725.00	10,410.00	(+)1,685.00
₹ 16,85,00,000 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2049-01-101-7080-7.67 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033 मूल.	7,670.00	7,670.00	11,505.00 (+)3,835.00
₹ 38,35,00,007 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(4) 2049-01-101-7123-7.51 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032 पूरक.	3,857.50	3,857.50	7,510.00 (+)3,652.50
₹ 36,52,49,906 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 2049-01-101-7124-7.49 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029 पूरक	3,715.00	3,715.00	7,430.00 (+)3,715.00
₹ 37,14,99,902 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2049-01-101-7125-7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031 पूरक.	3,730.00	3,730.00	7,460.00 (+)3,730.00
₹ 37,29,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(7) 2049-01-101-7126-7.46 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033 पूरक.	3,730.00	3,730.00	11,190.00 (+)7,460.00
₹ 74,59,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(8) 2049-01-101-7127-7.44 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030 पूरक.	3,720.00	3,720.00	7,440.00 (+)3,720.00
₹ 37,19,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(9) 2049-01-101-7128-7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2029 पूरक.	3,720.00	3,720.00	7,440.00 (+)3,720.00
₹ 37,19,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(10) 2049-01-101-7129-7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2030 पूरक.	3,735.00	3,735.00	7,470.00 (+)3,735.00
₹ 37,34,99,902 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2049-01-101-7130-7.47 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2031 पूरक. 3,735.00	3,735.00	7,470.00	(+)3,735.00
₹ 37,34,99,904 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(12) 2049-01-101-7131-7.48 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032 पूरक. 3,740.00	3,740.00	7,480.00	(+)3,740.00
₹ 37,39,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(13) 2049-01-101-7132-7.45 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033 पूरक. 3,725.00	3,725.00	7,450.00	(+)3,725.00
₹ 37,24,99,904 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(14) 2049-01-101-7133-7.39 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2033 पूरक. 3,695.00	3,695.00	7,390.00	(+)3,695.00
₹ 36,94,99,906 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(15) 2049-01-101-7134-7.38 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2032 पूरक. 3,690.00	3,690.00	7,380.00	(+)3,690.00
₹ 36,89,99,900 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(16) 2049-01-200-7022-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से लिए गये ऋणों पर ब्याज भुगतान- मूल 100.00	100.00	436.83	(+)336.83
₹ 3,36,82,574 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(17) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय मूल 1,500.00	1,500.00	2,331.06	(+)831.06
₹ 8,31,05,926 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(18) 2049-03-104-6689-छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज मूल. 5,000.00	5,000.00	27,204.29	(+)22,204.29
₹ 2,22,04,29,135 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2049-03-108-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज) मूल 2,800.00	2,800.00	3,007.73	(+)207.73
₹ 2,07,73,000 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(20) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज मूल 13,608.00	13,608.00	29,149.94	(+)15,541.94
₹ 1,55,41,94,216 का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता का पूर्ण आकलन नहीं किया जाना दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
राजस्व:			
मूल	93,60,43,63		
पूरक	..	93,60,43,63	1,08,70,66,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(+)15,10,22,95 33,46,73

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) भारत विनियोग पर हुए ₹ 15,10,22,95,375 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 1,51,022.96 के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 3,346.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण विनियोग अनुमानित व्यय के अनुसार व्यय नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण विनियोग अनुमानित व्यय के अनुसार व्यय नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ-			
मूल	46,000.00		
पुनर्वि.	(-)412.47	45,587.53	45,587.53

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 412.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 6004-02-101-6718-बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण-			
मूल	9,326.13		
पुनर्वि.	(-)6,519.35	2,806.78	99.46
			(-)2,707.32

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,593.11 लाख की कमी अनुमानित व्यय के अनुसार व्यय नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,926.24 लाख की कमी होने के संयुक्त प्रभाव से विनियोग में ₹ 6,519.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण निधि से कर्जे-			
मूल	98,000.00		
पुनर्वि.	2,259.12	1,00,259.12	1,00,259.12
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 2,259.12 लाख का आवर्धन अनुमानित व्यय के अनुसार व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 6003-112-6471-विशेष आहरण सुविधा-			
मूल.	1,000.00	1,000.00	1,58,077.00
			(+)1,57,077.00

₹ 1,57,077.00 लाख का आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट विनियोग के समय निधि की आवश्यकता के अनुचित आकलन को दर्शाता है। अत्यधिक आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे-			
मूल	13,000.00		
पुनर्वि.	11,327.22	24,327.22	24,327.22
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 11,327.22 लाख का आवर्धन अनुमानित व्यय के अनुसार व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2062—सतर्कता			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	4,22,67,70		
पूरक	33,52,96	4,56,20,66	3,40,99,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,15,21,38 1,17,21,96
प्रभारित—			
मूल	47,73,88		
पूरक	1,78,50	49,52,38	37,89,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11,63,15 11,94,09
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	52,72,11		
पूरक	5,08,50	57,80,61	30,14,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)27,65,83 69,98
प्रभारित—			
मूल	98,00		
पूरक	..	98,00	69,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)28,34 28,34
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान संख्या 01—जारी

राजस्व:
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 856.00 लाख), दिसम्बर 2024 (सांकेतिक ₹200) एवं मार्च 2025 (₹ 2,496.95 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,352.96 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 11,521.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 11,721.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-101-3282-मंत्रियों का वेतन—			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)106.17	73.83	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.17 लाख की कमी भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2013-102-3282-मंत्रियों का वेतन—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)277.69	222.31	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 277.69 लाख की कमी भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैकेकिक अनुदान—			
मूल	7,800.00		
पुनर्वि.	(-)3,658.75	4,141.25	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,658.75 लाख की कमी माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रियों से स्वैच्छिक अनुदान के रूप में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	8,418.50		
पूरक	110.00		
पुनर्वि.	(-)1,240.07	7,288.43	(-)0.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,240.07 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल नहीं मिलने, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निधियों की मांग न करने एवं व्यय में मितव्ययता अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2052-090-4327-सचिवालय—			
मूल	10,354.52		
पूरक	244.01		
पुनर्वि.	(-)1,640.93	8,957.60	(+)187.26

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 244.01 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,640.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सहित अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2052-090-6697—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)75.00	50.00	18.56
			(-)31.44
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.00 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(7) 2052-090-7172—ई—कार्यालय—			
पूरक	1,781.95		
पुनर्वि.	(-)697.29	1,084.66	1,084.65
			(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 697.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(8) 2052-091-458—आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय—			
मूल	2,006.44		
पूरक	634.00		
पुनर्वि.	(-)657.28	1,983.16	1,993.11
			(+)9.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 657.28 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अनियमित नियुक्तियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आधिकारिक दौरों में कमी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न होना, आवश्यकतानुसार हाउसकीपिंग और रखरखाव कर्मचारियों की नियुक्ति, वाहनों के उचित रखरखाव के कारण मरम्मत की आवश्यकता में कमी, भवनों पर मरम्मत कार्य की कम आवश्यकता, अनुमान से कम राशि पर वाहनों की उपलब्धता, समय-समय पर चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण दिल्ली में मेहमानों के ठहरने में कमी एवं व्यय में मितव्ययिता अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(9) 2055-101-4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	1,733.20		
पूरक	8.00		
पुनर्वि.	(-)468.06	1,273.14	1,271.92
			(-)1.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 468.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं व्यय में मितव्ययिता अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(10) 2055-101-5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	1,320.10		
पुनर्वि.	(-)422.35	897.75	897.80
			(+)0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 422.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययिता उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(11) 2062-104-5405—लोक आयोग—			
मूल	662.30		
पुनर्वि.	(-)192.40	469.90	471.20
			(+)1.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.40 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार एवं निधि की मांग अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2070-003-5435-प्रशासन अकादमी—			
मूल	1,219.87		
पूरक	55.00		
पुनर्वि.	(-)443.18	831.69	826.62
			(-)5.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 443.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं चुनावी वर्ष के कारण प्रशिक्षण में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(13) 2251-090-4329-सचिवालय—			
मूल	2,762.40		
पुनर्वि.	(-)615.45	2,146.95	2,139.81
			(-)7.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 615.45 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(14) 3451-090-4327-सचिवालय—			
मूल	2,684.20		
पुनर्वि.	(-)642.95	2,041.25	2,127.38
			(+)86.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 642.95 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

राजस्व:

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 33.00 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 62.50 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 83.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 178.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) ₹ 1,163.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 1,194.09 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय—			
मूल	931.17		
पूरक	22.50		
पुनर्वि.	(-)335.62	618.05	618.80
			(+)0.75

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 335.62 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन न होने एवं वाहनों की मरम्मत की आवश्यकता न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2012-03-103-9059-घरेलु कर्मचारी (भारित)—

मूल	625.60		
पूरक	136.00		
पुनर्वि.	(-)161.14	600.46	601.22
			(+)0.76

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 161.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं राज्य स्थापना दिवस का आयोजन न होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-			
मूल	2,982.80		
पुनर्वि.	(-)642.07	2,340.73	(-)0.48

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 642.07 लाख की कमी सीधी भर्ती एवं पदोन्नति पदों की रिक्तियां, आवश्यकता अनुसार व्यय, डाक एवं तार संबंधी सामग्री की खरीद न होना एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूजीगत :

दत्तमत-

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया कुल ₹508.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(viii) ₹ 2,765.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 69.98 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7862-मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रतिपूर्ति			
मूल	5,000.00	5,000.00	(-)2,665.48

₹2,665.48 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	74,09,79		
पूरक	44,30,00	1,18,39,79	76,87,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)41,51,84 10,65,59
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	8,50		
पूरक	..	8,50	6,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,51 51
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 38,58,97 हजार सम्मिलित है जिसको अप्रैल 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹4,151.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,065.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजट प्रबंधन का द्योतक है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-090-6452-मुख्यमंत्री अद्योसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण—			
मूल	5,000.00	5,000.00	2,027.73
			(-)2,972.27
₹2,972.27 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। अत्याधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2052-092-6513-मानवाधिकार आयोग—			
मूल	482.75		
पुनर्वि.	(-)181.37	301.38	301.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 181.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			0.00

अनुदान संख्या 02—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग-			
मूल	920.93		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	(-)472.92	478.01	477.64
			(-)0.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 374.58 लाख की कमी स्थायी कर्मियों की संख्या कम होने, संविदा एवं दैनिक वेतन दरों पर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2070-105-5079-विशेष जांच आयोग-				
मूल	95.00			
पुनर्वि.	(-)64.22	30.78	23.65	(-)7.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹64.22 लाख की कमी निधि के लिए मांग न किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता				
मूल	525.00	525.00	375.82	(-)149.18

₹ 149.18 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2235-60-800-7297-लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि-				
पूरक	4,200.00			
पुनर्वि.	(-)270.45	3,929.55	4,033.50	(+)103.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.45 लाख की कमी निधि की आवश्यकता न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :

(iii) ₹1.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 0.51 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज अदायगियां			
2055—पुलिस			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	70,27,07,14		
पूरक	8,11,00	70,35,18,14	58,84,34,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11,50,83,90 10,96,34,83
प्रभारित—			
मूल	1,26,00		
पूरक	..	1,26,00	1,32,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(+)6,86 6,00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	4,09,66,16		
पूरक	5,76,56,26	9,86,22,42	8,48,32,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,37,90,41 1,37,90,40
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 37,41,15 हजार सम्मिलित नहीं है जिसको मार्च 2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा प्रतिपूरित नहीं किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 805.00 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 6.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 811.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,15,083.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,09,634.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2055—001—3680—राज्य			
मुख्यालय—			
मूल	13,046.15		
पुनर्वि.	(-)1,922.59	11,123.56	11,163.95
			(+)40.39

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹550.00 लाख की वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹2,472.59 लाख की कमी रिक्त पदों की भर्ती नही किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारणों के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹1,922.59 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2055-001-7811—डायल 100/112— मूल 14,701.00 पुनर्वि. (-)9,548.57	5,152.43	5,152.44	(+)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,348.57 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,548.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2055-003-195—अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं— मूल 6,889.11 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)1,779.09	5,210.02	5,156.99	(-)53.03
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 100.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,779.09 लाख की कमी रिक्त पदों की भर्ती नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2055-101-279—अभियोजन संचालनालय— मूल 4,045.50 पुनर्वि. (-)528.62	3,516.88	3,517.68	(+)0.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 528.62 लाख की कमी रिक्त पदों की भर्ती नहीं किए जाने, क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, सरकार से व्यय हेतु ₹ 68.00 लाख की स्वीकृति न मिलने, प्रशिक्षण कार्यक्रम न चलाए जाने एवं सभी नए वाहनों के कारण वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2055-101-4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)— पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2055-101-7633—क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम— मूल 2,512.00 पुनर्वि. (-)1,472.44	1,039.56	1,039.57	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,472.44 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2055-104-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7936—विशेष अधोसंरचना योजना सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण के साथ— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)799.51	2,800.49	2,800.49	0.00

अनुदान संख्या 03—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 799.51 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

- (8) 2055—104—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—
7936—विशेष अधोसंरचना योजना
सुदृढ़ पुलिस थानों के
निर्माण के साथ—

मूल	2,400.00			
पुनर्वि.	(-)363.40	2,036.60	2,036.60	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 363.40 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (9) 2055—104—4492—सामान्य व्यय
(विशेष पुलिस)—

मूल	1,99,849.85			
पुनर्वि.	(-)19,528.93	1,80,320.92	1,78,492.50	(-)1,828.42

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 19,429.93 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 19,528.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016—17 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

- (10) 2055—108—5067—विधि चिकित्सा
विज्ञान—

मूल	2,742.60			
पूरक	45.00			
पुनर्वि.	(-)578.16	2,209.44	2,219.45	(+)10.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 578.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

- (11) 2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस
बल तैनाती—

मूल	1,100.00			
पुनर्वि.	(-)1,100.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

- (12) 2055—109—4491—सामान्य व्यय—
(जिला स्थापना)—

मूल	3,48,644.62			
पूरक	60.00			
पुनर्वि.	(-)49,162.47	2,99,542.15	2,97,076.28	(-)2,465.87

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 60.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 349.00 लाख की वृद्धि पिछले दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 49,511.47 लाख की कमी उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती के परिणाम में देरी एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 49,162.47 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015—16 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय—			
मूल	25,956.50		
पुनर्वि.	(-)3,399.35	22,557.15	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि पिछले दायित्वों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,995.35 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,399.35 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(14) 2055-109-8333-सड़क सुरक्षा कोष से व्यय—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	1,000.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग (रेलवे पुलिस-पूर्वी विभाग)—			
मूल	5,217.91		
पुनर्वि.	(-)1,530.39	3,687.52	(-)37.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,530.39 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(16) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र रायपुर—			
मूल	9,642.21		
पुनर्वि.	(-)4,305.60	5,336.61	(-)44.10
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,105.60 लाख की एक और कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,305.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2055-115-0600-विशेष केन्द्रीय सहायता— 7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता—			
मूल	24,000.00		
पुनर्वि.	(-)0.01	23,999.99	(-)1,144.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.01 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2055-115-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण—			
मूल	1,500.01		
पुनर्वि.	(-)605.02	894.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 605.02 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2055—115—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)730.51	269.49	269.49	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 730.51 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2070—107—492—आवाहन पर होने वाला व्यय— मूल 25,133.00 पुनर्वि. (-)8,307.81	16,825.19	16,827.78	(+)2.59
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,307.81 लाख की कमी होमगार्ड के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किये जाने, रेल वॉरंट के देयक प्राप्त नहीं होने, शासन से प्रशिक्षण कोटा नहीं मिलने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(21) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 3,706.47 पुनर्वि. (-)2,194.96	1,511.51	1,565.70	(+)54.19
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,194.96 लाख की कमी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किये जाने, विभागीय कार्यालय की उपलब्धता होने, अनुकंपा भत्ते की प्राप्ति नहीं होने एवं जिलों से निधि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

राजस्व:

प्रभारित—

(iv) भारत विनियोग पर हुए ₹ 6,85,618 के अधिक व्यय का नियमितिकरण आवश्यक है।

(v) ₹ 6.86 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 6.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 13,790.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹13,790.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 4055—207—4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)— मूल 3,254.00 पूरक 5,467.91 पुनर्वि. (-)2,366.28	6,355.63	6,355.63	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,366.28 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4055-208-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस-			
मूल	24,260.00		
पूरक	111.35		
पुनर्वि	(-)9,266.27	15,105.08	15,105.08
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,266.27 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 4055-208-4155-बेतार केन्द्र रायपुर-			
मूल	302.00		
पुनर्वि	(-)137.06	164.94	164.94
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.06 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4055-211-2629-पुलिस-			
मूल	3,707.00		
पूरक	50,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,710.00	51,997.00	51,997.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,710.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,10,47,27		
पूरक	13,04,00	1,23,51,27	88,67,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)34,83,51 39,89,30
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	21,20,00		
पूरक	1,88,00	23,08,00	13,05,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10,02,37 10,02,37

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 1,304.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,483.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 3,989.30 लाख का समर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2070-108-7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं—			
मूल	226.25		
पुनर्वि.	(-)162.84	63.41	63.44
			(+)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं दावा प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2070-108-7716—क्षेत्रीय कार्यालय, आग नियंत्रण
एवं आपातकालीन सेवाएं—

मूल	3,848.00		
पुनर्वि.	(-)2,665.96	1,182.04	1,218.74
			(+)36.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,665.96 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2070—108—7717—प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं—			
मूल	173.32		
पुनर्वि.	(-)111.70	61.62	61.35
			(-)0.27

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.70 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं शासन से खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2070—108—7718—आपातकालीन सेवाएं—			
मूल	1,233.75		
पुनर्वि.	(-)456.22	777.53	779.89
			(+)2.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 456.22 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वाहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)193.77	606.23	508.13
			(-)98.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.77 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013—800—9261—अन्य व्यय—			
मूल	208.00		
पुनर्वि.	200.00	408.00	408.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 210.00 लाख की वृद्धि मुख्यमंत्री आवास में सजावट कार्य हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी निधि की मांग नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 340.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(2) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान—			
मूल	500.00		
पूरक	(-)214.58	285.42	882.25
			(+)596.83

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 104.58 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 214.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया कुल ₹ 188.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4070—800—7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं—			
मूल	1,970.00		
पुनर्वि.	(-)888.21	1,081.79	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 888.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2024)। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,35,22,07		
पूरक	..	2,35,22,07	1,80,66,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)54,55,40 54,52,63
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	3,53,90		
पूरक	31,65,83	35,19,73	89,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)34,30,71 34,30,71
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 5,455.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 5,452.63 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2056-001-2272-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	641.75		
पुनर्वि.	(-)257.75	384.00	383.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.75 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			(-)0.07
(2) 2056-101-938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	22,130.32		
पुनर्वि.	(-)4,832.97	17,297.35	17,294.65
			(-)2.70

अनुदान संख्या 05—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,832.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने, अनुबंध के लिए शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं होने, वर्दी खरीद नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2056-102-1524—जेल उत्पादन—			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-)361.90	388.10	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 361.90 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 3,165.83 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-800-938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	348.90		
पूरक	3,165.83		
पुनर्वि.	(-)3,425.71	89.02	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 696.89 लाख की कमी बिल की प्राप्ति नहीं होने, वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृति नहीं मिलने एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज भुगतान			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवायें पर पूंजीगत परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	79,50,76,78			
पूरक	22,37,94,32	1,01,88,71,10	91,34,12,02	(-)10,54,59,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,05,89,95

प्रभारित—

मूल	74,66			
पूरक	1,21,25	1,95,91	3,16,93	(+)1,21,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,51

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	6,10,61			
पूरक	12,00	6,22,61	13,25	(-)6,09,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				54,09

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 8,78,69 हजार सम्मिलित है जिसको वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा जनवरी एवं मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,05,459.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 10,589.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-091-4296—संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था—			
मूल	231.55		
पूरक	0.56		
पुनर्वि.	(-)33.05	199.06	150.96
			(-)48.10

अनुदान संख्या 06—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.56 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.05 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2052-091-7046—एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली 2.0—			
मूल	100.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,100.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,100.00 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2052-003-3843—लेखा प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल	228.07		
पुनर्वि.	(-)99.74	128.33	128.41
			(+)0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.74 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(4) 2054-095-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना—			
पूरक	950.00		
पुनर्वि.	(-)373.47	576.53	576.54
			(+)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.63 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 55.12 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 326.98 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 373.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(5) 2054-095-2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	2,274.57		
पूरक	133.42		
पुनर्वि.	(-)851.88	1,556.11	1,556.61
			(+)0.50

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.12 लाख की वृद्धि लीज लाइन कनेक्शन की चौथी किस्त के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.63 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 898.37 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 851.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के द्वारा प्रावधान में हुए कमी के कारणों सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2054-095-4307—संभागीय स्थापना—			
मूल	1,110.37		
पुनर्वि.	(-)267.68	842.69	842.29
			(-)0.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 267.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2008-09 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2054-095-6633-संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना— मूल 677.58 पूरक सांकेतिक(₹200) पूरक. (-)219.60	457.98	460.16	(+)2.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2054-095-8904-आडिट सेल— मूल 529.47 पुनर्वि. (-)276.46	253.01	253.03	(+)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 276.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2054-097-1026-खजाना स्थापना— मूल 5,929.77 पूरक 34.00 पुनर्वि. (-)1,813.97	4,149.80	4,157.73	(+)7.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,813.97 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2054-098-4361-छत्तीसगढ़ राज्य लेखा-परीक्षा— मूल 2,526.60 पुनर्वि. (-)463.08	2,063.52	2,089.49	(+)25.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 463.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय— मूल 4,32,471.00 पूरक 1,27,806.65	5,60,277.65	4,84,682.37	(-)75,595.28
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(12) 2071-01-105-2514-परिवार पेंशन— मूल 1,48,134.00 पूरक 32,072.00	1,80,206.00	1,43,570.09	(-)36,635.91
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(13) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण— मूल 37,147.60 पूरक 10,949.40	48,097.00	46,719.24	(-)1,377.76
अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2071-01-117-6801—राज्य शासन का अंशदान—			
मूल	4,200.00		
पूरक	800.00		
पुनर्वि.	(-)4,936.08	63.92	3,524.58
			(+)3,460.66

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 800.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,936.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(1) 2071-01-102-3080—भारत में पेंशनों के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान—				
मूल	7,376.60			
पूरक.	2,347.70	9,724.30	10,470.28	(+)745.98

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2071-01-104-4590—सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार—				
मूल	1,07,172.00			
पूरक.	3,703.00	1,10,875.00	1,24,704.04	(+)13,829.04

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(3) 2071-01-111-4010—विधायकों को पेंशन				
मूल	2,400.00			
पूरक.	200.00	2,600.00	3,171.12	(+)571.12

अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(4) 2235-60-200-7000—पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति				
मूल	20.00			
पुनर्वि.	(-)10.00	10.00	119.69	(+)109.69

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

राजस्व:

प्रभारित—

(iv) भारत अनुदान से हुए ₹ 1,21,02,007 के अधिक व्यय का नियमितिकरण आवश्यक है।

(v) ₹ 121.02 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 1.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

(vi) विनियोग में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-106-600—उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय			
मूल	73.15		
पूरक.	(-)121.25	194.40	316.93
			(+)122.53

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 12.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(viii) ₹ 609.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 54.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 7810-122-5675—मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन			
मूल	544.61	544.61	(-)10.66
			(-)555.27

₹ 555.27 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,95,94,93		
पूरक	13,46,00	4,09,40,93	2,78,95,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,30,45,35 1,42,90,02
प्रभारित—			
मूल	80,17,05		
पूरक	..	80,17,05	70,00,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10,16,70 10,16,70
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	36,08,51		
पूरक	15,00	36,23,51	30,68,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,54,78 5,50,78
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 516.00 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 100 सांकेतिक) एवं मार्च 2025 (₹ 830.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,346.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 13,045.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 14,290.02 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-797-7428—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,000.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 07—जारी

सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मेटा डाटा स्कैनिंग मशीन एवं कम्प्यूटर आदि की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2030-03-001-1480-जिला प्रभार-			
मूल	3,822.57		
पूरक	सांकेतिक(₹100)		
पुनर्वि.	(-)2,238.17	1,584.40	1,600.66 (+)16.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,238.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2039-001-122-अधीक्षण-			
मूल	4,583.92		
पुनर्वि.	(-)633.59	3,950.33	3,948.50 (-)1.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 633.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	8,515.47		
पुनर्वि.	(-)2,685.85	5,829.62	5,814.17 (-)15.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,685.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2039-102-8629-नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)395.36	1,604.64	1,604.64 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 395.36 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय-			
मूल	2,639.87		
पूरक	366.00		
पुनर्वि.	(-)1,286.90	1,718.97	1,715.24 (-)3.73

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,286.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, यात्रा दौरा पर व्यय कम होने, शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, वकीलों से देयक प्राप्त नहीं होने एवं मरम्मत हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2040-001-7042-बिजनेस इंटेलेजेंस यूनिट-			
मूल	950.00		
पूरक	20.00		
पुनर्वि.	(-)222.94	747.06	747.06 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 222.94 लाख की कमी शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2040-001-7043—छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिकरण—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान कार्यालय का गठन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(9) 2040-101-1509—जिला स्थापना—			
मूल	10,156.08		
पूरक	150.00		
पुनर्वि.	(-)2,010.04	8,296.04	8,239.16
			(-)56.88

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 150.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,010.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, यात्रा दौरा पर व्यय कम होने एवं शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-102-2455—न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय			
मूल	8,000.00	300.00	1,752.11
			(+)1,452.11

₹ 1,452.11 लाख की आधिक्य के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। अत्यधिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

राजस्व:

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-02-797-7429—छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण—			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	7,000.00	7,000.00
			0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 1,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 15.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vii) ₹ 554.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 550.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 07—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4070-001-1509-जिला स्थापना—			
मूल	3,146.00		
पुनर्वि.	(-380.61	2,765.39	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.61 लाख की कमी नए वाहन नहीं खरीदने एवं शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़क तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	18,14,11,19			
पूरक	12,39,50	18,26,50,69	14,33,12,59	(-)3,93,38,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				3,23,07,59

प्रभारित—

मूल	15,26			
पूरक	...	15,26	00	(-)15,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				15,26

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,58,05,50			
पूरक	40,50	2,58,46,00	1,08,53,86	(-)1,49,92,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,46,43,22

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 1,239.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 39,338.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 32,307.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-001-456-आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय—			
मूल	973.40		
पुनर्वि.	(-)180.57	792.83	732.28
			(-)60.55

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.57 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7787—ई-धरती— मूल 4,840.40 पुनर्वि. (-)4,378.90	461.50	460.58	(-)0.92

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 3,900.00 लाख एवं ₹ 478.90 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 4,378.90 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 908—कृषि संगणना— मूल 192.20 पूरक 480.00 पुनर्वि. (-)672.20	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान कृषि विभाग द्वारा जिलों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु निधि जारी करने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2817—फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना— मूल 110.20 पुनर्वि. (-)110.20	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(5) 2029-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय— मूल 166.60 पुनर्वि. (-)166.60	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2029-103-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 908—कृषि संगणना— पूरक 320.00 पुनर्वि. (-)320.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान कृषि विभाग द्वारा जिलों को डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु निधि जारी करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(7) 2029-103-1472—जिला प्रभार— मूल 49,557.50 पूरक सांकेतिक(₹100) पुनर्वि. (-)2,816.88	46,740.62	43,349.88	(-)3,390.74
--	-----------	-----------	-------------

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 520.00 लाख एवं ₹ 2,296.88 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 2,816.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2029-797-6753-पर्यावरण निधि को अंतरण—			
मूल	12,275.00		
पुनर्वि.	(-)12,275.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(9) 2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण—			
मूल	12,275.00		
पुनर्वि.	(-)12,275.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(10) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड—			
मूल	669.89		
पूरक.	9.50	679.39	(-)319.39
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(11) 2053-093-1510-जिला स्थापना—			
मूल	48,204.10		
पूरक	430.00		
पुनर्वि.	(-)4,882.85	43,751.25	40,728.84
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 430.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,800.00 लाख एवं ₹ 3,082.85 लाख की कमी जिलों एवं कलेक्टरों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 4,882.85 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

(12) 2053-101-452-आयुक्त संभागीय कार्यालय—			
मूल	1,631.60		
पुनर्वि.	(-)269.95	1,361.65	1,219.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.95 लाख की कमी आयुक्त कार्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7055-दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना—			
मूल	50,000.00		
पुनर्वि.	6,220.00	56,220.00	56,211.20
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,220.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 40.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

(vi) ₹ 14,992.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 14,643.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजट प्रबंधन का द्योतक है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-80-051-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6476-अधोसंरचना विकास उपकर निधि-			
मूल	8,050.00		
पुनर्वि.	(-)3,272.98	4,777.02	(-)144.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,272.98 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्ति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-80-051-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6477-पर्यावरण उपकर निधि-			
मूल	8,050.00		
पुनर्वि.	(-)6,250.32	1,799.68	(-)44.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,250.32 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्ति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059-80-052-1510-जिला स्थापना-			
मूल	1,425.50		
पुनर्वि.	(-)1,275.50	150.00	(-)0.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,275.50 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्ति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4070-800-1472-जिला खर्च-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)139.01	10.99	(-)3.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6476-अधोसंरचना विकास उपकर निधि-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)976.31	3,023.69	(-)45.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 976.31 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्ति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6477-पर्यावरण उपकर निधि-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,705.60	1,294.40	(-)76.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,705.60 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्ति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	26,29,22		
पूरक	सांकेतिक	26,29,22	7,49,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)18,79,81 18,78,94
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	3,94,00		
पूरक	..	3,94,00	13,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)3,80,04 3,80,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,879.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 1,878.94 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	197.90		
पुनर्वि.	(-)131.18	66.72	66.68
			(-)0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 131.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा एवं यात्रा भाता दावा प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2058—101—618—उप नियंत्रक लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	274.40		
पूरक	सांकेतिक (₹100)		
पुनर्वि.	(-)156.90	117.50	117.50
			0.00

अनुदान संख्या 09—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा प्राप्त नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2058-102-2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण— मूल 1,370.05 पुनर्वि. (-)1,000.16	369.89	369.69	(-)0.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,000.16 लाख की कमी मुख्यतः उच्च दर के कारण निविदा रद्द होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा एवं यात्रा भाता दावा प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, प्रशिक्षुओं की उपलब्धता नहीं होने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं स्टेशनरी की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2058-102-5659—शासकीय प्रेस, रायपुर— मूल 636.87 पुनर्वि. (-)495.80	141.07	140.44	(-)0.63
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.80 लाख की कमी मुख्यतः उच्च दर के कारण निविदा रद्द होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा एवं यात्रा भाता दावा प्राप्त नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 380.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 380.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4058-103-3427—मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद— मूल 260.00 पुनर्वि. (-)260.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रस्तावित किया गया था, लेकिन शासन द्वारा बाद में GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद हेतु अनुमोदित किया गया एवं राज्य चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	27,13,49,99		
पूरक	74,52,00	27,88,01,99	18,18,19,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)9,69,82,05 9,49,12,38
प्रभारित-			
मूल	4,56,50		
पूरक	85,36	5,41,86	1,34,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)4,07,17 4,89,80
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	1,18,80,65		
पूरक	..	1,18,80,65	7,42,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,11,38,48 1,11,38,68
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 85,36 हजार सम्मिलित हैं। जिसमें से ₹ 75,79 हजार वर्ष 2024-2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा शेष ₹ 9,57 हजार वर्ष 2023-2024 में आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत-

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 6,232.00 लाख), दिसम्बर 2024 (सांकेतिक, ₹ 100) एवं मार्च 2025 (₹ 1,220.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 7,452.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 96,982.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 94,912.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
2723-प्रशासन सुदृढीकरण-			
मूल	1,038.34		
पुनर्वि.	(-)1,028.12	10.22	143.83
			(+)133.61

निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 133.61 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,028.12 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2406-01-001-3555—मुख्यालय— मूल 4,891.62 पुनर्वि. (-)730.83	4,160.79	4,179.83	(+)19.04
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 19.04 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 730.83 लाख की कमी निधि की वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2406-01-003-4462—वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन— मूल 641.01 पुनर्वि. (-)135.93	505.08	504.53	(-)0.55
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.75 लाख की वृद्धि श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि के वितरण हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 141.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 135.93 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2406-01-070-6218—भवनों की मरम्मत— मूल 1,284.00 पुनर्वि. (-)176.48	1,107.52	1,137.68	(+)30.16
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 30.16 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.48 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं माह मार्च में ई-कुबेर सर्वर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2536—पर्यावरण वानिकी— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,381.93	1,618.07	1,412.27	(-)205.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,381.93 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 8,280.82 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)3,907.20	4,873.62	4,711.39	(-)162.23
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 500.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,907.20 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6827—भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य— मूल 6,559.65 पुनर्वि. (-)460.65	6,099.00	5,919.94	(-)179.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 460.65 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 1,289.21 पुनर्वि. (-)214.94	1,074.27	1,084.10	(+)9.83
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 9.83 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.71 लाख की वृद्धि श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि के वितरण हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 233.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 214.94 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य— मूल 580.11 पुनर्वि. (-)161.39	418.72	418.87	(+)0.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.39 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2406-01-101-2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)— मूल 1,884.32 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)296.32	1,598.00	1,593.19	(-)4.81
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.11 लाख की वृद्धि श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि के वितरण हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 305.43 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 296.32 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 3,293.71 पुनर्वि. (-)894.68	2,399.03	2,403.70	(+)4.67
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 4.67 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 894.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वनमण्डल— मूल 54,589.81 पूरक 1,242.00 पुनर्वि. (-)7,136.74	48,695.07	48,232.00	(-)463.07

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 1,242.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,073.36 लाख की वृद्धि विभाग द्वारा संचालित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 8,210.10 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,136.74 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2406-01-101-6447—जैव विविधता प्रबंधन समिति— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)400.00	900.00	900.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2406-01-101-6667—छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र— पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)170.00	80.00	80.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपन बांस रोपण सहित— मूल 445.00 पुनर्वि. (-)307.54	137.46	137.33	(-)0.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.54 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5420—राज्य औषध वनस्पति मंडल की स्थापना— मूल 3,134.00 पुनर्वि. (-)680.40	2,453.60	2,453.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 680.40 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरुद्धार— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)533.17	1,366.83	1,343.98	(-)22.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.04 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6828—पथ वृक्षारोपण— मूल 511.14 पुनर्वि. (-)219.26	291.88	238.33	(-)53.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 219.26 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7089—किसान वृक्ष मित्र योजना— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)2,395.46	3,604.54	3,410.92	(-)193.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,395.46 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(20) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7563—अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण— मूल 299.10 पुनर्वि. (-)178.99	120.11	74.68	(-)45.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 178.99 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(21) 2406-01-102-0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से उपकर निधि में स्थानांतरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(22) 2406-01-102-3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित)— मूल 24,000.00 पुनर्वि. (-)7,649.58	16,350.42	15,751.52	(-)598.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,649.58 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने एवं माह मार्च में ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(23) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी— मूल 1,489.21 पुनर्वि. (-)251.48	1,237.73	1,252.96	(+)15.23
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 15.23 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.07 लाख की वृद्धि श्रमिकों को श्रम सम्मान राशि के वितरण हेतु आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 273.55 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 251.48 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है।			
(24) 2406-01-105-252—अन्य व्यय अनुग्रह अनुदान आर्थिक सहायता— मूल 3,500.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,000.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नही होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2406-01-105-6456—तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन द्वारा इस योजना के स्थान पर एक नयी योजना शुरू करने एवं पुनर्विनियोजन के माध्यम से योजना का संपूर्ण प्रावधान नयी योजना में स्थानांतरित कर दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(26) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी— मूल 19,175.07 पुनर्वि. (-)10,918.98	8,256.09	8,084.65	(-)171.44
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,129.00 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,789.98 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 10,918.98 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(27) 2406-01-203-5641—वन प्रबंधन समितियों— मूल 3,594.20 पूरक 2,093.12 पुनर्वि. (-)2,263.34	3,423.98	3,423.55	(-)0.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,263.34 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(28) 2406-01-204-2901—बांस— मूल 1,350.00 पुनर्वि. (-)512.41	837.59	728.79	(-)108.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.41 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 2406-01-204-5641—वन प्रबंधन समितियों— मूल 805.80 पूरक 1,006.88 पुनर्वि. (-)1,014.94	794.74	797.36	(-)3.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,014.94 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3943—वनजीवों को संरक्षण एवं विकास— मूल 1,080.00 पुनर्वि. (-)119.33	960.67	896.30	(-)64.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 119.33 लाख की कमी माह मार्च में ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6673—छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)800.00	200.00	200.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 800.00 लाख की कमी राज्य शासन से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2406-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7076—लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना का विकास— मूल 1,835.00 पुनर्वि. (-)1,835.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(33) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर— मूल 413.10 पुनर्वि. (-)263.57	149.53	149.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.57 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(34) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 261.26 पुनर्वि. (-)193.46	67.80	67.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.46 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(35) 2406-02-110-2900—अभ्यारण क्षेत्र— मूल 4,978.58 पुनर्वि. (-)525.61	4,452.97	4,337.61	(-)115.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.61 लाख की कमी माह मार्च में ई-कुबेर सर्वर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2406-02-110-6885—प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना— मूल 519.12 पुनर्वि. (-)177.96	341.16	373.37	(+)32.21
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 32.21 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(37) 2406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन-			
मूल	2,829.65		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)611.20	3,218.45	3,392.47
			(+)174.02
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 174.02 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 611.20 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं माह मार्च में ई-कुबेर सर्वर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(38) 2406-02-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6993-नैसर्गिक पर्यटन का विकास-			
मूल	315.00		
पुनर्वि.	(-)126.93	188.07	181.78
			(-)6.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.93 लाख की कमी माह मार्च में ई-कुबेर सर्वर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(39) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	540.87		
पुनर्वि.	(-)540.87	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)350.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2406-04-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश-			
7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	370.58		
पुनर्वि.	(-)370.58	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2406-04-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश-			
7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 2406-04-103-0530—छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि— 7993—छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय— मूल 90,000.00 पुनर्वि. (-)40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40,000.00 लाख की कमी राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-105-7160—राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता जिला सुदाय योजना— पूरक सांकेतिक(₹100) पुनर्वि. 2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि योजना की शुरुवात द्वितीय अनुपूरक बजट में सांकेतिक प्रावधान होने से निधि की आवश्यकता एवं समर्पण द्वारा ₹ 100 (सांकेतिक) की कमी पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

राजस्व:

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 9.57 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 73.05 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 2.74 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 85.36 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 407.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 489.80 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-797-3885—वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण विनियोग वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) ₹ 11,138.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 11,138.68 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 10— समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2723-प्रशासन सुदृढीकरण-			
मूल 449.01			
पुनर्वि. (-)377.32	71.69	71.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 377.32 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-सड़के तथा मकान निर्माण कार्य-			
मूल 500.00			
पुनर्वि. (-)213.94	286.06	286.07	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.94 लाख की कमी GeM पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4406-01-101-0530-छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-			
7993-छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय-			
मूल 10,000.00			
पुनर्वि. (-)10,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना-			
मूल 264.10			
पुनर्वि. (-)194.10	70.00	70.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.10 लाख की कमी भारत सरकार एवं राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7076-लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना का विकास-			
मूल 165.00			
पुनर्वि. (-)165.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,70,59,09		
पूरक	2,18,69,00	5,89,28,09	5,20,83,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)68,44,33 68,49,26
प्रभारित—			
मूल	5,15		
पूरक	..	5,15	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,15 5,15
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,59,70,60		
पूरक	3,06,27,02	4,65,97,62	4,12,26,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)53,71,34 53,71,33
प्रभारित—			
मूल	1,00		
पूरक	..	1,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,00 1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 6,844.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 6,849.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7825-स्टार्टअप छत्तीसगढ़-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)166.51	133.49	133.49
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.51 लाख की कमी स्टार्टअप के विज्ञापन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851-200-1464-जिला उद्योग केन्द्र-			
मूल	3,657.51		
पूरक	52.00		
पुनर्वि.	(-1,139.52	2,569.99	2,569.67
			0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,139.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या कम होने, अधिकारियों से दौरे का दावा प्राप्त नहीं होने एवं झाइकरो की भर्ती नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2852-80-001-3370-संचालनालय उद्योग-			
मूल	1,985.06		
पूरक	12.00		
पुनर्वि.	(-)814.47	1,182.59	1,185.40
			(+)2.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 814.47 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6475-छ.ग. औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7045-इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की स्थापना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	300.00	300.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8237-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)177.49	22.51	22.51
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.49 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2852-80-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6455-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना मूल 2,831.17 पूरक सांकेतिक(₹100) पुनर्वि. (-)2,131.06	700.11	700.12	(+)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,131.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2852-80-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6455-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना- मूल 1,887.45 पुनर्वि. (-)1,432.14	455.31	455.31	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,432.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।
2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 3475-200-255-अन्य व्यावसायिक उपकरणों के विनियमों-भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन- मूल 363.00 पुनर्वि. (-)135.59	227.41	227.42	(+)0.01
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, वाहनों का क्रय नहीं किये जाने, सरगुजा संभागीय कार्यालय को शासकीय भवनों में स्थानांतरित किये जाने एवं शासकीय वाहनों की बिक्री होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2852-80-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान- मूल 11,000.00 पूरक 21,400.00 पुनर्वि. 5,000.00	37,400.00	37,400.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन औद्योगिक इकाइयों द्वारा पूंजी की बढ़ी हुई लागत हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 11—जारी

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 4,100.00 पूरक 19,500.00 पुनर्वि. (-)1,268.22	22,331.78	22,331.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,268.22 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6377—फूड पार्क की स्थापना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,171.28	3,828.72	3,828.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,171.28 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति अनुसार निधि की निकासी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6742—औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान— मूल 1,091.50 पुनर्वि. (-)687.50	404.00	404.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 687.50 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6888—छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)225.00	875.00	875.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.00 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7085—एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8983—औद्योगिक क्षेत्र अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य— मूल 3,519.50 पूरक 7,600.01 पुनर्वि. (-)830.91	10,288.60	10,288.61	(+)0.01

अनुदान संख्या 11—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 830.91 लाख की कमी प्रशासनिक विभाग से वित्तीय स्वीकृति अनुसार निधि की निकासी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवज़ा राशि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं सर्वेक्षण सीमांकन कार्य का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2049—ब्याज भुगतान			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	33,64,00,75		
पूरक	17,63,73,70	51,27,74,45	50,80,84,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)46,89,79 46,86,06
प्रभारित—			
मूल	3,40,00,00		
पूरक	..	3,40,00,00	3,40,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,26,56,14		
पूरक	..	6,26,56,14	3,15,54,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)3,11,02,14 3,11,02,14
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 4,689.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 4,686.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार—			
बिजली शुल्क—			
मूल	1,499.70		
पुनर्वि.	(-)423.11	1,076.59	1,072.86
			(-)3.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 423.11 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2049—60—701—6636—पावर कंपनी के ऋण को टेकओवर—			
मूल	14,755.00		
पुनर्वि.	(-)234.61	14,520.39	14,520.39
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 234.61 लाख की कमी ब्याज दर में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2810-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7110—ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 2810-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7694—सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)300.00	700.00	700.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2810-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7695—विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण— मूल 2,250.00 पुनर्वि. (-)537.50	1,712.50	1,712.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 537.50 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2810-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7698—सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य गैर पारंपरिक स्रोत के प्रोत्साहन हेतु अनुदान— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)275.00	625.00	625.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2810-104-0410—विद्युत विकास निधि— 3188—ऊर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)387.00	1,413.00	1,413.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 387.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-02-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7498—पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)15,000.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 12—जारी

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4801-05-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7072-स्मार्ट मीटर टेस्टिंग बेंच की स्थापना-			
मूल	927.00		
पुनर्वि.	(-)927.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि की आहरण हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4801-80-004-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6415-पी.एम. कुसुम योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6634-इंदिरा गॉव गंगा योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि की आहरण हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7061-सौर सामुदायिक सिंचाई योजना-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(6) 4810-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	15,700.00		
पुनर्वि.	(-)9,675.00	6,025.00	6,025.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,675.00 लाख की कमी निधि जारी होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 4810-101-0410-विद्युत विकास निधि- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(v) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर पाँच पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 797—आरक्षित निधि से/में स्थानांतरण, 3218—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2024 को प्रारम्भिक शेष ₹ 11,239.27 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 34,000.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष—2045—797 आरक्षित निधि से/को स्थानांतरण—3218 छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 23,482.50 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2025 को ₹ 21,756.77 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन—देन" मुख्य शीर्ष—8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका विस्तृत लेखा वित्त लेखे 2024—25 के विवरण क्रमांक—21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	69,39,72,75		
पूरक	10,13,62,02	79,53,34,77	73,70,37,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,82,97,56 5,74,94,24
प्रभारित—			
मूल	21,50		
पूरक	33,00	54,50	48,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,99 5,98
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	40,74,80		
पूरक	3,76,00	44,50,80	11,19,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)33,31,17 33,31,17
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 58,297.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 57,494.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401—001—119—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	42,742.90		
पुनर्वि.	(-)9,485.88	33,257.02	33,247.36
			(-)9.66
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.10 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,478.78 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 9,485.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2401-001-124-अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)– मूल 926.80 पुनर्वि. (-)176.68	750.12	748.88	(-)1.24
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2401-001-4288-संचालनालय (मुख्यालय अमला)– मूल 1,591.30 पूरक 80.00 पुनर्वि. (-)415.29	1,256.01	1,254.96	(-)1.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.29 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 7054-कृषक उन्नित योजना– मूल 5,00,000.00 पूरक 1,00,000.00 पुनर्वि. (-)869.40	5,99,130.60	5,99,130.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 869.40 लाख की कमी छत्तसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा अपेक्स बैंक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)5,233.59	766.41	766.41	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 5,233.59 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)– 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम– मूल 786.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)558.06	227.94	227.94	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 557.55 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.51 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने एवं नई तकनीक एस.एन.ए. स्पर्श के कार्यान्वयन के कारण प्रशिक्षण हेतु निधि का आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 558.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2401-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–राज्यांश– 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,489.06	510.94	510.94	0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,352.84 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 136.22 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय होने एवं भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक खोले जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,489.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2401-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 524.00 पुनर्वि. (-)372.04	151.96	151.96	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 371.70 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.34 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक खोलने एवं नई तकनीक एस.एन.ए. स्पर्श के कार्यान्वयन के कारण प्रशिक्षण हेतु निधि का आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 372.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2401-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 780.00 पुनर्वि. (-)578.65	201.35	201.35	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 578.65 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक खोले जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2401-103-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 520.00 पुनर्वि. (-)385.77	134.23	134.23	0.00
---	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 385.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक खोले जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म— मूल 844.75 पुनर्वि. (-)246.59	638.16	637.78	(-)0.38
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.59 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2401-105-1060—खाद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 397.76 पुनर्वि. (-)200.38	197.38	197.21	(-)0.17
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.38 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 1,602.22 पुनर्वि. (-)1,602.22	0.00	0.00	0.00

₹ 1,035.50 लाख के पुनर्विनियोजन एवं ₹ 399.82 लाख के समर्पण के द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान याजनाओं के बन्द होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 3,525.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)2,299.67	1,225.33	1,223.58	(-)1.75
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,299.67 लाख की कमी द्वितीय मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(15) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 526.26 पुनर्वि. (-)216.65	309.61	309.61	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.65 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(16) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 514.49 पुनर्वि. (-)303.81	210.68	210.69	(+)0.01
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.81 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(17) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 2,320.00 पुनर्वि. (-)1,349.53	970.47	970.47	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,349.53 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 1,478.19 पुनर्वि. (-)345.30	1,132.89	1,132.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.30 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 120.96 पुनर्वि. (-)120.96	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(20) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 1,068.14 पुनर्वि. (-)1,068.14	0.00	0.00	0.00
₹ 872.52 लाख के पुनर्विनियोजन एवं ₹ 196.62 लाख के समर्पण के द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान याजनाओं के बन्द होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,350.00 पुनर्वि. (-)1,474.16	875.84	877.59	(+)1.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,474.16 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 342.99 पुनर्वि. (-)115.86	227.13	227.13	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.86 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,544.00 पुनर्वि. (-)540.68	1,003.32	1,003.32	0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 332.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 208.68 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 540.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 985.44 पुनर्वि. (-)230.18	755.26	755.26	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.18 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(25) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,260.00 पुनर्वि. (-)978.21	281.79	281.79	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 978.21 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 2401-109-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 840.00 पुनर्वि. (-)652.14	187.86	187.86	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 652.14 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(27) 2401-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना— मूल 38,675.00 पुनर्वि. (-)5,140.63	33,534.37	33,294.48	(-)239.89
---	-----------	-----------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.68 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,074.95 लाख की कमी निविदा में उद्धृत दर कम होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,140.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(28) 2401-113-6929—सहायक यंत्री कार्यालय— मूल 816.85 पुनर्वि. (-)186.26	630.59	630.77	(+)0.18
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(29) 2401-113-7017—कृषि यंत्री का कार्यालय— मूल 1,201.55 पुनर्वि. (-)336.41	865.14	864.29	(-)0.85
--	--------	--------	---------

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 336.41 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,176.00 पुनर्वि. (-)645.51	530.49	352.10	(-)178.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 645.51 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(31) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 436.80 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)367.14	69.66	69.66	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 367.14 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(32) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,680.00 पुनर्वि. (-)435.99	1,244.01	1,244.01	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 435.99 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 6,888.00 पुनर्वि. (-)2,637.39	4,250.61	4,069.93	(-)180.68
---	----------	----------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,637.39 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत की कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7947—एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन— मूल 336.00 पुनर्वि. (-)279.69	56.31	56.31	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 435.99 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(35) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 784.00 पुनर्वि. (-)377.84	406.16	287.23	(-)118.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 377.84 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत की कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 291.20 पुनर्वि. (-)244.76	46.44	46.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 244.76 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 4,592.00 पुनर्वि. (-)1,379.10	3,212.90	2,713.03	(-)499.87
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,379.10 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत की कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7947—एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन— मूल 224.00 पुनर्वि. (-)186.46	37.54	37.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.46 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना— मूल 8,149.30 पूरक 506.00 पुनर्वि. (-)1,901.50	6,753.80	6,771.20	(+)17.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,901.50 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 2401-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6353-चिराग योजना—			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)10,000.00	0.00	0.00

समपूर्ण प्रावधान क्षेत्रियों कार्यालय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(41) 2402-101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण—			
मूल	1,599.90		
पुनर्वि.	(-)421.93	1,177.97	(+)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 421.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2402-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	4,440.00		
पुनर्वि.	(-)4,029.72	410.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,029.72 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श के नई तकनीक होने से कई बिलों को अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(43) 2402-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— राज्यांश— 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	2,960.00		
पुनर्वि.	(-)2,686.48	273.52	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,686.48 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श के नई तकनीक होने से कई बिलों को अस्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(44) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना—			
मूल	4,470.80		
पुनर्वि.	(-)1,551.36	2,919.44	(+)0.31

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,551.36 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7161-तिलहन और पाम खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन— पूरक सांकेतिक (₹ 400)			
पुनर्वि.	546.29	546.29	(-)0.47

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 712.45 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 166.12 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 546.29 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)	
(2) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7162—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि.	2,344.18	2,344.18	3,343.28	(-)0.90

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,233.59 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,889.41 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,344.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(3) 2401-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7161— तिलहन और पाम खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन— पूरक सांकेतिक (₹ 300) पुनर्वि.	364.19	364.19	363.88	(-)0.31
--	--------	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 465.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.81 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 364.19 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 2401-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7162— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— पूरक सांकेतिक (₹100) पुनर्वि.	2,662.79	2,662.79	1,562.19	(-)1,100.60
---	----------	----------	----------	-------------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,407.84 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 745.05 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,662.79 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(5) 2401-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7163—बीज एवं रोपण सामग्री पर प्रस्तुतिकरण कृषि विस्तार—आवास बैंक से लिए गए ऋण का ब्याज भुगतान— पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि.	471.23	471.23	471.23	0.00
---	--------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 578.65 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 107.42 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 471.23 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(6) 2401-103-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7163— बीज एवं रोपण सामग्री पर प्रस्तुतिकरण कृषि विस्तार—आवास बैंक से लिए गए ऋण का ब्याज भुगतान— पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि.	314.16	314.16	314.16	0.00
---	--------	--------	--------	------

अनुदान संख्या 13—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 385.77 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 71.61 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 314.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2401-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5549-गन्ना किसानों के लिए बोनस-			
पूरक 4,000.00			
पुनर्वि. 332.00	4,332.00	4,332.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 332.00 लाख का आवर्धन चीनी मिल प्रोत्साहन भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7164-कृषि विस्तार प्रस्तुतीकरण-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि. 857.68	857.68	767.20	(-)90.48

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 990.21 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 132.26 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 857.68 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(9) 2401-109-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7164-कृषि विस्तार प्रस्तुतीकरण-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि. 571.89	571.89	511.47	(-)60.32

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 660.14 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषोन्नति योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 88.35 लाख की कमी दूसरे मदर सेक्शन की विलंब से प्राप्ति एवं एस.एन.ए. स्पर्श की नई तकनीक के कारण कई बिलों के अस्वीकृत होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 571.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(10) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल 3,246.00			
पुनर्वि. 954.69	4,200.69	4,200.69	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,026.02 लाख की वृद्धि भारत सरकार से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 71.33 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 954.69 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(11) 2401-113-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान-			
मूल 2,163.00			
पुनर्वि. 634.80	2,797.80	3,897.80	(+)1,100.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 682.35 लाख की वृद्धि भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 47.55 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 634.80 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 13—जारी

प्रभारित—

(iv) ₹ 5.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2023—24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया कुल ₹ 376.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401—001—119—अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	150.00		
पूरक	270.00		
पुनर्वि.	(-)182.05	237.95	237.95
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.05 लाख की कमी शासन से निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)—

मूल

900.00

पुनर्वि.

(-)900.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4401—108—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—

7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)—

मूल

600.00

पुनर्वि.

(-)600.00

529.95

487.95

(-)42.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4401—113—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण

मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल

180.00

पुनर्वि.

(-)180.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4401—113—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—

8961—कृषि यांत्रिकीकरण

मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों

पर अनुदान—

मूल

120.00

पुनर्वि.

(-)120.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6626-इंटीग्रेटेड पैक हाउस-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 4401-119-2013-नए उद्यानों तथा पौध शालाओं की स्थापना-			
मूल	290.00		
पुनर्वि.	(-)226.43	63.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.43 लाख की कमी कार्यलय भवन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4401-119-9188-उद्यान विकास योजना-			
मूल	420.00		
पुनर्वि.	(-)102.34	317.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.34 लाख की कमी गंडई जिले से बागवानी अनुमान प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	5,07,52,08		
पूरक	22,15,00	5,29,67,08	4,59,28,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)70,38,80 76,91,07
प्रभारित—			
मूल	10,00		
पूरक	53,00	63,00	52,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10,89 10,89
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	5,49,50		
पूरक	2,95,00	8,44,50	4,50,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)3,93,82 3,93,82
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 2,215.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 7,038.80 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 7,691.07 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	4,377.00		
पुनर्वि.	(-)555.58	3,821.42	3,873.12
			(+)51.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 555.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2009—10 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2403—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—			
मूल	25,626.40		
पुनर्वि.	(-)2,185.00	23,441.40	23,882.36
			(+)440.96

अनुदान संख्या 14—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,185.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 814.05 पुनर्वि. (-)606.77	207.28	207.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 606.77 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2403—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6632—मोबाईल वेटनरी यूनिट की स्थापना— मूल 1,443.97 पुनर्वि. (-)97.73	1,346.24	1,346.24	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.73 लाख की कमी भारत सरकार से राज्यांश के अनुरूप केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2403—101—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 523.26 पुनर्वि. (-)391.50	131.76	131.76	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.50 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2403—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 1,086.70 पूरक 1,453.00 पुनर्वि. (-)158.09	2,381.61	2,381.46	(-)0.15
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 158.09 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2403—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)750.00	50.00	50.00	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 750.00 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2403-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)416.67	33.33	33.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 416.67 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 5,721.35 पुनर्वि. (-)742.95	4,978.40	5,062.01	(+)83.61
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि पोषण आहार की कीमतों में वृद्धि से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 812.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 742.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2403-102-2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 936.45 पुनर्वि. (-)167.67	769.28	772.05	(+)2.77
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 107.00 लाख की वृद्धि आकस्मिक श्रम के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 274.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 167.67 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2403-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 2,420.55 पुनर्वि. (-)762.30	1,658.25	1,664.48	(+)6.23
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 497.30 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 762.30 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(12) 2403-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6784—शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण— मूल 549.20 पुनर्वि. (-)86.14	463.06	466.09	(+)3.03
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पोषण आहार की कीमतों में वृद्धि से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 136.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 86.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2403-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)145.45	34.55	34.55	0.00

अनुदान संख्या 14—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.45 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2403-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)96.96	23.04	23.04	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.96 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 2403-113-3784—रोग अनुसंधान— मूल 1,183.80 पुनर्वि. (-)98.38	1,085.42	1,103.72	(+)18.30
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.38 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 295.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 230.00 पुनर्वि. (-)226.51	3.49	3.49	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 226.51 लाख की कमी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,03,35,04			
पूरक	2,95,80	2,06,30,84	1,31,78,82	(-)74,52,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				74,52,02

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	11,00,01			
पूरक	20,00,00	31,00,01	30,99,82	(-)19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				19

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 295.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना— मूल 706.95 पुनर्वि. (-)329.71	377.24	377.24	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 329.71 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2405-789-101-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश—

6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—

मूल 464.35

पुनर्वि. (-)212.86

251.49

251.49

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.86 लाख की कमी केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2515-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान—			
मूल	576.00		
पूरक	177.48		
पुनर्वि.	(-)567.48	186.00	186.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 576.48 लाख की कमी केन्द्र सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2515-789-198-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान—			
मूल	384.00		
पूरक	118.32		
पुनर्वि.	(-)378.32	124.00	124.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.32 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2853-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण—			
मूल	5,858.00		
पुनर्वि.	(-)5,858.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान गौण खनिज एवं साधारण रेत के वितरण हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी से समय पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4515-789-198-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8991—गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के मार्च 2025 तक व्यय करने की सम्भावना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4515—789—198—1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8996—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना—			
मूल	1,000.00		
पूरक	2,000.00		
पुनर्वि.	99.82	3,099.82	3,099.82
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.18 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.82 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,00,18,49		
पूरक	..	1,00,18,49	74,39,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)25,78,98 25,99,56
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	20		
पूरक	..	20	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)20 20
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	6,01,00		
पूरक	..	6,01,00	92,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,08,57 5,08,57
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,578.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 2,599.56 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
मूल	2,097.54		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि. (-)163.78	1,933.76	1,933.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(2) 2405—101—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—			
6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
मूल	1,448.36		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि. (-)159.19	1,289.17	1,295.65	(+)6.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2405—101—162—अंतर्देशीय मतस्य पालन के लिए जिला स्तर कर्मचारी—			
मूल	4,997.35		
पुनर्वि.	(-1,946.50)	3,050.85	3,061.35
			(+)10.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,946.50 लाख की कमी वेतन मद के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से कार्यालय व्यय के अनुसार निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2023—24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(2) 4405—101—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,18,26,56		
पूरक	8,72,00	2,26,98,56	1,57,22,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)69,76,53 69,75,35
प्रभारित—			
मूल	15		
पूरक	..	15	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)15 15
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	36,50,01		
पूरक	17,00	36,67,01	18,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)18,67,01 18,67,01
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 872.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 6,976.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 6,975.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425—001—123—अधीक्षण—			
मूल	5,900.91		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)1,904.29	4,046.62	4,045.66
			(-)0.96

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.55 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,900.74 लाख की कमी व्यय नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,904.29 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2425—001—2282—निर्देशन—

मूल	1,002.75		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)302.57	750.18	749.96
			(-)0.22

अनुदान संख्या 17—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,023.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान—			
मूल	14,500.00		
पुनर्वि.	(-)4,727.94	9,772.06	9,772.06
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76.60 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,651.34 लाख की कमी बैंक से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्ति अनुसार निधि का आहरण होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,727.94 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2023—24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 17.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7678—सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूँजी—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4425—200—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

8545—नाबार्ड सहायता से
गोदाम निर्माण—

मूल
 1,650.00 | | || पुनर्वि. | (-)1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 |

सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड सहायता के अंतर्गत गोदाम निर्माण परियोजना हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,42,27,23		
पूरक	..	2,42,27,23	1,70,36,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)71,90,83 71,96,24
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	71,50		
पूरक	37.00	1,08,50	84,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)24,49 24,49

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 7,190.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 7,196.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
791—कर्मचारी राज्य बीमा			
चिकित्सालय—			
मूल	2,392.20		
पुनर्वि.	(-)814.29	1,577.91	1,576.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 814.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2008-09 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2210-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3676—राज्य बीमा			
अस्पताल—			
मूल	3,715.90		
पुनर्वि.	(-)718.50	2,997.40	2,995.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 718.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2007-08 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2230-01-001-4268—श्रम आयुक्त— मूल 873.45 पुनर्वि. (-)300.31	573.14	573.00	(-)0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.31 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2230-01-101-712—औद्योगिक न्यायालय— मूल 429.65 पुनर्वि. (-)183.50	246.15	246.47	(+)0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.50 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 1,833.55 पुनर्वि. (-)286.82	1,546.73	1,546.62	(-)0.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.82 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2230-01-101-4272—श्रम न्यायालय— मूल 859.30 पुनर्वि. (-)294.38	564.92	577.34	(+)12.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 294.38 लाख की कमी श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2230-01-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6915—बाल श्रमिक सर्वेक्षण— मूल 112.00 पुनर्वि. (-)112.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्र सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(8) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 600.15 पुनर्वि. (-)104.57	495.58	495.22	(-)0.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.57 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक, सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 12,325.00 पुनर्वि. (-)3,896.09	8,428.91	8,428.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,896.09 लाख की कमी नियमानुसार व्यय होने, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने की वजह से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा व्यय नहीं होने एवं प्राप्त मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2230-01-103-4270—श्रम कल्याण निधि की स्थापना—			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-398.17	201.83	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 398.17 लाख की कमी नियोक्ता से प्राप्त राशि के बराबर शासन से अंशदान नहीं मिलने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित:

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—				
2049—ब्याज भुगतान				
2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ—				
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
2211—परिवार कल्याण				
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
दत्तमत—				
मूल	42,79,84,85			
पूरक	10,30,77,40	53,10,62,25	39,62,69,44	(-)13,47,92,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				13,53,57,13
<i>प्रभारित—</i>				
मूल	55,50			
पूरक	89,28	1,44,78	87,05	(-)57,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				1,22,37
पूंजीगत :				
दत्तमत—				
मूल	1,33,31,20			
पूरक	45,46,67	1,78,77,87	1,36,30,59	(-)42,47,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				42,47,28
टीका एवं टिप्पणियां				

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 64.64 हजार सम्मिलित है जिसको दिसम्बर 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 11,818.57 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 511.51 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 90,747.32 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,03,077.40 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के समय निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,34,792.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 1,35,357.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7476—संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय— मूल	290.77		
पुनर्वि.	(-)134.74	156.03	159.44
			(+)3.41

अनुदान संख्या 19—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2210-01-001-2283—निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)—			
मूल	7,062.88		
पूरक	650.00		
पुनर्वि.	(-)2,186.28	5,526.60	5,525.90
			(-)0.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,186.28 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना—			
मूल	1,795.88		
पुनर्वि.	(-)441.75	1,354.13	1,358.41
			(+)4.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 441.75 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉस सर्विसेस योजना—			
मूल	1,000.00		
पूरक	176.22		
पुनर्वि.	(-)776.22	400.00	400.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 776.22 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(5) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय—			
मूल	35,383.80		
पूरक.	12,216.32		
पुनर्वि.	(-)3,368.49	44,231.63	44,288.02
			(+)56.39

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,368.49 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6677—छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान इस योजना के अंतर्गत विस्तृत कार्ययोजना तैयार नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7074—आदर्श जिला चिकित्सालय—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(8) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 732.27 पुनर्वि. (-)415.53	316.74	395.47	(+)78.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.53 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(9) 2210-01-200-77—अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाइयां स्थापित करना— मूल 3,948.62 पुनर्वि. (-)343.53	3,605.09	3,604.78	(-)0.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 343.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन— मूल 6,668.06 पूरक 666.81 पुनर्वि. (-)6,331.97	1,002.90	1,002.90	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,331.97 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 49,833.19 पुनर्वि. (-)12,811.19	37,022.00	37,022.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,811.19 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2210-03-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन— मूल 4,445.37 पूरक 444.54 पुनर्वि. (-)4,221.31	668.60	668.60	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 444.54 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,221.31 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2210-03-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 41,012.46 पुनर्वि. (-)12,609.27	28,403.19	28,403.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,609.27 लाख की कमी निधि विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(14) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 31,425.60 पूरक 7,038.00 पुनर्वि. (-)5,706.24	32,757.36	32,769.74	(+)12.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,706.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(15) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6677—छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं इस योजना के अंतर्गत विस्तृत कार्ययोजना तैयार नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल. 17,532.30 पुनर्वि. (-)2,298.66	15,233.64	15,235.75	(+)2.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,298.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(17) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 49,392.35 पूरक 3,116.00 पुनर्वि. (-)7,882.14	44,626.21	44,644.52	(+)18.31
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,882.14 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6677—छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान इस योजना के अंतर्गत विस्तृत कार्ययोजना तैयार नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान— मूल 236.51 पुनर्वि. (-)123.63	112.88	116.97	(+)4.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.63 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(20) 2210-06-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 539.95 पुनर्वि. (-)176.13	363.82	366.33	(+)2.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.13 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(21) 2210-06-003-6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 687.18 पुनर्वि. (-)368.03	319.15	324.15	(+)5.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 368.03 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(22) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7075—एन.क्यू.ए.एस मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	24.95	(+)24.95
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(23) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7679—टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2210-06-101-858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 4,353.47 पुनर्वि. (-)1,259.83	3,093.64	3,097.01	(+)3.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,259.83 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(25) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर— मूल 3,649.85 पुनर्वि. (-)1,643.22	2,006.63	2,024.01	(+)17.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,643.22 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(26) 2210-06-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— पूरक 399.00 पुनर्वि. (-)399.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(27) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 2,242.60 पूरक 575.51 पुनर्वि. (-)1,491.97	1,326.14	1,324.45	(-)1.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,491.97 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, डी.डी.ओ. द्वारा यात्रा भत्ता नहीं लेने, जिलों से मांग प्राप्ति के अनुसार व्यय होने एवं बिजली बिल पर अनुमान से कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(28) 2210-06-104-750—औषधि नियंत्रण— मूल 1,990.10 पुनर्वि. (-)761.94	1,228.16	1,227.16	(-)1.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 761.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं शुल्कों के लिए सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण दवा के नमूने केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं को नहीं भेजे जा सकने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 2210-06-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)875.00	1,625.00	1,625.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 875.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2210-06-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7113—शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना— मूल 67,165.00 पूरक 75,000.00 पुनर्वि. (-)39,668.00	1,02,497.00	1,02,497.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39,668.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(31) 2210-06-200-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6675—आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना— मूल 9,135.00 पूरक 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,611.00	9,024.00	9,024.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,611.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(32) 2210-06-200-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— मूल 18,650.00 पुनर्वि. (-)14,127.00	4,522.10	4,522.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,127.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2211-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1508—जिला स्तरीय अमला— मूल 713.29 पुनर्वि. (-)302.02	411.27	414.47	(+)3.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.02 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(34) 2211-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण— मूल 1,016.44 पुनर्वि. (-)391.11	625.33	627.62	(+)2.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.11 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(35) 2211-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 19,655.80 पुनर्वि. (-)7,327.40	12,328.40	12,311.50	(-)16.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,327.40 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(36) 2211-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 513.34 पुनर्वि. (-)155.99	357.35	359.06	(+)1.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.99 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2049-60-101-6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— पूरक सांकेतिक(₹100) पुनर्वि. 723.00	723.00	723.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 723.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2071-01-800-5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा— मूल 230.00 पुनर्वि. (-)114.71	115.29	395.86	(+)280.57

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.71 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

(3) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8631—शव वाहिका योजना— मूल 1,500.00 पुनर्वि. 290.96	1,790.96	1,790.96	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 9.04 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 290.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

राजस्व:

प्रभारित—

(v) ₹ 57.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 122.37 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(1) 2210-01-001-2283—निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)— मूल 33.00 पुनर्वि. (-)27.55	5.45	5.45	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 20.00 पूरक 89.28 पुनर्वि. (-)92.32	16.96	81.60	(+)64.64
---	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 92.32 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 19—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2283—निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)— मूल 1,112.00 पुनर्वि. (-)1,112.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुआ था।			
(2) 4210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 2,706.10 पुनर्वि. (-)300.23	2,405.87	2,405.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुआ था।			
(3) 4210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7074—आदर्श जिला चिकित्सालय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 313.00 पुनर्वि. (-)310.00	3.00	3.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.13 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 62.87 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 310.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुआ था।			
(5) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 450.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)316.74	633.76	633.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 316.74 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुआ था।			
(6) 4210-02-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,520.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)269.17	1,750.83	1,750.83	0.00

अनुदान संख्या 19—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(7) 4210—03—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन—			
मूल	3,386.70		
पूरक	2,128.00		
पुनर्वि.	(-)338.28	5,176.42	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37.72 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 376.00 लाख की कमी अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 338.28 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4210—03—105—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन—			
मूल	2,257.80		
पूरक	1,418.67		
पुनर्वि.	(-)225.52	3,450.95	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.15 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 250.67 लाख की कमी अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 225.52 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4210—04—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7075—एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेशन			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,36,47,74		
पूरक	..	3,36,47,74	2,65,71,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)70,75,98 72,30,68
प्रभारित—			
मूल	16,00		
पूरक	81,13	97,13	99,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(+)2,12 19,17
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	23,40,53,11		
पूरक	10,96,01	23,51,49,12	16,84,96,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)6,66,53,12 6,66,39,77
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 17,28 हजार सम्मिलित है जिसको जनवरी 2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 7,075.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 7,230.68 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	2,235.80		
पुनर्वि.	(-)461.64	1,774.16	1,804.16
			(+)30.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 461.64 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2008-09 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2215-01-001-2715—प्रशासन— मूल 12,775.00 पुनर्वि. (-)1,509.53	11,265.47	11,388.93	(+)123.46
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,509.53 लाख की कमी मांग एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5097—विशिष्ट भवनों में जल प्रदाय— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)141.21	308.79	308.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.21 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2215-01-101-5300—स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण मूल 1,159.94 पुनर्वि. (-)406.91	753.03	763.64	(+)10.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 406.91 लाख की कमी मांग एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)104.99	1,395.01	1,391.56	(-)3.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.99 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2215-01-102-1202—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण मूल 725.00 पुनर्वि. (-)228.42	496.58	502.89	(+)6.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.42 लाख की कमी मांग अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2215-01-102-1854—ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन मूल 1,648.55 पुनर्वि. (-)442.23	1,206.32	1,203.38	(-)2.94
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 598.44 लाख की कमी मांग अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2215-01-102-2219—नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 7,669.50 पुनर्वि. (-)2,405.39	5,264.11	5,272.51	(+)8.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,405.39 लाख की कमी मांग अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2215-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6897—दल्लीराजहरा जल प्रदाय योजना— मूल 968.09 पुनर्वि. (-)968.09	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान योजना अद्यतन नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— मूल 1,620.10 पुनर्वि. (-)236.21	1,383.89	1,372.65	(-)11.24
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 236.21 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 1,372.65 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

- (1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :-

(1) क्रय— राज्य में 1983-84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

अनुदान संख्या 20—जारी

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2024—25 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2024 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2025 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)1,600.70	0.00	0.00	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	0.00	0.00	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+14,352.29	1,372.65	119.66	+15,605.28
योग	+14,301.82	1,372.65	199.66	+15,554.81

राजस्व:

प्रभारित—

(iii) भारत विनियोग पर हुए ₹ 2,11,720 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(iv) ₹ 2.11 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 19.17 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 1,096.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 66,653.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 66,639.77 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294—निर्देशन मूल 130.00 पुनर्वि. (-)117.84	12.16	12.16	0.00
(2) 4215—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2715—प्रशासन मूल 229.50 पूरक 1,096.01 पुनर्वि. (-)847.66	477.85	477.85	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.84 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 847.66 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6434—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई हेतु जल प्रदाय योजना— मूल 642.00 पुनर्वि. (-)106.42	535.58	535.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.42 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 693—औजार और संयंत्र— मूल 222.00 पुनर्वि. (-)222.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)295.63	4.37	4.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.63 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5700—शालाओं में पेयजल व्यवस्था— मूल 165.00 पुनर्वि. (-)160.70	4.30	4.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.70 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6420—गोटानों में नलकूप खनन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)456.94	43.06	43.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 456.94 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7353—राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)109.12	140.88	140.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.12 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(9) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7963—मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 4215-01-102-0704— 6383—जल जीवन मिशन योजना— मूल 2,25,059.57 पुनर्वि. (-)62,180.88	1,62,878.69	1,62,878.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 62,180.88 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं होने से राजकोष से राज्यांश की निकासी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4215-01-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7951—आंगनबाड़ी एवं अस्पताल में नलकूप खनन कार्य— मूल 166.00 पुनर्वि. (-)160.70	5.30	5.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.70 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 6215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)928.52	1,071.48	1,071.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 928.52 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज भुगतान			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,60,66,55		
पूरक	2,25,01	2,62,91,56	2,13,95,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)48,96,45 48,98,78
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	9,13,37,35		
पूरक	18,60,12,51	27,38,78,62	27,38,78,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)34,71,24 34,71,24

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 225.00 लाख) एवं दिसम्बर 2024 (संकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 225.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के समय निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 4,896.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 4,898.78 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7444-विकास नगर योजना—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 341.00 लाख के पुनर्विनियोजन एवं ₹ 1,659.00 लाख के समर्पण का संयुक्त प्रभाव से अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन का कारण योजना अंतर्गत लाभार्थियों से पंजीकरण प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण का कारण स्वीकृत योजना के अंतर्गत परियोजना में भवनों के क्रय हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने, भवनों का निर्माण नहीं हो पाने के कारण राज्य शासन से अनुदान राशि की मांग नहीं होने से बचत उल्लिखित की गई हैं। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	5,900.00		
पुनर्वि.	(-)795.00	5,105.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 545.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 795.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)210.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2217-01-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7109-प्रधानमंत्री ई बस सेवा-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 2217-01-190-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7109-प्रधानमंत्री ई बस सेवा-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2621-विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना-			
मूल	410.00		
पुनर्वि.	(-)379.01	30.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 379.01 लाख की कमी अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण साईं कंसल्टेंट अहमदाबाद के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7155-पर्यावरण संरक्षण-			
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2217-05-001-2020—नगर और ग्राम निवेश—			
मूल	2,331.70		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	(-)922.92	1,408.78	1,411.12 (+)2.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 922.92 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मुद्रास्फीति दर में कमी होने, मकान किराया मद में अधिक राशि का आबंटन होने, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में नगर प्रतिपूर्ति भते के लिए बजट का प्रावधान नहीं होने, क्षेत्रिय कार्यालयों से धनराशि की मांग प्राप्त नहीं होने, नियमित चौकीदारों एवं झाइवरों की भर्ती नहीं होने एवं कार्यालय में वाहनों की कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2217-05-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7411—विकास प्राधिकरणों को अनुदान—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति नहीं होने से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2049-60-701-7552—कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण—			
मूल	6,382.00		
पुनर्वि.	341.00	6,723.00	6,723.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 341.00 लाख का आवर्धन ब्याज अदायगी हेतु अप्रयाप्त बजट प्रावधान होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 2217-01-190-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6628—नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	125.00	625.00	625.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 125.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्राश निधि के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(3) 2217-01-190-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6628—नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	125.00	625.00	625.00 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 125.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्राश निधि के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

अनुदान संख्या 21-जारी

पूजीगत:
दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	9,869.35		
पूरक	75,000.00		
पुनर्वि.	(-3,470.35	81,399.00	81,399.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,470.35 लाख की कमी संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार व्यय होने, राज्य के कुछ ब्लॉक मुख्यालयों के अंतिम बकाये का निपटान नहीं होने एवं परियोजना के तहत स्वीकृत ऋणों के विरुद्ध बैंक को मार्च 2025 तक पूर्ण पुनर्भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

(2) 4217-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7158-ऊष्मायन केन्द्र-			
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-300.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4217-01-051-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7158-ऊष्मायन केन्द्र-			
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-200.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4217-01-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7109-प्रधानमंत्री ई बस सेवा-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-6,000.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त

रहा।

(5) 4217-01-190-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7109-प्रधानमंत्री ई बस सेवा-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-4,000.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस हेतु भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त

रहा।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण-			
मूल	29,510.00		
पूरक	13,900.00		
पुनर्वि.	499.80	43,909.80	43,909.80
			0.00

अनुदान संख्या 21- समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि योजनातर्गत अपर्याप्त बजट होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.20 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 499.80 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(2) 4217-01-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6628-नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड-			
मूल	9,800.00		
पुनर्वि.	1,825.00	11,625.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,825.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्राश निधि के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4217-01-190-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6628-नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड-			
मूल	9,800.00		
पुनर्वि.	1,825.00	11,625.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,825.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्राश निधि के अनुरूप राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(4) 6217-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण-			
मूल	17,000.00		
पुनर्वि.	6,350.00	23,350.00	(-)500.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,350.00 लाख का आवर्धन दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(5) 6217-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट-			
मूल	2,000.00	2,000.00	(+)500.0
अत्याधिक आधिक्य होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	44,04,60		
पूरक	..	44,04,60	(-)5,48,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5,48,95
प्रभारित—			
मूल	5		
पूरक	..	5	(-)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 548.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 548.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-80-001-6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	504.25		
पुनर्वि.	(-)183.56	320.69	(+)0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, निधि की आवश्यकता नहीं होने, आवश्यकता अनुसार निधि का आहरण होने एवं एन.आर.डी.ए. द्वारा विद्युत की व्यवस्था होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2217-80-001-7112—शहरी कार्य पर्यवेक्षण

एवं मुल्यांकन प्रणाली—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)200.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान नई मद के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 2217-80-001-7442—संभागीय कार्यालय

की स्थापना—

मूल 525.15

पुनर्वि. (-)135.27

389.88

389.96

(+)0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.27 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार निधि का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—वृहद सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	7,07,80,78		
पूरक	1,00,00	7,08,80,78	5,33,91,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,74,89,03 1,74,67,06
प्रभारित—			
मूल	1,10		
पूरक	..	1,10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,10 1,10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	7,05,45,80		
पूरक	65,80,00	7,71,25,80	5,36,56,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,34,69,00 2,34,76,05
प्रभारित—			
मूल	1,50,00		
पूरक	..	1,50,00	70,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)79,66 79,66
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 17,489.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 17,467.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700—02—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	3,066.30		
पुनर्वि.	(-)145.38	2,920.92	2,920.62
			(-)0.30

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.38 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2700—03—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	323.20		
पुनर्वि.	(-)110.81	212.39	(-)0.08
		212.31	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.81 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2700—04—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	235.00		
पुनर्वि.	(-)101.74	133.26	(+)0.52
		133.78	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.74 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2700—05—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	851.90		
पुनर्वि.	(-)151.61	700.29	(+)1.47
		701.76	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.61 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2700—06—101—2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	744.00		
पुनर्वि.	(-)246.78	497.22	(-)0.25
		496.97	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.78 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 814—मुख्यालय स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)—			
मूल	1,252.45		
पुनर्वि.	(-)257.87	994.58	(-)3.08
		991.50	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 2701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 815—कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	40,071.50		
पुनर्वि.	(-)13,484.69	26,586.81	(+)92.67
		26,679.48	

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,484.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मंडल स्थापना-			
मूल	2,869.62		
पुनर्वि.	(-)526.10	2,343.52	2,340.62 (-)2.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 526.10 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)-			
मूल	4,795.45		
पुनर्वि.	(-)927.07	3,868.38	3,765.39 (-)102.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 927.07 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(10) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना-			
मूल	2,622.20		
पुनर्वि.	(-)835.22	1,786.98	1,784.57 (-)2.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 835.22 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2701-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 697-औजार और संयंत्र-			
मूल	581.00		
पुनर्वि.	197.99	778.99	778.98 (-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि कार्यकारी स्थापना के अंतर्गत लंबित बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2.01 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 197.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(iv) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 0.37 लाख सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

अनुदान संख्या 23—जारी

वर्ष 2024—25 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित "उचंत" लेन देन का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2024 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2025 को नामे + / जमा (-)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	0.00	0.00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+643.19	0.00	0.00	+643.19
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+2,423.24	0.00	0.37	+2,422.87
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,371.65	0.00	0.37	+2,371.28

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2023—24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 60.00 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 6,520.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,580.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के समय निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 23,469.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 23,476.05 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)— मूल 4,236.50 पुनर्वि. (-)730.18	3,506.32	3,505.28	(-)1.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 730.18 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट—1)— मूल 874.85 पुनर्वि. (-)263.29	611.56	610.99	(-)0.57
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 263.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4700-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	7,800.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि. (-)2,504.07	6,795.93	6,822.88	(+)26.95
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की कमी नए कार्यों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,004.07 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,504.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(4) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-कार्यपालन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2)-			
मूल	9,153.90		
पुनर्वि. (-)2,957.13	6,196.77	6,179.70	(-)17.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,957.13 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3264-मंडल स्थापना-			
मूल	381.90		
पुनर्वि. (-)195.61	186.29	186.35	(+)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4700-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)-			
मूल	1,017.85		
पुनर्वि. (-)173.35	844.50	844.38	(-)0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4700-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	4,510.00		
पुनर्वि. (-)754.11	3,755.89	3,754.68	(-)1.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 754.11 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 4700-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि. (-)198.09	1.91	1.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.09 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4700-08-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 2,800.00 पुनर्वि. (-)1,135.32	1,646.68	1,664.67	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 407.50 लाख की वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु मुआवजे के भुगतान होने एवं समर्पण एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,542.82 लाख की कमी मुख्यतः निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने, भूमि अधिग्रहण एवं वृक्षारोपण को अंतिम रूप नहीं देने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,135.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(10) 4700-09-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)2,160.75	7,839.25	7,838.56	(-)0.69
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,360.75 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने, नए कार्यों हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं वनरोपण कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,160.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(11) 4700-09-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,002.50 पुनर्वि. (-)1,002.50	0.00	0.68	(+)0.68
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(12) 4700-09-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,507.50 पुनर्वि. (-)1,507.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(13) 4700-09-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4700-09-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4700-09-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4700-10-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)423.68	76.32	76.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 423.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4700-10-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)423.68	76.32	76.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 423.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4700-11-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 4700-11-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4700-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7065—राज्य बांध सुरक्षा संगठन— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 150 लाख की कमी प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन-			
मूल	2,390.00		
पुनर्वि.	(-)2,240.00	150.00	0.00
			(-)150.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 840.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,240.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन, समर्पण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(22) 4701-13-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल.	200.00	200.00	91.35
			(-)108.65
₹ 108.65 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(23) 4701-14-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	300.10		
पुनर्वि.	(-)148.40	151.70	151.70
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.40 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति होने एवं वन भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के मामलों का पूर्ण निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 4701-36-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	2,010.00		
पुनर्वि.	(-)749.59	1,260.41	1,260.40
			(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 749.59 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति होने एवं वन भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के मामलों का पूर्ण निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 814-मुख्यालय स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)-			
मूल	40.00		
पूरक	350.00		
पुनर्वि.	(-)157.98	232.02	232.02
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.98 लाख की कमी कम संख्या में वाहन खरीदने हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 815-कार्यपालन स्थापना-			
मूल	65.00		
पूरक	1,270.00		
पुनर्वि.	(-)349.51	985.49	985.49
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 349.51 लाख की कमी कम संख्या में वाहन खरीदने हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)- मूल 105.00 पूरक 300.00 पुनर्वि. (-)204.06	200.94	200.94	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.06 लाख की कमी कम संख्या में वाहन खरीदने हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 4701-80-002-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना- मूल 1,820.70 पुनर्वि. (-)664.73	1,155.97	1,156.15	(+)0.18
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 664.73 लाख की कमी कम संख्या में नियमित अधिकारियों की सेवानिवृत्त होने एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(29) 4701-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन- मूल 270.00 पुनर्वि. (-)170.00	100.00	0.00	(-)100.00
---	--------	------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.00 लाख की कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(30) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)100.00	50.00	0.00	(-)50.00
---	-------	------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(31) 4711-01-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6757-बाढ़ नियंत्रण योजनाएं- मूल 6,000.00 पूरक 2,550.00 पुनर्वि. (-)1,001.13	7,548.87	7,548.76	(-)0.11
--	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.13 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,001.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	500.00	1,000.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन निविदा कार्य के लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(2) 4700-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	256.62	756.62	(-)100.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि निविदा कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 43.38 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 256.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)।			
(3) 4700-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)58.57	41.43	(+)400.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 58.57 लाख की कमी एवं अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(4) 4700-10-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	1,094.51	1,494.51	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,094.51 लाख की वृद्धि निविदा कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.49 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 256.62 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 4700-11-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	1,000.00		
पूरक	600.00		
पुनर्वि.	2,282.70	3,882.70	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि निविदा कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 217.30 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,282.70 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 4701-32-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	600.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	516.39	1,126.39	(+)0.01

अनुदान संख्या 23—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि निविदा कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 83.61 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 516.39 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(x) उचंत लेन देन—

“उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iii) पर की गई है।

वर्ष 2024—25 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2024 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2025 को नामे + / जमा (-)
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+1,590.21	0.00	0.00	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)77.56	0.00	0.00	(-)77.56
कुल	+1,028.30	0.00	0.00	+1,028.30

प्रभारित—

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)29.66	70.34	70.34	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 29.66 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(2) 4701—80—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान (भारित)— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण विनियोग डिक्री प्रकरण के संबंधित मामला नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	10,47,53,96		
पूरक	1,50,80,00	11,98,33,96	8,56,91,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)3,41,42,31 3,40,86,03
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	24,23,85,00		
पूरक	11,00,00,07	35,23,85,07	29,67,98,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,55,86,48 5,58,96,82
प्रभारित—			
मूल	10,50,00		
पूरक	10,00,00	20,50,00	8,72,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11,77,46 11,77,45

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 7,25,29 हजार सम्मिलित है जिसको अक्टूबर 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 15,080.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 34,142.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 34,086.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-6464—सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. के द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी—			
मूल	35,000.00		
पुनर्वि.	(-)13,900.00	21,100.00	21,100.00
			0.00

अनुदान संख्या 24—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,900.00 लाख की कमी आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण ऋण का भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत—			
मूल	6,000.00		
पूरक	4,580.00		
पुनर्वि.	(-)3,759.09	6,820.91	6,819.43
			(-)1.48

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,259.09 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,759.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3054-03-337-2227-नवीनीकरण—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)391.03	1,608.97	1,608.97
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.03 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)172.97	327.03	303.11
			(-)23.92

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.97 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 3054-03-797-8716-केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि—			
मूल	30,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,984.00	21,016.00	21,016.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,984.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि हस्तांतरित होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत—			
मूल	11,000.00		
पूरक	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)469.33	16,530.67	16,527.07
			(-)3.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 469.33 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 3054-04-337-7983-ग्रामीण मार्गों का सुदृढीकरण—			
मूल	9,000.00		
पूरक	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,423.66	10,576.34	10,569.37
			(-)6.97

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,135.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,288.66 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,423.66 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 3054-04-337-7984—ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत— मूल 200.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)143.73	556.27	556.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.73 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 3054-04-337-7987—ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)803.98	1,696.02	1,696.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 803.98 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 3054-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7609—ए.डी.बी. सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय— मूल 653.96 पुनर्वि. (-)302.58	351.38	350.02	(-)1.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.58 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(11) 3054-80-001-2301—निर्देशन एवं प्रशासन (मां.स. 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग) मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)4,718.25	1,281.75	1,281.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,718.25 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो-रेटा के आँकड़ों का विवरण एवं बजट में प्रो-रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 3054-80-052-0692—औजार एवं संयंत्र प्रभार (मां.स. 67-2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग) मूल 220.00 पुनर्वि. (-)153.06	66.94	66.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.06 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो-रेटा के आँकड़ों का विवरण एवं बजट में प्रो-रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 3054—01—337—134—अनुरक्षण और
मरम्मत—साधारण मरम्मत—
मूल 300.00
पूरक सांकेतिक (₹ 100)
पुनर्वि. 183.97

483.97

474.93

(-)9.04

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 635.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 451.03 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं केन्द्र प्रवर्तित कार्य के कम अनुमोदन होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 183.97 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 3054—04—337—2227—नवीनीकरण—
पूरक सांकेतिक (₹ 100)
पुनर्वि. 1,782.36

1,782.36

1,782.29

(-)0.07

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 717.64 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,782.36 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(3) 3054—04—337—4090—विशेष मरम्मत—
पूरक सांकेतिक (₹ 100)
पुनर्वि. 303.93

303.93

294.10

(-)9.83

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 196.07 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 303.93 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(v) केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिंट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054—सड़कें तथा पुल—800—अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24—"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता" को अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2025 को केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के जमा लेखे में ₹ 1,999.84 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2024—25 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 55,586.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 55,896.82 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 24—जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-01-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 134—अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(2) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775—रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)4,449.22	550.78	552.53	(+)1.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,449.22 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 7,000.00 पूरक सांकेतिक(₹300) पुनर्वि. (-)5,549.90	1,450.10	1,464.48	(+)14.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,549.90 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)9,189.66	2,810.34	2,822.23	(+)11.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,189.66 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4557—सुदृढ़ीकरण (सतह मजबूतीकरण)— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)2,508.27	4,491.73	3,141.73	(-)1,350.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,508.27 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 7991—सी.आर.एफ. अंतर्गत निर्माण कार्यों में राज्य शासन द्वारा व्यय— मूल 700.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)172.74	527.27	527.26	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.74 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-03-337-0520—केन्द्रीय सड़क निधि— 8716—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि— मूल 30,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)3,932.59	26,067.42	26,216.51	(+)149.09
---	-----------	-----------	-----------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.01 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,932.59 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054-04-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7976—जवाहर सेतु योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,133.71	366.29	368.14	(+)1.85
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,133.71 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 21,750.00 पूरक 0.02 पुनर्वि. (-)2,503.70	19,246.32	19,306.78	(+)60.46
--	-----------	-----------	----------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.02 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,503.70 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 30,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)21,650.52	8,349.49	8,195.40	(-)154.09
---	----------	----------	-----------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.01 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,000.00 लाख की कमी व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,650.52 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान

अनुदान संख्या 24—जारी

में ₹ 21,650.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2227-नवीनीकरण-			
मूल 8,000.00			
पुनर्वि. (-)8,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4090-विशेष मरम्मत-			
मूल 1,100.00			
पुनर्वि. 991.76	8.24	8.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 991.76 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4557-सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)-			
मूल 20,000.00			
पुनर्वि. (-)15,339.74	4,660.26	4,660.26	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,500.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,839.74 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 15,339.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6450-मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना-			
मूल 1,000.00			
पुनर्वि. (-)245.49	754.51	754.51	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 245.49 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7977-शहरी क्षेत्र के मार्ग-			
मूल 5,000.00			
पूरक सांकेतिक(₹200)			
पुनर्वि. (-)188.73	4,811.27	4,834.12	(+)22.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 188.73 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5041-वृहद सड़कों का सर्वेक्षण-			
मूल 300.00			
पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6485—सड़क सुरक्षा कार्य (रोड सेफ्टी)—			
मूल	4,700.00		
पुनर्वि.	(-4,239.40)	460.60	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,239.40 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,239.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7976—जवाहर सेतु योजना—			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	779.40	8,779.40	(+)1,171.61

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,076.91 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 779.40 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)।

(2) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—			
मूल	23,700.00		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	2,923.09	26,623.11	26,725.18
			(+)102.07

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,076.91 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,923.09 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

(3) 5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6596—सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्य हेतु सहायता—			
मूल	25,000.00		
पुनर्वि.	23,400.00	48,400.00	48,400.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23,400.00 लाख का आवर्धन विशेष श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, दिसम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 1,000.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ix) ₹ 1,177.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 1,177.45 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 24—समाप्त

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1833—डिक्री धन का भुगतान (भारित)—			
मूल	50.00		
पूरक	1000.00		
पुनर्वि	(-)324.71	725.29	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 324.71 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 5054—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3115—भू-अर्जन हेतु मुआवजा—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि	(-)852.74	147.26	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 852.74 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	7,10,83,60		
पूरक	2,10,00	7,12,93,60	47,57,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)6,65,36,44 6,65,36,44
प्रभारित—			
मूल	20,00		
पूरक	..	20,00	19,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)61 61
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,29,79,13		
पूरक	46,00	6,30,25,13	4,28,94,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,01,30,99 2,01,30,99

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 210.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 66,536.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 66,536.33 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853—02—001—4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,338.70		
पूरक	110.00		
पुनर्वि.	(-)223.67	1,225.03	1,225.49
			(+)0.46

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 110.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 223.67 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2853-02-001-4640—जिला स्थापना— मूल 2,997.50 पुनर्वि. (-)823.58	2,173.92	2,173.14	(-)0.78

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 823.58 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2853-02-001-4643—क्षेत्रीय स्थापना— मूल 1,597.40 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)479.61	1,217.79	1,218.00	(+)0.21
---	----------	----------	---------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 100.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 479.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(4) 2853-02-797-5390—खनिज निधि में अंतरण— मूल 65,000.00 पुनर्वि. (-)65,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से निधि हस्तांतरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 46.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 1,814.11 पुनर्वि. (-)1,049.92	764.19	764.19	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,049.92 लाख की कमी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4853-01-004-4639—मुख्यालय स्थापना— मूल 351.00 पूरक 14.00 पुनर्वि. (-)342.64	22.36	22.36	0.00
---	-------	-------	------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 14.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 342.64 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4853-01-004-4643-क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	265.00		
पूरक	14.00		
पुनर्वि.	(-)193.83	85.17	85.17
			0.00

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 14.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.83 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 6853-01-190-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि—			
7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम			
सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप—			
मूल	18,500.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	(-)18,500.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (CMDC) से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	78,18,39		
पूरक	71,49	78,89,88	61,40,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)17,48,93 18,56,72
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	12,32,00		
पूरक	..	12,32,00	18,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)12,13,90 12,13,90
टीका एवं टिप्पणियां			
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 71,49 हजार सम्मिलित हैं। जिसमें से ₹ 34,00 हजार वर्ष 2024-2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा शेष ₹ 37,49 हजार वर्ष 2023-2024 में आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 71.49 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 1,748.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 1,856.72 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7013-छत्तीसगढ़ राज भाषा आयोग-			
मूल	415.97		
पुनर्वि.	(-)322.28	93.69	93.63
			(-)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.28 लाख की कमी यात्रा भत्ता सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4060-विविध संस्थओं को अनुदान-			
मूल	575.00		
पुनर्वि.	(-)233.68	341.32	341.32
			0.00

अनुदान संख्या 26—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.68 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2205-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8975—छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी और लोक गीतों एवं लोकनृत्यों का संरक्षण— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)215.00	5.00	5.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2205-102-2318—निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 406.71 पुनर्वि. (-)232.22	174.49	174.44	(-)0.05
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.22 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2205-103-6494—संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय— मूल 521.93 पूरक. (-)71.49	593.42	697.47	(+)104.05

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-04-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7981—संग्रहालय भवनों के लिए निर्माण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-04-106-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7981—संग्रहालय भवनों के लिए निर्माण— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)160.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6361-रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान की स्थापना-			
मूल	480.00		
पुनर्वि.	(-)477.02	2.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 477.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)।			
(4) 4202-04-800-2318-निर्देशन एवं प्रशासन-			
मूल	212.00		
पुनर्वि.	(-)206.04	5.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	73,40,46,72		
पूरक	43,24,35	73,83,71,07	65,87,96,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)7,95,74,39 8,12,93,64
प्रभारित—			
मूल	35,00		
पूरक	15,60,00	15,95,00	15,72,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)22,36 22,36
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	47,19,60		
पूरक	30,00	47,49,60	36,53,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10,95,73 10,95,73
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 7,25,29 हजार सम्मिलित है जिसको अक्टूबर 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 200.00 लाख), दिसम्बर 2024 (सांकेतिक, ₹ 300) एवं मार्च 2025 (₹ 4,124.34 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 4,324.35 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 79,574.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 81,293.64 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	13,304.20		
पुनर्वि.	(-)1,193.52	12,110.68	12,109.10
			(-)1.58

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,193.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-001-3930- विकास खंड अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 6,072.36 पुनर्वि. (-)1,149.24	4,923.12	4,920.47	(-)2.65

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,149.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,40,350.69 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)87.49	1,40,263.20	1,40,208.85	(-)54.35
--	-------------	-------------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,800.00 लाख की वृद्धि होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,887.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 87.49 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(4) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,70,435.09 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)24,587.05	1,45,848.04	1,45,827.70	(-)20.34
---	-------------	-------------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,981.29 लाख की कमी वेतन मद में आवंटन की बचत होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 11,605.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 24,587.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2202-01-107-3024-बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए मूल 414.07 पुनर्वि. (-)114.93	299.14	298.99	(-)0.15
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.93 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मजदूर द्वारा कम कार्य कराने, यात्रा बिल में निधि की मांग नहीं होने एवं दावों की कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय- मूल 4,335.00 पुनर्वि. (-)929.84	3,405.16	3,405.16	0.00
--	----------	----------	------

अनुदान संख्या 27—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 929.84 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1394—छात्राओं को गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 3,250.00 पुनर्वि. (-)622.83	2,627.17	2,627.17	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 622.83 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2202-01-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 10,221.60 पुनर्वि. (-)3,600.42	6,621.18	6,621.18	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,600.42 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 20,380.76 पुनर्वि. (-)5,247.50	15,133.26	15,133.26	0.00
--	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,247.50 लाख की कमी केद्रांश के अनुरूप निधि का व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-01-112-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 12,076.22 पुनर्वि. (-)3,214.43	8,861.79	8,861.79	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,214.43 लाख की कमी केद्रांश के अनुरूप निधि का व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-01-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 31,500.00 पुनर्वि. (-)6,021.41	25,478.59	25,478.59	0.00
---	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,021.41 लाख की कमी केद्रांश के अनुरूप निधि का व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2202-02-104-7761—शिक्षको का वेतन— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)161.91	2,038.09	2,038.09	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन— मूल 947.69 पुनर्वि. (-)308.28	639.41	638.96	(-)0.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 308.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं दावों कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(14) 2202-02-105-4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 1,396.68 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)465.84	930.84	928.98	(-)1.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 465.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, यात्रा बिल में निधि की मांग नहीं होने एवं दावों की कम प्राप्ति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 2202-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 2,890.00 पुनर्वि. (-)346.23	2,543.77	2,543.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 346.23 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 1,65,203.35 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)23,258.90	1,41,944.45	1,41,902.12	(-)42.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23,258.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय— मूल 3,625.60 पुनर्वि. (-)144.71	3,480.89	3,480.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.71 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6440—उत्कृष्ट शाला संचालन— मूल 70,000.10 पुनर्वि. (-)8,629.61	61,370.49	61,370.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,629.61 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7111—महतारी दुलार योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)353.44	546.56	546.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 353.44 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2202-02-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 13,500.00 पूरक 120.00 पुनर्वि. (-)1,766.70	11,853.30	11,853.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,766.70 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप निधि का व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 2202-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5646—सैनिक विद्यालय की स्थापना— मूल 680.00 पुनर्वि. (-)240.00	440.00	440.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(22) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 330.00 पुनर्वि. (-)198.00	132.00	132.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7840—सभागीय कार्यालय— मूल 979.70 पुनर्वि. (-)229.91	749.79	748.29	(-)1.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 229.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(24) 2202-80-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.87 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.13 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2202-80-001-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5526—मदरसा बोर्ड का गठन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 27—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 187.25 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.75 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय—			
मूल	1,895.40		
पुनर्वि.	(-)221.89	1,673.51	1,672.21 (-)1.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(27) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल (वरिष्ठ प्रभाग)—			
मूल	3,054.00		
पुनर्वि.	(-)1,045.19	2,008.81	1,993.32 (-)15.49

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,045.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मांग अनुसार व्यय होने एवं सैनिक छात्रों की उपस्थिति के आधार पर निधि के आवंटन होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(28) 2204-104-1084—खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)148.93	951.07	951.07 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.93 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(29) 2205-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4395—सरकारी पुस्तकालय—			
मूल	501.10		
पुनर्वि.	(-)160.63	340.77	340.54 (-)0.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(30) 2205-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7841—सेन्ट्रल लायब्रेरी—			
मूल	261.90		
पुनर्वि.	(-)122.71	139.19	139.49 (+)0.30

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 122.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6664—पी.एम. श्री योजना—			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	280.87	1,180.87	1,180.87 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 280.87 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6664—पी.एम. श्री योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. 187.25	787.25	787.25	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.25 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(3) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 1,800.00 पुनर्वि. 167.48	1,967.48	1,967.48	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 263.00 लाख की वृद्धि स्थापना में निधियों की कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 95.52 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 167.48 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(4) 2202-01-107-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 2,514.65 पुनर्वि. (-)903.60	1,611.05	3,471.44	(+)1,860.39
निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 1,860.39 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 903.60 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 2202-01-113-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 21,000.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 1,753.21	22,753.21	22,753.21	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,767.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,014.29 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,753.21 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 2,076.00 पुनर्वि. 1,238.29	3,314.29	3,314.29	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,238.29 लाख का आवर्धन लंबित भुगतानों हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।			
(7) 2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 3,500.00 पुनर्वि. 201.33	3,701.33	3,701.33	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि स्थापना में निधियों की कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 48.67 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 201.33 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-02-113-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 9,000.00 पूरक 80.00 पुनर्वि. 1,421.67	10,501.67	10,501.67	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,599.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,177.83 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,421.67 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 30.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3491—माध्यमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)386.04	213.96	213.96	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 386.04 लाख की कमी निधि के अनुमोदन अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-01-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)398.80	201.20	201.20	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 398.80 लाख की कमी निधि के अनुमोदन अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)290.07	309.93	309.93	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.60 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 24.47 लाख की कमी निधि के अनुमोदन अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 290.07 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3858-लोक शिक्षण संचालनालय-			
मूल	189.00		
पूरक	30.00		
पुनर्वि.	254.34	473.34	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.60 लाख की वृद्धि संचालनालय, लोक शिक्षा कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 11.26 लाख की कमी निधि के अनुमोदन अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 254.34 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	83,51,18		
पूरक	3,05,00	86,56,18	(-)17,89,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			5,56,42
प्रभारित—			
मूल	1,18,00		
पूरक	..	1,18,00	(-)98,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			..
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,00,00		
पूरक	..	1,00,00	(-)62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:**दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 300.00 लाख) एवं दिसम्बर 2024 (₹ 5.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 305.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,789.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 556.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007-विधान			
सभा—			
मूल	5,039.60		
पूरक	305.00	5,334.60	(-)1,048.27

₹ 1,048.27 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, प्रावधान में अनुपूरक बजट द्वारा किया गया ₹ 305.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2004-05 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2011-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6493—नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय एस.पी.एम.यु. एवं नेवा क्रियान्वयन समिति का गठन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2011-02-103-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6493—नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय एस.पी.एम.यु. एवं नेवा क्रियान्वयन समिति का गठन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2011-02-103-4009—विधान सभा सचिवालय— मूल 2,577.00	2,577.00	2,440.03	(-)136.97
---	----------	----------	-----------

₹ 136.97 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(5) 2011-02-103-4312—संसदीय कार्य विभाग— मूल 168.58 पुनर्वि. (-)56.42	112.16	116.49	(+)4.33
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 56.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2011-02-103-6582—भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान— मूल 66.00	66.00	14.13	(-)51.87
---	-------	-------	----------

₹ 51.87 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

राजस्व:
प्रभारित—

(iv) ₹ 98.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भत्ता— मूल 118.00	118.00	19.69	(-)98.31

₹ 98.31 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	9,16,29,07		
पूरक	37,17,68	9,53,46,75	8,71,72,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)81,74,73 95,96,50
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	1,22,50,18		
पूरक	25,51,84	1,48,02,02	1,16,65,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)31,36,87 31,81,61
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	9,32,50		
पूरक	3,70,89	13,03,39	2,25,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10,77,47 7,61,33
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	69,50		
पूरक	1,05,00	1,74,50	1,59,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)15,14 15,13
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 3,467.68 लाख) एवं दिसम्बर 2024 (₹ 250.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,717.68 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 8,174.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 9,596.50 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6356—फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो— मूल 1,375.50 पूरक 83.63 पुनर्वि (-)818.60	640.53	657.46	(+)16.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 818.60 लाख की कमी सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2014-105-2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना— मूल 3,187.10 पुनर्वि (-)533.79	2,653.31	2,654.60	(+)1.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 533.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं चिकित्सा और दौरा भत्ता में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना— मूल 34,428.00 पूरक 2,655.85 पुनर्वि (-)2,109.74	34,974.11	36,086.10	(+)1,111.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,109.74 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन मद में व्यय आकस्मिक निधि से होने एवं वर्दी, वाहन के रखरखाव आदि जैसे अन्य मदों में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(4) 2014-114-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय— मूल 1,792.00 पुनर्वि (-)492.00	1,300.00	1,300.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 492.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निर्देश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2014-114-3428—महाधिवक्ता— मूल 1,708.44 पुनर्वि (-)180.29	1,528.15	1,537.94	(+)9.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2014-114-3572—मुफस्लि स्थापना— मूल 1,172.80 पूरक 300.00 पुनर्वि (-)184.30	1,288.50	1,288.67	(+)0.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	4,690.70		
पूरक	143.58		
पुनर्वि	(-)740.36	4,093.92	4,175.49
			(+)81.57

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 143.58 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 740.36 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, कर्मचारियों के वेतन मद में व्यय आकस्मिक निधि से होने एवं वर्दी, वाहन के रखरखाव आदि जैसे अन्य मदों में वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—				
मूल	1,827.17			
पुनर्वि	(-)274.88	1,552.29	1,552.30	(+)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.88 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के पदों को डाटा एंट्री ऑपरेटर से प्रतिस्थापित होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—				
मूल	2,933.60			
पुनर्वि	(-)724.17	2,209.43	2,209.11	(-)0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 724.17 लाख की कमी जिला कार्यालयों से निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2015-103-3307—मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी—				
मूल	3,472.00			
पूरक	300.00			
पुनर्वि	(-)284.15	3,487.85	3,487.85	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 284.15 लाख की कमी मतदान केन्द्रों की संख्या में कम वृद्धि होने, बीएलओ पर्यवेक्षकों और अधिकारियों की संख्या में कम वृद्धि होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 2015-105-4311—संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—				
मूल	25,032.00			
पुनर्वि	(-)1,083.11	23,948.89	23,948.89	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,083.11 लाख की कमी आकस्मिक रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, यात्रा बिलों की प्राप्ति नहीं होने, मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कमी होने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2015-106-4006—राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	3,050.60		
पुनर्वि	(-)551.16	2,499.44	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 710.87 लाख की कमी चुनाव संबंधी बिलों की विलंब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	1,257.70		
पुनर्वि	(-)231.57	1,026.13	(+)8.07

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.57 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 2235-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3255—विधिक सलाह बोर्ड को विधिक सहायता एवं अनुदान—			
मूल	3,820.88		
पूरक	214.00		
पुनर्वि	(-)1,057.55	2,977.33	(+)149.06

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 214.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,057.55 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, आकस्मिक मदों के अंतर्गत स्वीकृति विलंब से होने, लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

राजस्व:

प्रभारित—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 14.00 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 37.84 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 2,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,551.84 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक विनियोग के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) ₹ 3,136.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 3,181.61 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573—उच्च न्यायालय—			
मूल	11,908.98		
पूरक	2,551.84		
पुनर्वि.	(-)3,088.07	11,372.75	(+)44.57

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा विनियोग में किया गया ₹ 2,551.84 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 3,088.07 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, प्रशिक्षण नहीं दिए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2005-06 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2052-091-9056-माध्यस्थम अधिकरण-			
मूल	341.20		
पुनर्वि.	(-)93.54	247.66	247.83
			(+)0.17

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 93.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मकान भत्ते में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 42.74 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 316.15 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 370.89 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(viii) ₹ 1,077.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 761.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	600.00		
पुनर्वि	(-)600.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी-

मूल	50.00		
पूरक	316.15		
पुनर्वि	(-)50.00	316.15	0.00
			(-)316.15

यद्यपि वास्तविक व्यय निरंक रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 316.15 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 50.00 लाख की कमी विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान—			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	70,01,98,07		
पूरक	1,24,54,90	71,26,52,97	53,02,19,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)18,24,33,06 17,76,30,42
प्रभारित—			
मूल	28,00		
पूरक	..	28,00	9,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)19,00 19,00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	7,80,19,24		
पूरक	15,00,00	7,95,19,24	4,48,79,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)3,46,39,31 2,94,21,16
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 5,00,00 हजार सम्मिलित है जिसको वर्ष 2023-24 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2024 (₹ 12,454.90 लाख) एवं मार्च 2025 (संकेतिक, ₹ 200) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 12,454.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,82,433.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,77,630.42 लाख की राशि अभ्यर्पित हुई था।

अनुदान संख्या 30—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 13,600.00 पुनर्वि. (-)2,018.22	11,581.78	11,581.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,018.22 लाख की कमी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण की किस्त के पुनर्भुगतान के बाद वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2215-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)12,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2215-02-107-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)8,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने से राज्यांश का आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2216-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 23,300.00 पुनर्वि. (-)10,973.05	12,326.95	12,326.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,973.05 लाख की कमी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण की किस्त के पुनर्भुगतान के बाद वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2216-03-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 2,40,000.00 पुनर्वि. (-)27,402.44	2,12,597.56	2,12,597.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,402.44 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2216-03-105-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 1,60,025.00 पुनर्वि. (-)18,293.29	1,41,731.71	1,41,731.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,293.29 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2501-06-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 16,619.82 पूरक 7,472.93 पुनर्वि. (-)1,500.05	22,592.70	22,592.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.05 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2501-06-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 14,864.93 पूरक 4,981.97 पुनर्वि. (-)6,071.08	13,775.82	13,775.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,071.08 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2501-06-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8775—प्रशासन योजना जिला स्तर— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)330.82	4,669.18	4,669.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)।			
(10) 2505-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 5,247.85 पुनर्वि. (-)59.98	5,187.87	172.86	(-)5,015.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 59.98 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2505-60-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 1,00,578.77 पुनर्वि. (-)60,418.33	40,160.44	40,160.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60,418.33 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2505-60-196-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 27,562.50 पुनर्वि. (-)17,525.78	10,036.72	10,036.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17,525.78 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकासखण्ड कार्यालय-			
मूल	6,727.18		
पुनर्वि.	(-)2,188.75	4,538.43	4,533.62
			(-)4.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,188.75 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2515-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5063-ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान-			
मूल	902.71		
पूरक सांकेतिक (₹ 200)			
पुनर्वि.	(-)330.89	571.82	573.21
			(+)1.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.89 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7687-मुख्यमंत्री पंचायत शशक्तिकरण योजना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)177.53	822.47	822.47
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.53 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार-			
मूल	12,732.28		
पुनर्वि.	(-)4,591.99	8,140.29	8,129.52
			(-)10.77
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,591.99 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2515-101-5575-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)854.83	345.17	345.17
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 854.83 लाख की कमी निधि की आहरण हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(18) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	7,746.05		
पुनर्वि.	(-)1,071.83	6,674.22	6,788.25
			(+)114.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,071.83 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	7,619.50		
पुनर्वि.	(-1,348.78)	6,270.72	6,301.32
			(+)30.60

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,348.78 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6692-मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(21) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	1,728.35		
पुनर्वि.	(-)755.35	973.00	1,018.67
			(+)45.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 755.35 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) ₹ 34,639.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 29,421.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निविदा की दर अनुसूचित दर (एस.ओ.आर) से कम होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7105-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)- मूल 35,000.00	35,000.00	14,000.00	(-)21,000.00
₹ 21,000.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(3) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निविदा की दर अनुसूचित दर (एस.ओ.आर) से कम होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 5054-04-337-0311-नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 4,200.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)2,904.48	1,795.52	1,058.14	(-)737.38
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 500.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,904.48 लाख की कमी अक्टूबर 2023 की निविदा से संबंधित संशोधित अनुमोदन की प्रक्रिया में विलंब एवं आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 5054-04-337-0311-नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,931.81	568.19	307.59	(-)260.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,931.81 लाख की कमी स्थल संशोधन प्रस्ताव के लंबित होने एवं आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 5054-04-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)13,465.79	4,534.21	14,602.11	(+)10,067.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,465.79 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(7) 5054-04-337-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)8,793.36	3,206.64	9,918.57	(+)6,711.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,793.36 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	63,83,04		
पूरक	8,67,05	72,50,09	50,71,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)21,78,17 21,69,41
प्रभारित—			
मूल	40		
पूरक	..	40	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)40 40
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	35,00		
पूरक	..	35,00	6,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)28,58 28,58
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 7,92,05 हजार सम्मिलित है जिसको जुलाई 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा जनवरी 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 867.05 लाख) एवं मार्च 2025 (सांकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 867.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,178.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 2,169.41 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7639—राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान— मूल	386.00		
पुनर्वि.	(-)214.01	171.99	168.98
			(-)3.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.01 लाख की कमी उचित शोध प्रस्तावों और अध्ययन प्रस्तावों की कमी के कारण शोधकर्ताओं को भुगतान नहीं होने एवं आयोग की बैठकों के आयोजन नहीं होने के कारण परिवहन में कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 3451-101-3686—राज्य योजना आयोग—			
मूल	769.12		
पुनर्वि.	(-)349.63	419.49	422.47
			(+)2.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 349.63 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, आयोग के अधिकारियों के कम दौरा कार्यक्रम होने, अनुबंध दर अनुमानित दर से कमी होने एवं वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण वाहनों की खरीद नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 3454-02-111-1430—महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन—			
मूल	512.80		
पुनर्वि.	(-)217.06	295.74	295.40
			(-)0.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 217.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, दावे प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 3454-02-201-512—नमूना सर्वेक्षण—			
मूल	281.90		
पुनर्वि.	(-)141.38	140.52	140.12
			(-)0.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 141.38 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, दावे प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 3454-02-205-8048—आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय—			
मूल	4,183.15		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	(-)1,193.90	3,039.25	3,031.26
			(-)7.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,193.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, दावे प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2220—सूचना तथा प्रचार			
4220—सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,42,83,20		
पूरक	30,00,00	4,72,83,20	4,66,16,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)6,66,55 6,60,26
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,04,00		
पूरक	..	1,04,00	88,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)15,20 15,20
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :**दत्तमत—**

(i) ₹ 666.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 660.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2220-01-001-2320-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	15,067.00		
पुनर्वि.	(-)4,146.03	10,920.97	10,918.52
			(-)2.44

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,987.73 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 158.30 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,146.03 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। कुल पुनर्विनियोजन में से, ₹ 215.00 लाख की वृद्धि लंबित देयको के भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2220-01-001-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय—

मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.04	1,199.96	1,199.96
			0.00

अनुदान संख्या 32—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.04 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,000.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2220-60-001-6619-डिजिटल एवं सोशल मीडिया—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-),354.90	2,645.10	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,350.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.90 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,354.90 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2220-60-106-1479-जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना—			
मूल	13,539.30		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	3,767.09	18,806.39	(-),3.68

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,234.00 लाख की वृद्धि लंबित देयको के भुगतान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 466.91 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,767.09 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 2220-60-106-5376-इलेक्ट्रानिक मीडिया से

प्रचार प्रसार—	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मूल	9,000.00		
पुनर्वि.	2,142.88	11,142.88	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,150.00 लाख की वृद्धि लंबित देयको के भुगतान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 7.12 लाख की कमी अनुमान से कम व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,142.88 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	72,76,45,76		
पूरक	..	72,76,45,76	65,43,63,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)7,32,81,84 7,31,55,33
प्रभारित—			
मूल	34,00		
पूरक	..	34,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)34,00 34,00

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	15,63,00		
पूरक	3,00,00	18,63,00	14,46,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)4,16,46 4,17,16
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 73,281.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 73,155.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-2721-प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर—			
मूल	6,286.31		
पुनर्वि.	(-)1,469.47	4,816.84	4,816.60
			(-)0.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,469.47 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालायें— मूल 2,66,024.37 पुनर्वि. (-)27,071.14	2,38,953.23	2,38,918.97	(-)34.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 27,071.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 1,921.14 पुनर्वि. (-)352.59	1,568.55	1,568.62	(+)0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं— मूल 1,62,000.30 पुनर्वि. (-)39,590.06	1,22,410.24	1,22,369.35	(-)40.89
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,508.00 लाख की कमी वेतन मद में व्यय नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 34,082.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं जिलों से निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 39,590.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर— मूल 1,708.54 पुनर्वि. (-)301.77	1,406.77	1,405.68	(-)1.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 301.77 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं निधि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-1117—गुरुकुल विद्यालय— मूल 487.75 पुनर्वि. (-)123.47	364.28	364.78	(+)0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.47 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय— मूल 2,70,237.55 पूरक (-)1,694.44	2,68,543.11	2,68,497.90	(+)45.21
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,900.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,594.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,694.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के साथ अंतिम आधिक्य होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन— मूल 7,108.70 पुनर्वि. (-)1,858.03	5,250.67	5,249.13	(-)1.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,858.03 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 1,503.20 पुनर्वि. (-)500.26	1,002.94	1,003.39	(+)0.45
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.26 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2225-02-001-6130—संचालनालय— मूल 2,055.80 पुनर्वि. (-)412.04	1,643.76	1,642.68	(-)1.08
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 412.04 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 2225-02-102-2604—छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग— मूल 242.70 पुनर्वि. (-)128.39	114.31	114.25	(-)0.06
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.39 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515-101-5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन— मूल 3,286.90 पुनर्वि. (-)847.31	2,439.59	2,436.42	(-)3.17
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 847.31 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 4,711.00 पुनर्वि. 1,265.15	5,976.15	5,976.15	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,265.15 लाख की वृद्धि स्थापना शीर्ष में कम प्रावधान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 342.85 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,265.15 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 33-समाप्त

प्रभारित-

(iv) ₹ 34.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2225-02-001-6130-संचालनालय-

मूल	34.00		
पुनर्वि.	(-)34.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vii) ₹ 416.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 417.16 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4225-02-102-979-क्रीड़ा

परिसर-

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)200.40	99.60	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4225-02-102-6130-संचालनालय-

मूल	32.50		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)168.48	164.02	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.48 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,17,17,16		
पूरक	10,64,50	1,27,81,66	1,08,59,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)19,22,51 19,20,76
प्रभारित—			
मूल	40		
पूरक	..	40	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)40 40
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,59,11		
पूरक	1,84,00	6,43,11	5,46,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)96,68 96,68
टीका एवं टिप्पणी:			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 1,054.50 लाख) एवं दिसम्बर 2024 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,064.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 1,922.51 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 1,920.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2969-बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना-			
मूल	311.65		
पुनर्वि.	(-)171.77	139.88	139.88
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.77 लाख की कमी 34 स्वीकृत पदों में से 19 रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2235-02-001-2322—निर्देशन और प्रशासन— मूल 2,764.60 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)1,096.81	1,677.79	1,677.07	(-)0.72
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 396.81 लाख की कमी 455 स्वीकृत पदों में से 256 रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,096.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(3) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितों हेतु शालाएं तथा संस्थाएं— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा नई योजन के तौर-तरीकों को पूर्ण नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7740—निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)192.50	207.50	207.50	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 92.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं दिव्यांग प्रोत्साहन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 192.50 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-101-79—दृष्टि एवं श्रवण बाधितों हेतु शालाएं तथा संस्थाएं— मूल 1,675.15 पुनर्वि. (-)351.19	1,323.96	1,323.74	(-)0.22
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 301.19 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 351.19 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8662—छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना— मूल 0.10 पूरक 800.00 पुनर्वि. (-)300.10	500.00	500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.10 लाख की कमी वित्त विभाग से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2235-02-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490—निःशक्तजनो के लिए राष्ट्रीय पुर्नवास कार्यक्रम— मूल 232.60 पुनर्वि. (-)96.97	135.63	135.63	0.00

अनुदान संख्या 34—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.97 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-02-200-795—कला पथक—			
मूल	448.90		
पुनर्वि.	(-)119.98	328.92	(-)0.66

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22.50 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 97.48 लाख की कमी 138 स्वीकृत पदों में से 102 रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 119.98 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-200-7864—छत्तीसगढ़ योग आयोग—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	872.50	1,372.50	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 872.50 लाख का आवर्धन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

राजस्व:

प्रभारित—

(v) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5650—जिला निःशक्त			
पुनर्वास केन्द्र—			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,71,10		
पूरक	..	2,71,10	87,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,83,69 1,83,58
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,30		
पूरक	..	4,30	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)4,30 4,30
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 183.69 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 183.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-01-001-2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृद्ध पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये)- मूल 62.30 पुनर्वि. (-)32.66	29.64	29.55	(-)0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32.66 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2235-01-200-4625-स्थायी दायित्व गृह, माना जिला रायपुर का संचालन- मूल 194.80 पुनर्वि. (-)136.92	57.88	57.86	(-)0.02
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.92 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2003-04 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(iii) ₹ 4.30 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,40,07,60		
पूरक	55,80,00	1,95,87,60	1,50,86,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)45,01,00 31,30,28
प्रभारित—			
मूल	1,70,00		
पूरक	..	1,70,00	4,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,65,08 1,47,37
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	11,00,60		
पूरक	13,12,00	24,12,60	10,63,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)13,49,02 7,84,93
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 4,501.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,130.28 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6370—व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म— मूल	(-)504.60 504.60	0.00	(-)504.60

₹ 504.60 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अत्यधिक बचत होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,071.77		
पुनर्वि.	(-)478.46	593.31	593.02
			(-)0.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 478.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2041-001-5379—राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण—			
मूल	197.25		
पुनर्वि.	(-)105.15	92.10	94.89
			(+)2.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय—			
मूल	539.25		
पुनर्वि.	(-)129.54	409.71	278.81
			(-)130.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.54 लाख की कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार—			
मूल	6,069.99		
पूरक	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,197.75	9,872.24	9,872.18
			(-)0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,197.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2041-102-679—एन्फोर्समेंट—			
मूल	2,145.59		
पूरक	580.00		
पुनर्वि.	(-)1,219.28	1,506.31	1,505.02
			(-)1.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,219.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 2070-114-3598—मोटर गैरेज—			
मूल.	1,742.65	1,742.65	1,056.67
			(-)685.98

₹ 685.98 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

राजस्व:

प्रभारित—

(iii) ₹ 165.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 147.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 36—समाप्त

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)147.37	2.63	0.00
		2.63	

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 147.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 760.00 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 100.00 लाख) एवं मार्च 2025 (सांकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,312.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 1,349.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 784.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5055-800-679-एन्फोर्समेंट-			
मूल	605.00		
पूरक	552.00		
पुनर्वि.	(-)699.18	457.82	(-)5.26
		452.56	

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 699.18 लाख की कमी भारत सरकार से राशि सीधे विभाग के बैंक खाते में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 5055-800-3598-मोटर गैरेज-

मूल	400.00			
पूरक.	(-)760.00	1,160.00	601.18	(-)558.82

₹ 558.82 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(3) 5055-800-4280-संग्रह प्रभार-

मूल	69.60			
पुनर्वि.	(-)69.60	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से राशि सीधे विभाग के बैंक खाते में प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	98,19,40		
पूरक	..	98,19,40	58,96,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)39,23,35 39,23,35
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,19,85,00		
पूरक	97,50,00	2,17,35,00	1,25,87,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)91,47,44 91,47,44
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत-

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	5,483.40		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	(-)2,308.35	3,175.05	3,175.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,308.35 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5753-समारोह हेतु अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	250.00	250.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(3) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7068-श्री राम लला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,225.00	2,275.00	2,275.00
			0.00

अनुदान संख्या 37—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,225.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6360—राम वन गमन पथ

निर्माण एवं उन्नयन—

मूल 5,000.00

पुनर्वि. (-)5,000.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6380—सिरपुर एकीकृत

विकास योजना—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)750.00

250.00

250.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 750.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6396—कुदरगढ़ में रोपवे

निर्माण—

मूल 400.00

पुनर्वि. (-)400.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6397—दामाखेड़ा का अधोसंरचनात्मक

विकास—

मूल 1,000.00

पुनर्वि. (-)500.00

500.00

500.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 5452-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6398—पर्यटन प्रोत्साहन योजना—

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)250.00

250.00

250.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6620-एडवेंचर टुरिज्म का विकास कार्य-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7059-शक्तिपीठ परियोजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)375.00	125.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.00 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(8) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7771-पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान-			
मूल	3,100.00		
पूरक	9,750.00		
पुनर्वि.	(-)1,554.44	11,295.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,554.44 लाख की कमी वित्त विभाग से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(9) 5452-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय			
4408—खाद्य, भंडारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भंडारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	30,15,90,88		
पूरक	17,98,53,50	48,14,44,38	45,98,61,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,15,83,28 2,15,63,29
प्रभारित—			
मूल	50		
पूरक	..	50	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)50 50
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	17,58,00		
पूरक	70,00	18,28,00	1,02,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)17,25,63 17,25,63
टीका एवं टिप्पणियां			

(i) ₹ 21,583.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 21,563.29 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—			
मूल	4,335.28		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-)2,204.02	2,136.26	2,125.52
			(-)10.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,204.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2408-01-001-1471—जिला कार्यालय— मूल 3,838.40 पुनर्वि. (-)819.78	3,018.62	3,010.81	(-)7.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 819.78 लाख की कमी स्वीकृति पदों के सापेक्ष वास्तविक वेतन के भुगतान होने, जिला कार्यालय स्तर पर चिकित्सा अग्रिम की आवश्यकता नहीं होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2408-01-001-3537—मुख्यालय— मूल 500.08 पुनर्वि. (-)134.23	365.85	376.16	(+)1.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8919—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण— मूल 387.40 पुनर्वि. (-)357.82	29.58	29.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 357.82 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2408-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7078—उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस) फंड— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2408-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7083—एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन— मूल 5,850.00 पुनर्वि. (-)1,134.50	4,715.50	4,715.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,134.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2408-01-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7078—उपभोक्ता कल्याण अंशदान (कार्पस) फंड— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(8) 2408-01-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7083—एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन— मूल 5,850.00 पुनर्वि. (-)1,134.50	4,715.50	4,715.50	0.00

अनुदान संख्या 39—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,134.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5456—अंत्योदय अन्न योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
इस योजन का विलय मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना में होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(10) 2408-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 4,250.00 पुनर्वि. (-)4,250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(11) 2408-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 4,478.58 पूरक 3,123.00 पुनर्वि. (-)7,601.58	0.00	0.00	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 3,123.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार के पत्र क्रमांक 15-1/20217—bp-ii.. दिनांक के अनुसार, दिसम्बर 2028 तक भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल की लागत का शत-प्रतिशत वहन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2408-01-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 982.88 पूरक 3,989.00 पुनर्वि. (-)4,971.88	0.00	0.00	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 3,989.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,108.47 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 863.41 लाख की कमी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिसम्बर 2028 तक छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सीधे भुगतान होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 3475-106-6112—मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय— मूल 1,047.11 पुनर्वि. (-)303.69	743.42	745.84	(+)2.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.69 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 39—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6401-राईस फोर्टिफिकेशन-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	4,108.47	9,108.47	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,108.47 लाख का आवर्धन बकाया राशि का भुगतान करने एवं चालू वर्ष के लिए धनराशि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2024 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 70.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6408-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6914-सुदूर क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान भंडारण के लिए सहायता-			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान शासन से निधि जारी करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

8545-नाबार्ड सहायता से

गोदाम निर्माण-

मूल

1,500.00

पुनर्वि.

(-)1,500.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान शासन से निधि जारी करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा
 अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय			
4810—गैर-पारंपारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
5275—संचार/अन्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,64,10,75,73		
पूरक	70,03,81,33	3,34,14,57,06	2,83,92,86,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)50,21,70,19 50,28,50,47
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	53,14,19,66		
पूरक	1,63,60,95	54,77,80,61	33,76,26,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)21,01,53,96 20,85,66,84
प्रभारित—			
मूल	1,10,00		
पूरक	..	1,10,00	89,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)20,08 20,08

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 13,69,93 हजार सम्मिलित है जिसको वर्ष के दौरान स्वीकृत, आहरित के साथ ही प्रतिपूरित किया गया।

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 8,00,00 हजार सम्मिलित है जिसको वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा वर्ष 2024-25 के दौरान राशि प्रतिपूरित किया गया।

अनुदान संख्या 41—जारी

राजस्व:
दत्तमत—

(i) ₹ 5,02,170.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 5,02,850.47 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 495-आश्रम और शालाएं— मूल 42,850.62 पुनर्वि. (-)2,367.82	40,482.80	41,309.31	(+)826.51
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49.92 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,317.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,367.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,08,679.43 पुनर्वि. (-)1,005.71	1,07,673.72	1,07,655.63	(-)18.09
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,305.71 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,005.71 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,21,591.18 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)15,313.25	1,06,377.93	1,06,377.68	(-)0.25
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,821.20 लाख की कमी वेतन एवं महंगाई भत्ते के मद में कम व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,492.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 15,313.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 3,294.60 पुनर्वि. (-)1,001.37	2,293.23	2,293.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,001.37 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1394-छात्राओं को गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 2,470.00 पुनर्वि. (-)513.01	1,956.99	1,956.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 513.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3673-राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,054.65	3,945.35	3,945.35	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,054.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 4,727.80 पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)553.55	4,224.25	4,234.13	(+)9.88
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 553.55 लाख की कमी जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 12,225.10 पुनर्वि. (-)2,470.67	9,754.43	10,327.86	(+)573.43
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,470.67 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(9) 2202-01-796-109-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 4,075.10 पुनर्वि. (-)823.63	3,251.47	3,442.62	(+)191.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 823.63 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(10) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6615-प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण— मूल 10,399.07 पुनर्वि. (-)491.77	9,907.30	9,907.30	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 491.77 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2202-01-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7979-समग्र शिक्षा-			
मूल	23,940.00		
पुनर्वि.	(-)11,341.89	12,598.11	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,341.89 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2202-01-796-113-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7979-समग्र शिक्षा-			
मूल	15,960.00		
पुनर्वि.	(-)4,740.15	11,219.85	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,821.20 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,561.35 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,740.15 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय-			
मूल	2,196.40		
पुनर्वि.	(-)201.35	1,995.05	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 201.35 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(14) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,73,556.50		
पूरक	64.00		
पुनर्वि.	(-)13,517.25	1,60,103.25	(-)21.42

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,266.30 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,250.95 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 13,517.25 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(15) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 761-कन्या शिक्षा परिसर-			
मूल	2,956.60		
पुनर्वि.	(-)243.63	2,712.97	(-)0.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.63 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1395-छात्रावास-			
मूल	36,612.00		
पूरक	78.00		
पुनर्वि.	(-)953.72	35,736.28	(+)573.92

अनुदान संख्या 41—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 78.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 953.72 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7363-युवा करियर निर्माण योजना— मूल 1,158.70 पुनर्वि. (-)917.22	241.48	533.44	(+)291.96

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 917.22 लाख की कमी के प्रयाप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017—18 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)373.77	2,026.23	2,026.23	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 373.77 लाख की कमी निधि की कम मांग होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(19) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6664-पी.एम. श्री योजना— मूल 684.00 पुनर्वि. (-)253.79	430.21	430.21	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.79 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्राश के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना— पुनर्वि. 573.43	573.43	0.00	(-)573.43
---	--------	------	-----------

₹ 573.43 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(21) 2202-02-796-109-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, {अनुच्छेद-275(i)}— मूल 6,100.00 पुनर्वि. (-)6,100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अपर्याप्त राशि जारी होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2202-02-796-113-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 10,260.00 पुनर्वि. (-)5,428.72	4,831.28	4,831.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,428.72 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(23) 2202-02-796-113-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 6,840.00 पुनर्वि. (-)1,652.93	5,187.07	5,187.07	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,966.30 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,619.23 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,652.93 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(24) 2202-03-796-001-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 528.00 पूरक सांकेतिक (₹ 400) पुनर्वि. (-)473.59	54.41	54.41	(-)3.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 473.59 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(25) 2202-03-796-001-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 352.00 पुनर्वि. (-)317.25	34.75	32.74	(-)2.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 317.25 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2202-03-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7290—बस्तर विश्वविद्यालय— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)300.00	700.00	700.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(27) 2202-03-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 17,383.40 पुनर्वि. (-)2,967.38	14,416.02	14,401.19	(-)14.83

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,967.38 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2203—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7445—सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 650.00 पुनर्वि. (-)227.50	422.50	422.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 227.50 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(29) 2203—796—105—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पालिटेक्निक संस्थाएं— मूल 5,716.23 पूरक 556.43 पुनर्वि. (-)556.87	5,715.79	5,737.49	(+)21.70
--	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 556.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2203—796—112—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 2,024.70 पुनर्वि. (-)546.88	1,477.82	1,478.58	(+)0.76
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 546.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2203—796—112—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7101—सी.जी.आई.टी. की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(32) 2205—796—107—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5377—मुक्ताकाश संग्रहालय— मूल 367.00 पूरक (-)214.70	152.30	152.30	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 214.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(33) 2210—01—796—110—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6385—चिकित्सा विद्यालय संबद्ध अस्पताल— मूल 21,356.50 पुनर्वि. (-)4,638.66	16,717.84	16,718.32	(+)0.48
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,638.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6389—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय— मूल 2,802.30 पुनर्वि. (-)2,598.32	203.98	203.96	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,598.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7397—छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस सर्विसेस योजना— मूल 760.00 पुनर्वि. (-)456.00	304.00	304.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 456.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(36) 2210-01-796-196-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473—जिला अस्पताल— मूल 21,619.64 पूरक 7,207.00 पुनर्वि. (-)3,116.05	25,710.59	25,728.89	(+)18.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,116.05 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(37) 2210-02-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— मूल 1,000.81 पुनर्वि. (-)303.40	697.41	696.07	(-)1.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 303.40 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(38) 2210-02-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 960.00 पुनर्वि. (-)360.00	600.00	600.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.00 लाख की कमी केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(39) 2210-02-796-101-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 640.00 पुनर्वि. (-)240.00	400.00	400.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.00 लाख की कमी केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन-			
मूल	1,258.91		
पूरक	125.89		
पुनर्वि.	(-)633.72	751.08	751.08
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 633.72 लाख की कमी निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	29,148.13		
पुनर्वि.	(-)7,976.73	21,171.40	21,171.40
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,976.73 लाख की कमी निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2210-03-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन-			
मूल	839.27		
पूरक	83.93		
पुनर्वि.	(-)422.48	500.72	500.72
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 422.48 लाख की कमी निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2210-03-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	23,988.42		
पुनर्वि.	(-)8,786.55	15,201.87	15,201.87
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,786.55 लाख की कमी निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	20,916.29		
पूरक	2,786.68		
पुनर्वि.	(-)2,877.53	20,825.44	20,825.76
			(+)0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,877.53 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत
(45) 2210-03-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7154—प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय मेंगा अभियान कार्यक्रम— पूरक 272.00 पुनर्वि. (-)272.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 272.00 लाख की कमी विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(46) 2210-03-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 11,126.57 पुनर्वि. (-)1,371.62	9,754.95	9,794.28	(+)39.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,371.62 लाख की कमी के पर्याप्त कारण के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(47) 2210-03-796-198-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 21,673.21 पूरक 2,782.00 पुनर्वि. (-)3,250.29	21,204.92	21,213.43	(+)8.51
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,250.29 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(48) 2210-04-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5683—जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना— मूल 3,815.70 पुनर्वि. (-)648.36	3,167.34	3,228.83	(+)61.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 648.36 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(49) 2210-05-796-105-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6386—चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 20,240.60 पुनर्वि. (-)7,401.43	12,839.17	12,822.31	(-)16.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,401.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 2210-06-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 1,236.90 पुनर्वि. (-)624.54	612.36	612.28	(-)0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 624.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(51) 2210-06-796-003-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 677.79 पुनर्वि. (-)216.93	460.86	464.67	(+)3.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 2210-06-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4244—मलेरिया— मूल 1,978.31 पुनर्वि. (-)617.68	1,360.63	1,364.31	(+)3.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 617.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(53) 2210-06-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7679—टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2024)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 2210-06-796-101-6694—दुरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाईल मेडिकल यूनिट की स्थापना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(55) 2210-06-796-200-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)665.00	1,235.00	1,235.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 665.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 2210-06-796-200-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7113—शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना— मूल 51,045.40 पूरक 57,000.00 पुनर्वि. (-)30,140.00	77,905.00	77,905.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 30,140.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(57) 2210-06-796-200-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6675—आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना— मूल 6,943.00 पूरक 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,985.00	6,858.00	6,858.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,985.00 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2210-06-796-200-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— मूल 14,174.00 पुनर्वि. (-)10,737.20	3,436.80	3,436.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,737.20 लाख की कमी निधि के आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(59) 2211-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 18,213.28 पुनर्वि. (-)2,102.58	16,110.70	16,106.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,102.58 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(60) 2215-02-796-107-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 9,120.00 पुनर्वि. (-)9,120.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(61) 2215-02-796-107-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 6,080.00 पुनर्वि. (-)6,080.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(62) 2216-03-796-105-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 1,82,400.00 पुनर्वि. (-)81,320.40	1,01,079.60	1,01,079.60	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,466.75 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 65,853.65 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 81,320.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(63) 2216-03-796-105-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7807—प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 1,21,600.00 पुनर्वि. (-)54,213.60	67,386.40	67,386.40	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,311.16 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 43,902.43 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 54,213.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(64) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 1,305.23 पुनर्वि. (-)1,305.23	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(65) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 1,203.70 पुनर्वि. (-)1,203.70	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 589.40 पुनर्वि. (-)589.40	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(67) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना- मूल 11,708.31 पुनर्वि. (-)10,530.42	1,177.89	1,177.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,530.42 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2217-80-796-191-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 1,305.23 पुनर्वि. (-)1,305.23	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(69) 2217-80-796-191-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6654-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 2,046.46 पुनर्वि. (-)2,046.46	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(70) 2217-80-796-191-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7706-अमृत मिशन- मूल 218.30 पुनर्वि. (-)218.30	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(71) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 576.90 पुनर्वि. (-)576.90	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(72) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6654-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 532.03 पुनर्वि. (-)532.03	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(73) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सबके लिये आवास योजना-			
मूल	5,175.00		
पुनर्वि.	(-)4,654.38	520.62	520.62
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,654.38 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के विमुक्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(74) 2217-80-796-192-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-			
मूल	576.90		
पुनर्वि.	(-)576.90	0.00	0.00
			0.00

योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(75) 2217-80-796-192-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6654-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-			
मूल	904.52		
पुनर्वि.	(-)904.52	0.00	0.00
			0.00

योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(76) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-			
मूल	482.20		
पुनर्वि.	(-)482.00	0.00	0.00
			0.00

योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(77) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6654-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट-			
मूल	444.70		
पुनर्वि.	(-)444.70	0.00	0.00
			0.00

योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(78) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सबके लिये आवास योजना- मूल 4,325.54 पुनर्वि. (-)3,890.38	435.16	435.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,890.38 लाख की कमी निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2024-25 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(79) 2217-80-796-193-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 482.20 पुनर्वि. (-)482.20	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(80) 2217-80-796-193-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6654-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट- मूल 756.05 पुनर्वि. (-)756.05	0.00	0.00	0.00
योजना एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा संचालित होने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(81) 2225-02-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)400.00	100.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से निधि विलंब से जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(82) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण- मूल 2,450.00 पुनर्वि. (-)390.55	2,059.45	2,059.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 390.55 लाख की कमी शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(83) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6672-वन अधिकार अधिनियम- मूल 825.04 पुनर्वि. (-)162.49	662.55	82.26	(-)580.29

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.49 लाख की कमी निधि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(84) 2225—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6870—अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)230.00	120.00	120.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 230.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(85) 2225—02—796—102—0602—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त राशियों से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 17,000.00 पुनर्वि. (-)17,000.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(86) 2225—02—796—102—0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग— मूल 1,925.00 पुनर्वि. (-)1,925.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन एवं आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(87) 2225—02—796—277—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7627—व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं— मूल 578.00 पुनर्वि. (-)168.80	409.20	345.90	(-)63.30
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.80 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014—15 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(88) 2230—02—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 918.50 पुनर्वि. (-)315.94	602.56	602.31	(-)0.25
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 315.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(89) 2230-03-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 5,157.33 पूरक 29.60 पुनर्वि. (-)632.28	4,554.65	4,546.89	(-)7.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 632.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(90) 2230-03-796-003-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 520.00 पुनर्वि. (-)360.00	160.00	160.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(91) 2230-03-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7438—स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन— मूल 1,068.35 पुनर्वि. (-)486.87	581.48	580.82	(-)0.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 486.87 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(92) 2230-03-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 950.00 पुनर्वि. (-)950.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(93) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 900.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)900.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(94) 2235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7680—आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक— मूल 1,250.00 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)1,035.46	214.54	214.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,035.46 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त के कारण राज्य निधि का उपयोग नहीं होने एवं मार्च 2025 तक आपूर्ति नहीं किए जाने वाले सामग्रियों के क्रय आदेश का भुगतान नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(95) 2235-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)1,131.78	1,968.22	1,968.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,131.78 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(96) 2235-02-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)— मूल 2,080.31 पुनर्वि. (-)768.16	1,312.15	1,312.15	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 768.16 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(97) 2235-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7048—महतारी वंदन योजना— मूल 1,14,000.00 पूरक 1,86,200.00 पुनर्वि. (-)1,955.34	2,98,244.66	2,98,244.67	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,955.34 लाख की कमी मानव संसाधन की सेवाएं प्राप्त करने के लिए GeM पोर्टल के माध्यम से फर्म चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने एवं 40,000 से अधिक लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(98) 2235-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6641—वन स्टॉप सेन्टर (सखी)— मूल 470.56 पुनर्वि. (-)221.30	249.26	201.89	(-)47.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.30 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिल पारित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(99) 2235-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6642—बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ— मूल 307.80 पुनर्वि. (-)225.57	82.23	4.60	(-)77.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.57 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिल पारित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(100) 2235-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8662-छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना— मूल 0.10 पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)820.10	380.00	380.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 820.10 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(101) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7096-कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम— मूल 4,490.00 पुनर्वि. (-)2,896.15	1,593.85	1,593.86	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,896.15 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं मार्च 2025 तक आपूर्ति नहीं किए जाने वाले सामग्रियों के क्रय आदेश का भुगतान नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(102) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7361-सबला योजना— मूल 1,425.00 पुनर्वि. (-)1,308.32	116.68	116.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,308.32 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कम होने एवं भारत सरकार से अपेक्षित आवंटन निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(103) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 13,300.00 पुनर्वि. (-)1,045.20	12,254.80	12,254.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,045.20 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कम होने एवं भारत सरकार से अपेक्षित आवंटन निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(104) 2236-02-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7361-सबला योजना— मूल 1,425.00 पुनर्वि. (-)1,308.32	116.68	116.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,308.32 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कम होने एवं भारत सरकार से अपेक्षित आवंटन निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(105) 2236-02-796-101-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 13,300.00 पुनर्वि. (-)1,045.20	12,254.80	12,254.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,045.20 लाख की कमी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कम होने एवं भारत सरकार से अपेक्षित आवंटन निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(106) 2401-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7054—कृषक उन्नित योजना— मूल 3,80,000.00 पूरक 76,000.00 पुनर्वि. (-)660.74	4,55,339.26	4,55,339.26	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 660.74 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा एपेक्स बैंक से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(107) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)3,814.16	745.84	745.84	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 3,814.16 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(108) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम— मूल 597.36 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)473.85	123.51	123.51	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 473.85 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(109) 2401-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 3,040.00 पुनर्वि. (-)2,542.77	497.23	497.23	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,542.77 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(110) 2401-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7258-राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम-	मूल 398.24 पुनर्वि. (-)315.90	82.34	82.34
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 315.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है।

(111) 2401-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7264-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना-	मूल 447.00 पुनर्वि. (-)375.09	71.91	71.91
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 375.09 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(112) 2401-796-103-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7264-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना-	मूल 298.00 पुनर्वि. (-)250.06	47.94	47.94
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 250.06 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कृषोन्नत योजना के अंतर्गत नए घटक शीर्ष खोलने के कारण उल्लिखित की गई है।

(113) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6606-भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति-	मूल 915.55 पुनर्वि. (-)894.38	21.17	0.00
			(-)21.17

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 612.25 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 282.13 लाख की कमी योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 894.38 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(114) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,679.00 पुनर्वि. (-)1,986.35	692.65	672.15	(-)20.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,986.35 लाख की कमी द्वितीय मदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(115) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम— मूल 389.03 पुनर्वि. (-)280.10	108.93	109.12	(-)0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.10 लाख की कमी द्वितीय मदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(116) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,327.00 पुनर्वि. (-)734.35	592.65	592.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 734.35 लाख की कमी द्वितीय मदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(117) 2401-796-108-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 844.68 पुनर्वि. (-)247.01	597.67	597.77	(+)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 247.01 लाख की कमी द्वितीय मदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(118) 2401-796-108-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 610.37 पुनर्वि. (-)596.26	14.11	0.00	(-)14.11
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 391.14 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 205.12 लाख की कमी योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 596.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(119) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 1,786.00 पुनर्वि. (-)1,094.87	691.13	677.46	(-)13.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,094.87 लाख की कमी द्वितीय मंदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(120) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7684-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- मूल 885.00 पुनर्वि. (-)292.57	592.43	592.43	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 124.00 लाख की कमी भारत सरकार से जारी निधि के अनुसार व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 168.57 लाख की कमी द्वितीय मंदर स्वीकृति विलंब से मिलने एवं एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 292.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(121) 2401-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन- मूल 720.00 पुनर्वि. (-)693.45	26.55	26.55	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 693.45 लाख की कमी भारत सरकार से नए मद में निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(122) 2401-796-109-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन- मूल 480.00 पुनर्वि. (-)462.30	17.70	17.70	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 462.30 लाख की कमी भारत सरकार से नए मद में निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(123) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- मूल 19,117.00 पुनर्वि. (-)584.92	18,532.08	18,532.08	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.67 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 578.25 लाख की कमी पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर निविदा कार्य पूर्ण होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 584.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(124) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(सामान्य)— मूल 672.00 पुनर्वि. (-)465.32	206.68	150.34	(-)56.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 465.32 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(125) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7258—नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम— मूल 249.60 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)206.20	43.40	43.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.20 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(126) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7684—प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 960.00 पुनर्वि. (-)297.89	662.11	662.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.89 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(127) 2401-796-119-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 3,936.00 पुनर्वि. (-)916.95	3,019.05	2,912.13	(-)106.92
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 916.95 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(128) 2401-796-119-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 448.00 पुनर्वि. (-)206.91	241.09	203.53	(-)37.56

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.91 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(129) 2401-796-119-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन-			
मूल	2,624.00		
पुनर्वि.	(-)611.30	2,012.70	1,941.58
			(-)71.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 611.30 लाख की कमी भारत सरकार से प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(130) 2401-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6353-चिराग योजना-				
मूल	7,000.00			
पुनर्वि.	(-)7,000.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण हेतु प्रस्ताप प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(131) 2402-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-				
मूल	3,374.40			
पुनर्वि.	(-)3,222.76	151.64	151.64	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,222.76 लाख की कमी एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(132) 2402-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-				
मूल	2,249.60			
पुनर्वि.	(-)2,148.51	101.09	101.09	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,148.51 लाख की कमी एस.एन.ए स्पर्श नई तकनीक होने के कारण कई बिलों के अस्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(133) 2403-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन-				
मूल	580.00			
पुनर्वि.	(-)580.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(134) 2403-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन- मूल 370.00 पुनर्वि. (-)370.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 350.00 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(135) 2406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6886-वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिस निर्माण- मूल 510.30 पुनर्वि. (-)254.59	255.71	243.88	(-)11.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.59 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(136) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2536-पर्यावरण वानिकी- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)314.33	685.67	669.35	(-)16.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 314.33 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(137) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार- मूल 13,036.05 पूरक 1,780.00 पुनर्वि. (-)3,461.13	11,354.92	11,420.06	(+)65.14
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 1,780.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,461.13 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(138) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6827-भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य- मूल 5,366.98 पुनर्वि. (-)856.22	4,510.76	4,431.90	(-)78.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 856.22 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(139) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1004-नदी-पट्टी वृक्षारोपण योजना मूल 483.00 पुनर्वि. (-)334.95	148.05	149.39	(+)1.34

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 334.95 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(140) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2533-हरियाली प्रसार योजना- मूल 350.00 पुनर्वि. (-)244.15	105.85	96.32	(-)9.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 244.15 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(141) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4475-सामाजिक वानिकी- मूल 375.00 पुनर्वि. (-)345.58	29.42	29.42	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 345.58 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(142) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6724-बांस वनों का पुनरुद्धार- मूल 3,265.00 पुनर्वि. (-)898.47	2,366.53	2,368.74	(+)2.21
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 898.47 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(143) 2406-01-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 1,000.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(144) 2406-01-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(145) 2406-01-796-105-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(146) 2406-01-796-105-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु वनोपज संघ को अनुदान-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(147) 2406-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6991-हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास-			
मूल	1,450.00		
पुनर्वि.	(-)369.85	1,080.15	1,020.29 (-)59.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 369.85 लाख की कमी मार्च माह में ई-कुबेर सर्वर में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(148) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर-			
मूल	550.80		
पुनर्वि.	(-)534.78	16.02	16.02 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 534.78 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2009-10 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(149) 2406-02-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर-			
मूल	367.20		
पुनर्वि.	(-)352.09	15.11	15.11 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.09 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(150) 2406-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	215.00		
पुनर्वि.	(-)215.00	0.00	0.00 0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(151) 2408-01-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	294.40		
पुनर्वि.	(-)285.75	8.65	8.65
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.75 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई दृष्टिगत हुई थी।			
(152) 2408-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7083-एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन-			
मूल	4,446.00		
पुनर्वि.	(-)1,616.90	2,829.10	2,829.10
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,616.90 लाख की कमी भारत सरकार से जारी निधि अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(153) 2408-01-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7083-एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन-			
मूल	4,446.00		
पुनर्वि.	(-)1,616.90	2,829.10	2,829.10
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,616.90 लाख की कमी भारत सरकार से जारी निधि अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(154) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5456-अंत्योदय अन्न योजना-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)380.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(155) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्तोदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय-			
मूल	40,000.00		
पूरक	45,150.00		
पुनर्वि.	(-)3,416.42	81,733.58	81,733.58
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,416.42 लाख की कमी विभाग से निधि के व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(156) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7894-उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण-			
मूल	3,230.00		
पुनर्वि.	(-)3,230.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधि के व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(157) 2408-01-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 3,403.72 पूरक 2,373.48 पुनर्वि. (-)5,777.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल पर होने वाले व्यय भारत सरकार द्वारा वहन होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(158) 2408-01-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 746.99 पूरक 3,031.64 पुनर्वि. (-)3,778.63	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,122.44 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सीधे निधि हस्तांतरित होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 656.19 लाख की कमी प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल पर होने वाले व्यय भारत सरकार द्वारा वहन होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(159) 2425-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628—कृषक ऋण ब्याजदर युवितकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 11,020.00 पुनर्वि. (-)3,593.23	7,426.77	7,426.77	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 57.73 लाख की कमी बैंक से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,535.50 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि आहरण हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,593.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(160) 2501-06-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 4,615.61 पूरक 7,527.06 पुनर्वि. (-)1,634.22	10,508.45	10,508.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,634.22 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(161) 2501-06-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 3,077.08 पूरक 5,018.04 पुनर्वि. (-)1,090.50	7,004.62	7,004.62	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,090.50 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(162) 2505-60-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	7,600.00		
पुनर्वि.	(-)550.37	7,049.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 550.37 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(163) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	74,347.95		
पुनर्वि.	(-)44,772.31	29,575.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 44,772.31 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्त अनुसार आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(164) 2505-60-796-196-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	20,947.50		
पुनर्वि.	(-)13,319.58	7,627.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,319.58 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्त अनुसार राज्यांश का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(165) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	4,040.28		
पुनर्वि.	(-)675.12	3,365.16	(+)37.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 675.12 लाख की कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(166) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7110-ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,900.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(167) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7694-सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं हेतु अनुदान-			
मूल	760.00		
पुनर्वि.	(-)228.00	532.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(168) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण- मूल 1,710.00 पुनर्वि. (-)408.50	1,301.50	1,301.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.50 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(169) 2810-796-104-0410-विद्युत विकास निधि- 3188-ऊर्जा विकास संस्था को सहायक अनुदान- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)322.00	1,178.00	1,178.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(170) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)349.00	351.00	351.00	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 349.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(171) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान- मूल 7,000.00 पूरक 16,264.00 पुनर्वि. (-)7,505.83	15,758.17	15,758.18	0.00
---	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 107.17 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,613.00 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,505.83 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण के साथ पुनर्विनियोजन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 110-अशासकीय विद्यालयों को अनुदान-(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 3,000.00 पुनर्वि. 497.00	3,497.00	3,497.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 497.00 लाख का आवर्धन स्थापना शीर्ष में कम निधि के आवंटन के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान-			
मूल	7,623.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	2,645.08	10,268.08	10,268.08
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,300.00 लाख की वृद्धि स्थापना शीर्ष में कम निधि के आवंटन से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 654.92 लाख की कमी निधि की मांग कम होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,645.08 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			0.00
(3) 2216-03-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7122-पी.एम. जनमन आवास-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	15,466.75	15,466.75	15,466.75
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,466.75 लाख का आवर्धन इस मद में कम आवंटन से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			0.00
(4) 2216-03-796-103-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश-			
7122-पी.एम. जनमन आवास-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	10,311.17	10,311.17	10,311.17
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,311.17 लाख का आवर्धन इस मद में कम आवंटन से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			0.00
(5) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-			
7161-तिलहन एवं पाम खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन			
पूरक सांकेतिक (₹ 400)			
पुनर्वि.	325.47	325.47	325.47
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 473.85 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 148.38 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 325.47 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			0.00
(6) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-			
7162- राष्ट्रीय खाद्य मिशन			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	1,049.17	1,049.17	1,049.17
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,814.16 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,764.99 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,049.17 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			0.00
(7) 2401-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश-			
7161- तिलहन एवं पाम खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन			
पूरक सांकेतिक (₹ 300)			
पुनर्वि.	216.98	216.98	216.98
			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 315.90 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 98.92 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 216.98 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2401-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7162— राष्ट्रीय खाद्य मिशन पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 1,333.44	1,333.44	699.44	(-)634.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,542.77 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,209.33 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,333.44 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			
(9) 2401-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7163—बीज एवं रोपण पर प्रस्तुति समग्री—कृषि विस्तार आवास बैंक के लिए ऋणों का ब्याज भुगतान— पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. 217.09	217.09	217.09	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 375.09 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 158.00 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 217.09 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			
(10) 2401-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7164—कृषि विस्तार पर प्रस्तुति— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 479.75	479.75	396.00	(-)83.75
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 693.45 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 213.70 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 479.75 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			
(11) 2401-796-109-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7164— कृषि विस्तार पर प्रस्तुति— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 319.83	319.83	264.00	(-)55.83
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 462.30 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 142.47 लाख की कमी फरवरी माह में मूल स्वीकृति प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के नए होने के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 319.83 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			
(12) 2401-796-113-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,690.00 पुनर्वि. 590.44	1,690.00 590.44	2,280.44	0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 607.00 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 16.56 लाख की कमी मूल स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 590.44 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2401-796-113-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,126.00 पुनर्वि. 367.63	1,493.63	2,127.63	(+)634.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 378.70 लाख की वृद्धि नए योजना शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 11.07 लाख की कमी मूल स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 367.63 लाख की आवर्धन उल्लिखित की गई है।			

(14) 2408-01-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 3,800.00 पुनर्वि. 3,122.44	6,922.44	6,922.44	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,122.44 लाख का आवर्धन वर्तमान एवं पिछले वर्ष की लंबित दायकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2025 को समर्पित किया गया। 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 9,087.11 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 2,978.83 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 4,295.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 16,360.95 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 2,10,153.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,08,566.84 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-201-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3491—माध्यमिक शालाये (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 552.00 पुनर्वि. (-)414.21	137.79	137.79	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 414.21 लाख की कमी अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-796-201-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4396—शासकीय प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 552.00 पुनर्वि. (-)372.97	179.03	179.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.97 लाख की कमी अनुमोदन प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4202-01-796-202-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7169—धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान— पूरक 1,800.00 पुनर्वि. (-)1,800.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 4202-01-796-202-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7169—धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान— पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्कूल डेव्हलपमेंट मिशन— मूल 412.50 पुनर्वि. (-)412.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 4202-02-796-104-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7116—नवीन पॉलीटेक्निक की स्थापना (सी.टी..197)— मूल 1,600.02 पुनर्वि. (-)568.02	1,032.00	1,032.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.26 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 554.76 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 568.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(7) 4202-04-796-106-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5377—मुक्ताकाश संग्रहालय— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)437.14	12.86	12.86	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 437.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7081-छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेंस (सिम्स) सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(9) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय- मूल 1,698.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)530.18	1,667.82	1,667.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 530.18 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)255.47	344.53	344.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)351.43	548.57	548.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 351.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- मूल 22,806.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)6,287.02	16,518.98	16,518.98	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,645.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,642.02 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,287.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण एवं पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(13) 4210-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- मूल 1,980.90 पूरक 940.90 पुनर्वि. (-)705.87	2,215.93	2,215.93	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 705.87 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4210-03-796-105-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	1,320.60		
पूरक	627.93		
पुनर्वि.	(-)471.24	1,477.29	1,477.29
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 471.24 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(15) 4215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8908-नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना-			
मूल	354.34		
पुनर्वि.	(-)354.34	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(16) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2715-प्रशासन-			
मूल	460.00		
पुनर्वि.	(-)404.72	55.28	55.15
			(-)0.13

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 404.72 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(17) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6420-गोठानों में नलकूप खनन-			
मूल	380.00		
पुनर्वि.	(-)347.31	32.69	32.69
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 347.31 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(18) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(19) 4215-01-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6383-जल जीवन मिशन योजना-			
मूल	1,70,954.68		
पुनर्वि.	(-)54,030.39	1,16,924.29	1,16,924.29
			0.00

अनुदान संख्या 41—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54,030.39 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्दांश जारी नहीं होने के कारण राज्यांश का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 4217-60-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7103-शहरी निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग जोन का निर्माण— पूरक 7,400.00 पुनर्वि. (-)7,400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4217-60-796-051-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7706-अमृत मिशन— मूल 6,838.10 पुनर्वि. (-)6,331.27	506.83	506.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,331.27 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4217-60-796-051-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7706-अमृत मिशन— मूल 7,247.50 पुनर्वि. (-)6,740.67	506.83	506.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,740.67 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 4225-01-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7119-पी.एम. जनमन योजना— पूरक 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(24) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित— 7626-विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 23,000.00 पुनर्वि. (-)23,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4225-02-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7119—पी.एम. जनमन योजना— पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,147.61	52.39	852.39	(+)800.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,147.61 लाख की कमी के कारण के साथ अंतिम आधिक्य के कारण भी सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(26) 4225-02-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5024—आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4225-02-796-102-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480—आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, {अनुच्छेद-275(i)}— मूल 16,000.00 पुनर्वि. (-)1,493.54	14,506.46	14,506.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,493.54 लाख की कमी भारत सरकार से निधि कम स्वीकृत होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4225-02-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7844—शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 3,515.82 पुनर्वि. (-)2,365.82	1,150.00	1,150.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,365.82 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(29) 4225-02-796-800-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7844—शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय— मूल 881.00 पुनर्वि. (-)47.78	833.22	9.88	(-)833.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 47.78 लाख की कमी के कारण के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(30) 4235-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7094—विभागीय भवनों का निर्माण एवं विद्युत व्यय— मूल 0.13 पूरक 3,500.00 पुनर्वि. (-)983.72	2,516.41	2,540.41	(+)24.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 983.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 4235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण-			
मूल	456.00		
पुनर्वि	(-)456.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.73 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 439.27 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नही होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(32) 4235-02-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण-			
मूल	456.00		
पुनर्वि	(-)456.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(33) 4401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	684.00		
पुनर्वि	(-)684.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान मदर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(34) 4401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	456.00		
पुनर्वि	(-)456.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान मदर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(35) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-सड़के तथा मकान निर्माण कार्य-			
मूल	500.00		
पुनर्वि	(-)193.15	306.85	298.80 (-)8.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.15 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(36) 4415-01-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7988-उद्यानिकी विश्वविद्यालय-			
मूल.	2,000.00	2,000.00	1,428.58 (-)571.42

₹ 571.42 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(37) 4415-01-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9182—इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,154.16	345.84	345.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,154.16 लाख की कमी शासन से जारी निधि के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 4425-796-200-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 460.00 पुनर्वि. (-)460.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(39) 4700-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898-बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 6,010.00 पुनर्वि. (-)5,749.13	260.87	260.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,749.13 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति, भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण नहीं होने एवं वन मुआवजा के प्रकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(40) 4701-08-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)375.82	124.18	124.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.82 लाख की कमी भूमि मुआवजा प्रकरणों का भुगतान नहीं होने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(41) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन— मूल 270.00 पुनर्वि. (-)270.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नए कार्य के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(42) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 30,000.00 पूरक 430.00 पुनर्वि. (-)666.79	29,763.21	29,762.93	(-)0.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.82 लाख की कमी नवीन योजनाओं हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 750.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(44) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5059-एनीकट / स्टॉपडेम का निर्माण- मूल 9,000.00 पूरक 60.00 पुनर्वि. (-)1,407.17	7,652.83	7,652.65	(-)0.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,407.17 लाख की कमी नवीन योजनाओं हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य में विलम्ब होने एवं पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(45) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण- मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)2,602.05	1,397.95	1,397.95	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 530.00 लाख की कमी वन भूमि मुआवजा प्रकरणों को पूर्ण नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,072.05 लाख की कमी नवीन योजनाओं हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्य में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,602.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(46) 4801-02-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7498-पूजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी- मूल 11,400.00 पुनर्वि. (-)11,400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन वितरण कंपनी की प्राप्ति से कराने के निर्णय लेने के कारण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।			
(47) 4801-80-796-004-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6415-प्रधान मंत्री कुसुम योजना- मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।			
(48) 4810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6634-इंदिरा गॉव गंगा योजना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)380.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(49) 4810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7061-सौर सामुदायिक सिंचाई योजना- मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)1,140.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।			
(50) 4810-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान- मूल 31,500.00 पुनर्वि. (-)19,450.00	12,050.00	12,050.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 19,450.00 लाख की कमी विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्ति अनुसार निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(51) 4810-796-101-0410-विद्युत विकास निधि- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(52) 4851-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(53) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निविदा दरों का मानक दरों से कम होने पर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(54) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निविदा दरों का मानक दरों से कम होने पर निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	1,900.00		
पूरक	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)115.93	3,784.07	2,974.62
			(-)809.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(56) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,612.59	287.41	232.55
			(-)54.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	13,680.00		
पुनर्वि.	(-)11,737.25	1,942.75	1,942.75
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,737.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(58) 5054-04-796-337-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	9,120.00		
पुनर्वि.	(-)7,685.12	1,434.88	1,434.88
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,685.12 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(59) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण-			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-)1,140.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41- समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—
 शीर्ष कुल वास्तविक आधिक्य+
 अनुदान व्यय बचत(-)
 (₹ लाख में)

(1) 4210-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 987.00	987.00	987.00	987.00	0.00
---	--------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 987.00 लाख का आवर्धन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के अंतर्गत भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 4210-03-796-105-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 658.00	658.00	658.00	658.00	0.00
--	--------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 658.00 लाख का आवर्धन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के अंतर्गत भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 4700-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वे- मूल 50.00 पुनर्वि. 279.01	279.01	329.01	329.01	0.00
--	--------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 530.00 लाख की वृद्धि सर्वेक्षण कार्यों के लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 250.99 लाख की कमी नवीन कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 279.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 4701-25-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य- मूल 400.00 पुनर्वि. 298.29	298.29	698.29	698.29	0.00
--	--------	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि चालू निविदा कार्यों के भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.71 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 298.29 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(5) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वे- मूल 1,200.00 पुनर्वि. 632.93	632.93	1,832.93	1,828.89	(-)4.04
--	--------	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 750.00 लाख की वृद्धि सर्वेक्षण कार्यों के लम्बित देयकों का भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 117.07 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 632.93 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 42—अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	15,16,65.02		
पूरक	9,20,00.03	24,36,65.05	(-)4,92,10.38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			4,93,84.24
प्रभारित—			
मूल	95.00		
पूरक	..	95.00	(-)95.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			95.00
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 49,210.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 49,384.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण—			
मूल	8,000.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 300)			
पुनर्वि.	(-)5,123.75	2,876.25	2,889.97
			(+)13.72
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,623.75 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,123.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4557—सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)—			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,403.98	1,096.02	1,096.02
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 403.98 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,403.98 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7976-जवाहर सेतु योजना-			
मूल	9,000.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 400)			
पुनर्वि.	(-)300.17	8,699.83	8,750.95 (+)51.12
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि लंबित देयको के भुगतान करने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,000.17 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 300.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 51.12 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।			
(4) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग-			
मूल	7,000.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 200)			
पुनर्वि.	(-)2,414.65	4,585.35	4,607.64 (+)22.29
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,414.65 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,414.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 22.29 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 5054-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7842-आर. आर. पी. फेस-II-			
मूल	12,000.00		
पुनर्वि.	(-)12,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के प्राप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7842-आर. आर. पी. फेस-II-			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(7) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	29,200.00		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	(-)4,362.17	24,837.85	24,907.88 (+)70.03

अनुदान संख्या 42—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.02 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,362.17 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें— मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)3,540.12	5,459.88	5,462.71	(+)2.83

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,040.12 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,540.12 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416-सर्वे— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)225.60	74.40	75.01	(+)0.61
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.60 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4557-सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)— मूल 5,000.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)2,027.14	2,972.86	2,972.86	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 527.14 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,027.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6450-मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)738.17	261.83	261.83	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 538.17 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 738.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7842-आर. आर. पी. फेस-II— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)7,681.00	7,319.00	7,319.00	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,681.00 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 5054-04-796-337-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7842—आर. आर. पी. फेस—II— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)5,121.00	4,879.00	4,879.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख की कमी कम व्यय की आशंका होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,421.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 5,121.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 5054-05-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5041—वृहद सड़कों का सर्वेक्षण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(15) 5054-05-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6485—सड़क सुरक्षा— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)1,300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की कमी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 500.00 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-796-337-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 4,000.00 पुनर्वि. 6,664.47	10,664.47	10,677.75	(+)13.28

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,000.00 लाख की वृद्धि लंबित देयक भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,335.53 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 6,664.47 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 5054-05-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6596—सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्य हेतु सहायता— मूल 13,000.00 पुनर्वि. 500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
--	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,500.00 लाख की वृद्धि एस.सी.ए. के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए लंबित देयक भुगतान किए जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की कमी पुनर्विनियोजन स्वीकृति की देरी से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग से भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 95.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—			
3115—भू अर्जन हेतु			
मुआवजा—			
मूल	95.00		
पुनर्वि.	(-)95.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण विनियाग भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	70,77,67		
पूरक	1,50,00	72,27,67	41,24,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)31,03,53 31,02,06
प्रभारित—			
मूल	30		
पूरक	..	30	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)30 30
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,91,50		
पूरक	3,96,00	5,87,50	5,09,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)77,73 77,73

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,103.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 3,102.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5430—युवा आयोग को

अनुदान—

मूल 150.00

पुनर्वि. (-)60.00

90.00

90.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

7066—छत्तीसगढ़िया क्रिडा प्रोत्साहन योजना—

मूल 2,000.00

पुनर्वि. (-)1,665.00

335.00

335.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,665.00 लाख की कमी अंतिम तिमाही में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7084—युवा रत्न सम्मान योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.20 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 54.80 लाख की कमी योजना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 214.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(4) 2204-103-2323—निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 1,572.05 पुनर्वि. (-)701.25	870.80	869.10	(-)1.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 701.25 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5428—राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)226.28	273.72	273.72	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 126.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 226.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6367—खेल प्राधिकरण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)65.00	35.00	35.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 65.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7296—खेल अकादमी— मूल 528.79 पुनर्वि. (-)224.87	303.92	303.31	(-)0.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.87 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2204-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7777—खेल प्रशिक्षण अकादमी— मूल 536.83 पुनर्वि. (-)103.05	433.78	434.63	(+)0.85
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 43—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3706—राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्था को अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. 99.95	299.95	299.95	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 99.95 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(2) 2204—104—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन— मूल 285.00 पुनर्वि. 79.17	364.17	364.17	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.20 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 16.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79.17 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 0.30 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2023—24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202—03—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7296—खेल अकादमी— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)58.18	16.82	16.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 67.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार वित्तीय स्वीकृति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष —			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	10,37,86,40		
पूरक	37,02	10,38,23,42	8,79,32,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,58,90,70 1,56,74,22
प्रभारित—			
मूल	1,10		
पूरक	..	1,10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,10 1,10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	11,22,50		
पूरक	1,00,00	12,22,50	3,14,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)9,08,06 8,08,06

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 31,30 हजार सम्मिलित है जिसको दिसम्बर 2024 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 0.14 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 37.00 लाख) एवं मार्च 2025 (सांकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया ₹ 37.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 15,890.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 15,674.22 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-03-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6660-राज्य रिसर्च			
फेलोशिप योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-03-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7108—छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 4,353.36 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)3,624.72	728.65	659.71	(-)68.94
---	--------	--------	----------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 0.01 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,624.72 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2202-03-001-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 2,902.24 पुनर्वि. (-)2,442.12	460.12	416.66	(-)43.46
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,442.12 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-03-001-3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय— मूल 1,074.40 पुनर्वि. (-)295.77	751.63	749.02	(-)2.61
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.77 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर मूल 4,300.00 पुनर्वि. (-)1,600.00	2,700.00	2,700.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,600.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(7) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)411.04	1,388.96	1,388.96	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 411.04 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)132.50	467.50	467.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 132.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 76,709.00 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)5,222.83	71,486.17	71,390.55	(-)95.62
--	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,222.83 लाख की कमी चिकित्सा दावे की स्वीकृति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7041—मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. 200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(11) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)972.18	3,827.82	3,827.82	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 972.18 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2202-03-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5672—बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना— मूल 610.00 पुनर्वि. (-)410.00	200.00	200.00	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 410.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 908.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 808.06 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5205-रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर-			
मूल	100.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)3.26	196.74	(-)100.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 100.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं वित्त विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6414-रायगढ़ विश्वविद्यालय-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7238-इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7656-दुर्ग विश्वविद्यालय-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7751-स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना-			
मूल	450.00		
पुनर्वि.	(-)245.01	204.99	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 245.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	90,98,80		
पूरक	..	90,98,80	79,89,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)12,08,99 12,00,19
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	6,07,21,10		
पूरक	1,40,00,00	7,47,21,10	7,08,03,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)39,17,15 39,17,37
प्रभारित—			
मूल	2,00		
पूरक	..	2,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,00 2,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 1,208.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,200.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	4,419.80		
पुनर्वि.	(-)393.99	4,025.81	4,018.82
			(-)6.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 393.99 लाख की कमी कार्यभारित/आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों होने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5707-शाकम्बरी परियोजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)118.02	881.98	881.98
			0.00

अनुदान संख्या 45—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.02 लाख की कमी नई आपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत बीज निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बिल प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई

निर्माण कार्य—

मूल 1,366.60

पुनर्वि. (-)569.58

797.02

798.89

(+)1.87

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 569.58 लाख की कमी कार्यभारित/आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों के होने, महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने एवं सहायता अनुदान के अंतर्गत व्यय नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 3,917.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 3,917.37 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7065-राज्य बांध सुरक्षा संगठन— मूल 850.00 पुनर्वि. (-)850.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की कमी योजना अंतर्गत नए कार्यों हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 150.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

5059-एनिकट / स्टापडेम
का निर्माण—

मूल 15,000.00

पूरक 1,500.00

पुनर्वि. (-)2,528.11

13,971.89

13,972.01

(+)0.12

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 1,500.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि योजना अंतर्गत सर्वेक्षण कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु आवश्यकता होने, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी नई योजनाओं हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 328.11 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,528.11 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

7422-औद्योगिक जल

संरचना निर्माण—

मूल 10,000.00

पुनर्वि. (-)1,695.40

8,304.60

8,304.60

0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की कमी व्यय नहीं होने की संभावना एवं समर्पण द्वारा ₹ 295.40 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,695.40 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क एवं पुल निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन से सम्पूर्ण प्रावधान व्यय की संभावना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(5) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क एवं पुल निर्माण-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन से सम्पूर्ण प्रावधान व्यय की संभावना नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं-			
मूल	33,000.00		
पूरक	12,500.00		
पुनर्वि.	1,766.49	47,266.49	(+)0.10

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,700.00 लाख की वृद्धि निविदा कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान करने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,933.51 लाख की कमी वन क्षतिपूर्ति प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्यों के प्रगति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,766.49 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(vi) वर्ष के दौरान ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2024 को नामें +/जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंतिम शेष नामें +/जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		(₹ लाख में)		
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्यशाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	19,70,00		
पूरक	..	19,70,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		13,21,48	(-)6,48,52 6,48,52
पूंजीगत			
दत्तमत—			
मूल	40,50,00		
पूरक	36,81,00	77,31,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		42,42,27	(-)34,88,73 34,88,73

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5433-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान-			
मूल	1,220.00		
पुनर्वि.	(-)322.00	898.00	898.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.00 लाख की कमी निधि की आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			0.00
(2) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5632-साइन्स सिटी की स्थापना-			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)163.00	387.00	387.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.00 लाख की कमी निधि की आहरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			0.00
(3) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)163.52	36.48	36.48
			0.00

अनुदान संख्या 46—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.52 लाख की कमी व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूजीगत:

दत्तमत—

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5425-600-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)79.12	20.88	20.88	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.00 लाख की कमी वित्तीय वर्ष के दौरान उपकरणों की खरीद में होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 5425-600-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5632— साइन्स सिटी की स्थापना— मूल 3,720.00 पुनर्वि. (-)3,680.06	39.94	40.00	(+)0.06
---	-------	-------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.77 लाख की कमी साइंस सिटी की स्थापना हेतु भूमि की खरीद नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,379.29 लाख की कमी होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,608.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण द्वारा ₹ 3,379.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5425-600-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5632— साइन्स सिटी की स्थापना— मूल 200.00 पूरक 3,681.00 पुनर्वि. 300.44	4,181.44	4,181.38	(-)0.06

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.76 लाख की वृद्धि साइंस सिटी की स्थापना हेतु भूमि क्रय करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.32 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 300.44 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 47—कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	4,06,72,65		
पूरक	12,03,85	4,18,76,50	3,03,71,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,15,05,07 (-)1,15,33,23
प्रभारित—			
मूल	20		
पूरक	..	20	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)20 20
पूंजीगत			
दत्तमत—			
मूल	26,46,62		
पूरक	..	26,46,62	15,24,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11,21,76 11,23,26

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 2,35,85 हजार सम्मिलित है जिसको मार्च 2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 968.00 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 235.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,203.85 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 11,505.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 11,533.23 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	604.86		
पुनर्वि.	(-)189.24	415.62	415.96
			(+)0.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से 189.24 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017—18 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2203-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5637—बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	500.00	500.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से 1,500.00 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2203-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 8,802.53 पुनर्वि. (-)1,049.88	7,752.65	7,818.44	(+)65.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से 1,049.88 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 3,164.30 पूरक 1,103.85 पुनर्वि. (-)331.17	3,936.98	3,935.51	(-)1.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से 331.17 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7101—सी.जी.आई.टी. की स्थापना— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई. आई. आई. टी. की स्थापना— मूल 1,650.00 पुनर्वि. (-)990.00	660.00	660.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 990.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)247.39	252.61	252.61	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से 247.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9147-रोजगार कार्यालय-			
मूल	975.50		
पुनर्वि.	(-)168.75	806.75	(-)0.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 168.75 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण संचालनालय-			
मूल	522.00		
पुनर्वि.	(-)151.49	370.51	(-)2.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.49 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	14,931.50		
पुनर्वि.	(-)2,921.13	12,010.37	(-)33.88
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,921.13 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6627-छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7438-स्टेट स्किल डेव्लपमेंट मिशन-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	480.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	1,260.00		
पुनर्वि.	(-)1,260.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(14) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाइवलीहुड कॉलेज-			
मूल	757.00		
पुनर्वि.	(-)512.00	245.00	0.00

अनुदान संख्या 47—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
15) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(16) 2230-03-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6644-राष्ट्रीय भिक्षुता प्रोन्नति योजना-			
मूल	82.40		
पुनर्वि.	(-)82.40	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण नहीं दिए गए हैं (जुलाई 2025)।

(17) 2230-03-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण नहीं दिए गए हैं (जुलाई 2025)।

(18) 2230-03-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7960-औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	100.00	100.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(19) 2230-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6678-शिक्षित बेरोजगारों को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त होने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) ₹ 1,121.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 1,123.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	2,253.97		
पुनर्वि.	(-)854.75	1,399.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 854.75 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाइवलीहुड कॉलेज-			
मूल	196.50		
पुनर्वि.	(-)196.50	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,85,90		
पूरक	..	2,85,90	1,00,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,85,13
टीका एवं टिप्पणियां			(-)1,85,16
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 185.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 185.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2225-01-102-6800—अनुसूचित जाति आयोग का गठन—			
मूल	235.90		
पुनर्वि.	(-)155.16	80.74	80.77
			(+)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.16 लाख की कमी आयोग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	4,49,35		
पूरक	..	4,49,35	(-)2,47,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,42,90

(31 मार्च 2025)

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) ₹ 247.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 242.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2053-093-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन-			
मूल	449.35		
पुनर्वि.	(-)242.90	206.45	(-)5.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 242.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	19,20,00		
पूरक	..	19,20,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,82,08 5,82,08

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	30,00,00		
पूरक	..	30,00,00	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)29,53,94 29,53,94

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6394—संचालनालय धर्मस्थ तथा अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	230.00		
पुनर्वि.	(-)230.00	0.00	
सम्पूर्ण प्रावधान डी.डी.ओ. कोड का आवंटन नहीं होने एवं रिक्त पदों की भर्ती नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(2) 2250—101—259—अन्य संस्थाओं को अनुदान—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)120.83	79.17	
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.83 लाख की कमी नये मद के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(3) 2250—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5805—मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 285.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	5.00	5.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान शासकीय मंदिरों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5455-राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान-			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	(+)285.00	1,185.00	1,185.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 285.00 लाख का आवर्धन वर्ष 2024 में आयोजित राजिम माघी पुत्री मेला के अधिशेष निधि के भुगतान होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4250-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5805-मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,953.94	46.06	46.06
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,953.94 लाख की कमी नये मद के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय
निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	25,79,28		
पूरक	..	25,79,28	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,42,60 5,42,60

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	1,05,00,11		
पूरक	50,00,00	1,55,00,11	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11 11

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण—			
मूल	473.00		
पुनर्वि.	(-)473.00	0.00	
		0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान गौण खनिजों एवं साधारण रेत के वितरण पर व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,37,49,10		
पूरक	..	3,37,49,10	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		2,76,81,34	(-)60,67,76 42,31,40

पूंजीगत :

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
दत्तमत—			
मूल	82,66,10		
पूरक	68,00	83,34,10	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		45,21,75	(-)38,12,35 19,80,75

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 6,067.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 4,231.40 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय-			
मूल	23,705.00		
पुनर्वि.	(-)3,603.25	20,101.75	
		20,101.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,603.25 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7988-उद्यानिकी विश्वविद्यालय-			
मूल	5,000.00	5,000.00	
		3,188.64	(-)1,811.36
₹ 1,811.36 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।			
(3) 2415-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	4,150.00		
पुनर्वि.	(-)457.50	3,692.50	
		3,692.50	0.00

अनुदान संख्या 54—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 457.50 लाख की कमी शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2415—05—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7434—मत्स्य महाविद्यालय के लिए अनुदान— मूल 400.10 पुनर्वि. (-)90.10	310.00	310.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.10 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 68.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(iv) ₹ 3,812.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 1,980.75 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7988—उद्यानिकी विश्वविद्यालय— मूल. (-)4,030.00	4,030.00	2,200.00	(-)1,830.00

₹ 1,830.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4415—01—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय— मूल 2,800.00 पूरक 68.00 पुनर्वि. (-)1,979.31	888.69	888.69	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,979.31 लाख की कमी शासन से निधि जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4415—04—277—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)100.00	20.00	20.00	0.00
--	-------	-------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4415-05-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7434—मत्स्य महाविद्यालय के लिए अनुदान— मूल. 240.00	240.00	0.00	(-)240.00

₹ 240.00 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4415-03-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7403—कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय— मूल 566.00 पुनर्वि. (-)98.56	664.56	664.56	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.44 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 98.56 लाख का आवर्धन है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 4415-06-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6603—वानिकी महाविद्यालय— मूल. 500.00	500.00	748.50	(+)248.50
--	--------	--------	-----------

₹ 248.50 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	28,40,80,44		
पूरक	24,55,23,91	52,96,04,35	50,11,36,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,84,67,54 2,84,77,13
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(+)4,90 ..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	46,71,43		
पूरक	15,00,00	61,71,43	17,40,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)44,31,02 44,07,02
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 28,467.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 28,477.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	3,681.51		
पुनर्वि.	(-)1,368.68	2,312.83	2,313.12
			+0.29
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,368.68 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7092—राज्य/क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र—			
मूल	359.00		
पुनर्वि.	(-)170.71	188.29	188.21
			0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 160.71 लाख की कमी चुनावी आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन होने एवं जी.ई.एम. पोर्टल में निविदा आमंत्रण में के दौरान तकनीकी समस्या होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 170.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7098-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं को मानदेय एवं हितलाभ- मूल 19,600.00 पुनर्वि. (-)357.08	19,242.92	19,243.42	(+)0.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 357.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7099-छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण योजना- मूल 190.00 पुनर्वि. (-)182.18	7.82	7.82	0.00
---	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 172.18 लाख की कमी शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं जिलों से प्राप्त मांग अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 182.18 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(5) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7303-राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग- मूल 310.00 पुनर्वि. (-)136.00	174.00	174.00	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.00 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार आयोग से प्राप्त मांग अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक- मूल 1,150.00 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)1,022.44	127.56	127.56	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,022.44 लाख की कमी क्रय की गई वस्तुओं का मार्च 2025 तक प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो सका एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण राज्य निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना- मूल 8,241.20 पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)1,948.44	6,542.76	6,664.34	(+)121.58
---	----------	----------	-----------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 250.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,948.44 लाख की कमी के साथ अंतिक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 3,525.00 पुनर्वि. (-)935.24	2,589.76	2,589.77	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 935.24 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7031—चाईल्ड हेल्प लाईन 1098— मूल 1,053.00 पुनर्वि. (-)410.12	642.88	642.89	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 410.12 लाख की कमी केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7071—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पी.ओ.सी.एस.ओ. अधिनियम 2012)— पूरक 330.00 पुनर्वि. (-)330.00	569.27	569.27	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(11) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 5,640.48 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)4,029.97	1,610.51	1,610.52	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,029.97 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 2,300.00 पुनर्वि. (-)573.49	1,726.51	1,726.51	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 573.49 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 3,760.32 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)2,030.62	1,729.70	1,729.70	(-)0.18

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,030.62 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5373-महिला कोष का गठन-			
मूल	2,520.00		
पुनर्वि.	(-)1,512.00	1,008.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,512.00 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(15) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7048-महतारी वंदन योजना-			
मूल	1,50,000.00		
पूरक	2,45,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,460.88	3,92,539.13	(+)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,410.88 लाख की मुख्यतः कमी नए लाभार्थियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होने, मानव संसाधन हटते जी.ई.एम. पोर्टल पर फर्म का पूर्ण रूप नहीं दिये जाना एवं 40,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों की मृत्यु होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,460.88 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7095-महिला संरक्षण से संबंधित अधिनियम एवं कानूनों को क्रियान्वयन-			
मूल	512.18		
पुनर्वि.	(-)199.74	312.44	(+)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.74 लाख की कमी जिलों से सेवा प्रदाताओं के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों संख्या कम होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(17) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7097- महिला एवं बाल विकास विभाग का डिजीटलाइजेशन-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)367.46	132.54	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 367.46 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(18) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7875-शुचिता योजना-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)549.75	150.25	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 549.75 लाख की कमी वस्तु क्रय हेतु कार्य आदेश जारी होने के उपरांत वस्तु प्राप्त नहीं होने के कारण विक्रेता का भुगतान नही किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(19) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग-			
मूल	330.41		
पुनर्वि.	(-)183.89	146.52	(-)0.54

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.89 लाख की कमी स्वीकृत व्यवस्था के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों संख्या कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6641—वन स्टॉप सेन्टर (सखी)— मूल 619.15 पुनर्वि. (-)314.30	304.85	274.49	(-)30.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 314.30 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6642—वन स्टॉप सेन्टर (सखी)— मूल 405.00 पुनर्वि. (-)337.41	67.59	17.50	(-)50.09
--	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 337.41 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6647—शक्ति सदन— मूल 203.59 पुनर्वि. (-)143.29	60.30	34.33	(-)25.97
---	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.29 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2235—02—103—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6648—महिला सशक्तिकरण केन्द्र— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)539.06	60.94	35.93	(-)25.01
--	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 539.06 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(24) 2235—02—103—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6647—शक्ति सदन— मूल 135.73 पुनर्वि. (-)95.53	40.20	22.89	(-)17.31
---	-------	-------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 95.53 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(25) 2235—02—103—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6648—महिला सशक्तिकरण केन्द्र— मूल 400.02 पुनर्वि. (-)359.40	40.62	23.95	(-)16.67
---	-------	-------	----------

अनुदान संख्या 55—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 359.40 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने, एस. एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों की स्वीकृति नहीं होने एवं स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2236-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7096-कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम- मूल 2,936.00 पुनर्वि. (-)2,357.67	578.33	578.31	(-)0.02
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.36 लाख की वृद्धि विभाग द्वारा खाने योग्य खाद्य पदार्थों के नमूना जाँच शुल्क पर व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,361.03 लाख की कमी पूर्व में जारी कार्य आदेश के विरुद्ध मार्च 2025 तक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,357.67 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है।			
(27) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7361-सबला योजना- मूल 1,083.00 पुनर्वि. (-)492.37	590.63	590.63	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.36 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा दर निर्धारित होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 489.01 लाख की कमी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंशिक संचालन होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 492.37 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 17,500.00 पुनर्वि. (-)1,984.28	15,515.72	15,515.73	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,984.28 लाख की कमी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंशिक संचालन होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 2236-02-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7361-सबला योजना- मूल 1,083.00 पुनर्वि. (-)492.37	590.63	590.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 492.37 लाख की कमी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंशिक संचालन होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2236-02-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 17,500.00 पुनर्वि. (-)1,984.28	15,515.72	15,515.73	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,984.28 लाख की कमी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंशिक संचालन होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल. 9,100.10	9,100.10	9,237.10	(+)137.00

₹ 137.00 लाख की आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) ₹ 4,431.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 4,407.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7094—विभागीय भवनों का निर्माण एवं विद्युत व्यय— मूल 600.14 पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,297.04	803.10	779.10	(-)24.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,297.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 4235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 600.10 पुनर्वि. (-)220.46	379.64	379.64	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 220.46 लाख की कमी भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

(3) 4235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7036—पूँजीगत संपत्ति का निर्माण— मूल 1,188.17 पुनर्वि. (-)1,188.17	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से प्रस्ताव के अनुरूप निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 600.10 पुनर्वि. (-)600.10	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7036—पूजीगत संपत्ति का निर्माण— पूरक 786.61 पुनर्वि. (-)786.61	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से प्रस्ताव के अनुरूप निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 4235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6641—वन स्टॉप सेन्टर (सखी)— पूरक 360.00 पुनर्वि. (-)133.96	226.04	226.04	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.96 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श के अंतर्गत भारत सरकार से बिलों का अनुमोदन नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,29,76,94		
पूरक	17,50	1,29,94,44	1,07,46,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)22,47,62 22,37,44

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	87,54,80		
पूरक	20,06,00	1,07,60,80	1,00,55,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)7,05,18 7,05,18

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 17.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,247.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 2,37.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6769—भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना—			
मूल	155.46		
पुनर्वि.	(-)70.12	85.34	85.34
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.12 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 2851-103-931—केन्द्रीय
कार्यालय—

मूल	914.30		
पुनर्वि.	(-)422.52	491.78	491.68
			(-)0.10

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 422.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6193—खादी बोर्ड के परिवार मूलक ईकाइयों को स्थापना हेतु सहायता— मूल 260.00 पुनर्वि. (-)156.00	104.00	104.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(4) 2851—107—3778—रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन— मूल 4,875.90 पुनर्वि. (-)1,321.82	3,554.08	3,543.83	(-)10.25
---	----------	----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,321.82 लाख की कमी रेशम प्रभाग के अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, एक डी.डी.ओ. के अतिरिक्त प्रभार के कारण दावों के निष्पादन में विलंब होने के कारण कम व्यय, संबंधित संस्था से समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं होने, जिला रेशम कार्यालय अंबिकापुर, बिलासपुर, मुगेली एवं गरियाबंद में वाहनों की निलामी के कारण पेट्रोल तेल पर कम व्यय, पोर्टल के रख-रखाव हेतु प्रावधानित बजट से एन.आई.सी. से अतिरिक्त राशि की मांग होने एवं वेबसाइट का विकास नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत :
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6621—सी—मार्ट— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4851—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6769—भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना— मूल 148.00 पुनर्वि. (-)145.83	2.17	2.17	0.00
---	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 145.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	57,00,00		
पूरक	..	57,00,00	7,03,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)49,96,18 49,96,18
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
दत्तमत—			

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—80—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस—II— मूल 3,960.00 पुनर्वि. (-)3,272.70	687.30	687.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,272.70 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 4701—80—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस—II— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)983.48	16.52	16.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 983.48 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4701—80—101—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुनरोद्धार कार्य— मूल 70.00 पुनर्वि. (-)70.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 57-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4702-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6354-बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	12,52,68,73		
पूरक	..	12,52,68,73	10,04,07,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2,48,61,68 2,39,70,03

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	1,80,70,00		
पूरक	..	1,80,70,00	24,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,80,45,25 1,80,45,25

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 24,861.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 23,970.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)291.50	8.50	8.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.50 लाख की कमी जिलाधीशों से निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2245-01-102-2661—पेयजल आपूर्ति— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2245-02-101-2018—नगद दान— मूल 2,540.00 पुनर्वि. (-)2,500.58	39.42	39.42	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,546.77 लाख की कमी कम व्यय होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 953.81 लाख की कमी निधि हेतु मांग कम प्राप्त होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,500.58 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2245-02-102-2661—पेयजल आपूर्ति— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सड़कें— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2245-02-111-7352—शोकरत परिवारों को सहायक अनुदान— मूल 2,550.00 पुनर्वि. (-)1,835.66	714.34	714.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,835.66 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2245-02-112-5607—बाढ़ नियंत्रण— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)190.00	910.00	12.72	(-)897.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.00 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2245-02-113-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)846.83	1,153.17	1,154.13	(+)0.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 846.83 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2245-02-114-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 2,700.00 पुनर्वि. (-)2,472.31	227.69	227.82	(+)0.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,472.31 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2245-02-117-7357—बाढ़ आदि में सहायता— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)686.88	513.12	513.42	(+)0.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 686.88 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2245-02-122-989—क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों का मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2245-05-101-7427—राज्य आपदा मोचन निधि— मूल 53,360.00 पुनर्वि. (-)2,483.93	50,876.07	50,876.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,483.93 लाख की कमी राज्य आपदा राहत कोष की राशि के हस्तांतरण होने एवं देय ब्याज की प्राप्ति में देरी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2245-08-797-6442—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि— मूल 13,340.00 पुनर्वि. (-)374.00	12,966.00	12,966.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 374.00 लाख की कमी राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की राशि हस्तांतरण होने एवं देय ब्याज की प्राप्ति में देरी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2245-80-001-2304—निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 272.93 पुनर्वि. (-)157.60	115.33	115.25	(-)0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 157.60 लाख की कमी निधि की मांग कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2245-80-102-2018-नगद दान— मूल 16,302.00 पुनर्वि. (-)11,502.72	4,799.28	4,799.28	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,565.46 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,937.26 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नही होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,502.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(17) 2245-80-102-6457-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय— मूल 970.00 पुनर्वि. (-)970.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2245-80-102-7408-राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(19) 2245-80-102-7729-डुबने से, खदान धसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत— मूल 11,770.00 पुनर्वि. (-)3,632.99	8,137.01	8,146.64	(+)9.63
---	----------	----------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,081.47 लाख की कमी कम प्रस्ताव प्राप्त होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,551.52 लाख की कमी होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 3,632.99 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 2245-80-103-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)567.60	4,432.40	4,432.40	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 567.60 लाख की कमी राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राहत कोष में निधि के हस्तांतरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(21) 2245-80-800-96-अग्निपीड़ितों को राहत— मूल 3,005.00 पुनर्वि. (-)1,759.34	1,245.66	1,240.66	(-)5.00
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,759.34 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2245-80-800-6488—महामारी/विविध—			
मूल	710.00		
पुनर्वि.	(-)-614.50	95.50	95.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 614.50 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-80-800-747—ओला पीड़ितों को राहत—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)-12,005.16	15,005.16	15,005.19
			(+)-0.03

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,193.70 लाख की वृद्धि ओलावृष्टि पीड़ितों को सहायता अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,188.54 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 12,005.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(iv) अकाल राहत निधि—

1 अप्रैल 2024 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 876.47 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 46.79 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई भी राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 को निधि का अंत शेष ₹ 923.26 लाख (जमा) था।

31 मार्च 2025 को निधि का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण		01 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2025 को अंतशेष
		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
8223					
अकाल	101 निधि लेखा	415.74	2.39	0.00	418.13
राहत	102 निवेश लेखा	460.73	44.40	0.00	505.13
निधि	योग	876.47	46.79	0.00	923.26

निधि के लेन-देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2024-25 के विस्तृत विवरण क्रमांक-21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों में सम्मिलित है।

(v) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के का ज्ञापन पत्र क्रम संख्या 33-3/2021—एन.डी.एम-1 दिनांक 12 जनवरी 2022 के अनुसार 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2021-22 से 2025-26 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

अनुदान संख्या 58—जारी

वर्ष 2024—25 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 58,360.00 लाख में से ₹ 57,240.15 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ, (जिसमें वर्ष 2024—25 के मुख्य शीर्ष 2245—05—101 से स्थानांतरित राज्य आपदा मोचन निधि के लिए केन्द्रांश ₹ 38,080.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 12,720.00 लाख तथा ब्याज के ₹ 76.07 लाख एवं वर्ष 2024—25 में मुख्यशीर्ष 2245—80—103 से स्थानांतरण राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए केन्द्रांश ₹ 3,324.30 लाख एवं राज्यांश ₹ 1,108.10 लाख तथा कोषालय जमा ₹ 1,931.68 लाख था)।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेत्तर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245—दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2024 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 48,992.93 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान लेखा शीर्ष "2245—05—101—7427 राज्य आपदा मोचन निधि से ₹ 57,240.15 लाख की डेबिट करके लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि" में जमा किया गया।

₹ 31,207.50 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2024 को निधि का अंत शेष ₹ 75,025.58 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज आदयी"—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2024—25 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या—21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :
दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4250—101—3819—लघु सिंचाई (कृषि)—

मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4250—101—6457—राज्य आपदा

न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
मूल	12,370.00		
पुनर्वि.	(-)12,370.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4250—101—7408—राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण—			
मूल	5,050.00		
पुनर्वि.	(-)5,033.52	16.48	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,033.52 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	53.00		
पूरक	..	53.00	16.67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)36.33 36.33

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	2,08,00,00		
पूरक	..	2,08,00,00	2,02,80,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,19,05 ..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7282-जिला योजनाओं का सुदृढीकरण-			
मूल	53.00		
पुनर्वि.	(-)36.33	16.67	16.67
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2008-09 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(ii) दत्तमत अनुदान में ₹ 519.05 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7493-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना-			
मूल.	20,800.00	20,800.00	20,280.95
			(-)519.05

₹ 519.05 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई हैं। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जाति उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रमतथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4070—
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4217—
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा
 अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज
6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	83,77,22,36		
पूरक	19,84,15,90	1,03,61,48,26	89,17,36,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)14,44,12,21 14,60,29,42
प्रभारित—			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	18,29,40,87		
पूरक	2,48,24,00	20,77,64,87	13,29,85,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)7,47,79,73 7,47,45,49
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 2,80,61 हजार सम्मिलित है जिसको स्वीकृत एवं आहरित के साथ प्रतिपूरित वर्ष के दौरान किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 1,44,412.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2024 को किया गया ₹ 1,46,029.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना—			
मूल	1,257.80		
पूरक	24.42		
पुनर्वि.	(-)459.75	822.47	842.00
			(+)19.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 459.75 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, एल.टी.सी. का उपयोग नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने, अनुबंध दद होने एवं पात्रता के अनुसार भुगतान नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495—आश्रम एवं शालाएं— मूल 3,281.55 पुनर्वि. (-)994.90	2,286.65	2,287.27	(+)0.62
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 994.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं जिला कार्यालय द्वारा निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3491—माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 20,611.13 पुनर्वि. (-)2,025.01	18,586.12	18,576.51	(-)9.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,025.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2202-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4396—शासकीय प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 30,734.62 पुनर्वि. (-)2,984.69	27,749.93	27,749.51	(-)0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,984.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने, अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं अनुमोदन प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 327—अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्ति— मूल 290.00 पुनर्वि. (-)290.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1394—छात्राओं को गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 780.00 पुनर्वि. (-)162.00	618.00	618.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-01-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 697.20 पुनर्वि. (-)604.12	93.08	93.08	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 604.12 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2202-01-789-112-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6615-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 6,313.95 पुनर्वि. (-)667.20	5,646.75	5,646.75	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 667.20 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-01-789-112-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6615-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 3,665.49 पुनर्वि. (-)297.31	3,368.18	3,368.18	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.31 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 55,215.08 पुनर्वि. (-)11,011.57	44,203.51	44,188.24	(-)15.27
---	-----------	-----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,235.53 लाख की कमी महंगाई भत्ते के मद में कम निधि आवंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,776.04 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,011.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1395-छात्रावास— मूल 12,718.72 पूरक सांकेतिक (₹ 400) पुनर्वि. (-)1,778.82	10,939.90	10,939.27	(-)0.63
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,778.82 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने एवं निधि की उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 2,500.10 पुनर्वि. (-)789.01	1,711.09	1,711.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 789.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6614—छात्रवृत्तियां— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.10 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,391.90 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)4,752.60	47.40	47.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,752.60 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-789-109-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6614—छात्रवृत्तियां— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)644.65	355.35	355.35	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.07 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 572.58 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 644.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-789-113-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 3,240.00 पुनर्वि. (-)237.92	3,002.08	3,002.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 237.92 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2202-03-789-001-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 660.00 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)560.92	99.08	91.84	(-)7.24

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 560.92 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-03-789-001-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 440.00 पुनर्वि. (-)380.68	59.32	54.50	(-)4.82

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.68 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 7,023.90 पुनर्वि. (-)1,664.19	5,359.71	5,352.88	(-)6.83
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,664.19 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(20) 2203-789-105-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2668—पालिटेक्निक संस्थाएं— मूल 1,191.94 पूरक 180.61 पुनर्वि. (-)172.37	1,200.18	1,200.66	(+)0.48
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.37 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर— मूल 622.71 पुनर्वि. (-)171.80	450.91	449.43	(-)1.48
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 171.80 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(22) 2210-02-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 840.00 पुनर्वि. (-)404.50	435.50	435.50	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 404.50 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2210-02-789-101-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 560.00 पुनर्वि. (-)269.67	290.33	290.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 269.67 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 2210-03-789-110-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना— मूल 2,250.16 पूरक 225.02 पुनर्वि. (-)2,366.52	108.66	108.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,366.52 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2210-03-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 15,054.68 पुनर्वि. (-)5,627.68	9,427.00	9,427.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,627.68 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2210-03-789-110-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन— मूल 1,500.11 पूरक 150.01 पुनर्वि. (-)1,577.68	72.44	72.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,577.68 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2210-03-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 12,381.12 पुनर्वि. (-)5,729.24	6,651.88	6,651.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,729.24 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2210-03-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 3,643.05 पूरक 2,151.00 पुनर्वि. (-)635.10	5,158.95	5,166.13	(+)7.18
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 635.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,007.05 पुनर्वि. (-)260.84	1,746.21	1,746.84	(+)0.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(30) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 5,914.80 पूरक 778.00 पुनर्वि. (-)898.52	5,794.28	5,801.03	(+)6.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 898.52 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(31) 2210-05-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8952—आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बिलासपुर— मूल 1,209.21 पुनर्वि. (-)240.02	969.19	980.19	(+)11.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 240.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2210-06-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7679—टी.बी. के रोकथाम हेतु पोषण आहार— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(33) 2210-06-789-200-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)210.00	390.00	390.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2210-06-789-200-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7113—शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना— मूल 16,119.60 पूरक 18,000.00 पुनर्वि. (-)9,521.60	24,598.00	24,598.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,521.60 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(35) 2210-06-789-200-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6675—आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना— मूल 2,192.00 पूरक 600.00 पुनर्वि. (-)627.00	2,165.00	2,165.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 627.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2210-06-789-200-0803—केन्द्र क्षेत्रिय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— मूल 4,476.00 पुनर्वि. (-)3,390.70	1,085.30	1,085.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,390.70 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2215-02-789-107-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 2,880.00 पुनर्वि. (-)2,880.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(38) 2215-02-789-107-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 1,920.00 पुनर्वि. (-)1,920.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 794.61 पुनर्वि. (-)794.61	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.59 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 749.02 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(40) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 732.80 पुनर्वि. (-)732.80	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(41) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 353.70 पुनर्वि. (-)353.70	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 7,127.93 पुनर्वि. (-)5,127.93	2,000.64	2,000.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,127.93 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 2217-80-789-191-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 794.61 पुनर्वि. (-)794.61	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.39 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 764.22 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(44) 2217-80-789-191-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 1,245.87 पुनर्वि. (-)1,245.87	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(45) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 298.27 पुनर्वि. (-)298.27	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.70 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 285.57 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(46) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 275.06 पुनर्वि. (-)275.06	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 2,675.54 पुनर्वि. (-)1,924.58	750.96	750.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,924.58 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(48) 2217-80-789-192-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 298.27 पुनर्वि. (-)298.27	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.47 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 289.80 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(49) 2217-80-789-192-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 467.65 पुनर्वि. (-)467.65	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(50) 2217-80-789-193-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 216.08 पुनर्वि. (-)216.08	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.44 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 199.64 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(51) 2217-80-789-193-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 199.27 पुनर्वि. (-)199.27	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 2217-80-789-193-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,938.27 पुनर्वि. (-)1,394.25	544.02	544.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,394.25 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(53) 2217-80-789-193-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— मूल 216.08 पुनर्वि. (-)216.08	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.96 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 205.12 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(54) 2217-80-789-193-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 338.78 पुनर्वि. (-)338.78	0.00	0.00	(-)0.05
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(55) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण निधि की आहरण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(56) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 2,020.00 पूरक 588.10 पुनर्वि. (-)563.10	2,045.00	2,045.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 563.10 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(57) 2225-01-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 2,020.00 पूरक 588.10 पुनर्वि. (-)563.10	2,045.00	2,045.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 563.10 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(58) 2225-01-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3185- अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)620.00	380.00	380.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 620.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(59) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 1,010.45 पुनर्वि. (-)279.91	730.54	730.54	(-)0.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 279.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(60) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(61) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 300.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(62) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक— मूल 365.00 पूरक सांकेतिक (₹ 200) पुनर्वि. (-)312.40	52.60	52.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 312.40 लाख की कमी केन्द्र सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण राज्यांश का उपयोग नहीं होने एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(63) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 4,084.51 पूरक 60.00 पुनर्वि. (-)1,475.70	2,668.51	2,707.48	(+)38.97
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 60.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,475.70 लाख की कमी के कारण के साथ अंतिम आधिक्य के कारण भी सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(64) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 898.00 पुनर्वि. (-)276.46	621.54	621.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 276.46 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(65) 2235-02-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 597.00 पुनर्वि. (-)182.64	414.36	414.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.64 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के आधार पर राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(66) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7048—महतारी वंदन योजना— मूल 36,000.00 पूरक 58,800.00 पुनर्वि. (-)613.41	94,186.59	94,186.58	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 563.41 लाख की कमी नए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण की शुरुआत नहीं होने, मानव संसाधन की सेवा के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से फर्मों का चयन पुरा नहीं होने एवं लाभार्थियों की मृत्यु होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 613.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(67) 2235-02-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8662—छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना— मूल 0.10 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)380.10	120.00	120.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.10 लाख की कमी योजना के अंतर्गत वित्त विभाग से निधि जारी अनुसार आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(68) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों

के लिए विशेष घटक योजना—
7096-कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम—
मूल 854.00
पुनर्वि. (-)753.48

100.52

100.52

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 753.48 लाख की कमी सामान की आपूर्ति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(69) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—
7361-सबला योजना—
मूल 342.00
पुनर्वि. (-)293.12

48.88

48.88

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.12 लाख की कमी सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि आवंटित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(70) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—
9050-न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम विशेष पोषण
आहार योजना—
मूल 4,200.00
पुनर्वि. (-)330.64

3,869.36

3,869.37

(+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.64 लाख की कमी सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि आवंटित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(71) 2236-02-789-101-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश—
7361-सबला योजना—
मूल 342.00
पुनर्वि. (-)293.12

48.88

48.88

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.12 लाख की कमी सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि आवंटित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(72) 2236-02-789-101-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना—

(अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश—
9050-न्यूनतम आवश्यकता
कार्यक्रम विशेष पोषण
आहार योजना—
मूल 4,200.00
पुनर्वि. (-)330.64

3,869.36

3,869.37

(+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.64 लाख की कमी सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन नहीं होने एवं भारत सरकार से आवश्यकतानुसार निधि आवंटित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(73) 2401-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7054—कृषक उन्नित योजना— मूल 1,20,000.00 पूरक 24,000.00 पुनर्वि. (-)208.66	1,43,791.34	1,43,791.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.66 लाख की कमी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा शीर्ष बैंक से प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(74) 2401-789-102-0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)1,266.68	173.32	173.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,266.68 लाख की कमी योजना अंतर्गत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2401-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 960.00 पुनर्वि. (-)844.45	115.55	115.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 844.45 लाख की कमी योजना अंतर्गत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(76) 2401-789-103-0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)153.62	14.38	14.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.62 लाख की कमी योजना अंतर्गत निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(77) 2401-789-108-0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 343.33 पुनर्वि. (-)333.91	9.42	0.00	(-)9.42
सम्पूर्ण प्रावधान योजना बन्द होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(78) 2401-789-108-0703—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 846.00 पुनर्वि. (-)676.57	169.43	169.43	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 676.57 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(79) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)275.19	204.81	204.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.19 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(80) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 228.89 पुनर्वि. (-)222.61	6.28	0.00	(-)6.28
सम्पूर्ण प्रावधान योजना बन्द होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(81) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 564.00 पुनर्वि. (-)300.64	263.36	148.68	(-)114.68
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 300.64 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(82) 2401-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 270.00 पुनर्वि. (-)270.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा नए शीर्ष के अंतर्गत निधि जारी होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(83) 2401-789-109-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)180.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा नए शीर्ष के अंतर्गत निधि जारी होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(84) 2401-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7797—प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना— मूल 6,533.00 पुनर्वि. (-)1,216.01	5,316.99	5,297.80	(-)19.19
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.67 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,185.34 लाख की कमी पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर निविदा पूर्ण होने एवं निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,216.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(85) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 252.00 पुनर्वि. (-)160.51	91.49	68.83	(-)22.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.51 लाख की कमी भारत सरकार से मूल स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(86) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)231.28	128.72	128.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.28 लाख की कमी भारत सरकार से मूल स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(87) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 1,476.00 पुनर्वि. (-)519.55	956.45	977.24	(+)20.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 519.55 लाख की कमी भारत सरकार से मूल स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(88) 2401-789-119-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 984.00 पुनर्वि. (-)346.37	637.63	651.49	(+)13.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 346.37 लाख की कमी भारत सरकार से मूल स्वीकृति प्राप्त अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2401-789-800-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6353—चिराग योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि का आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2402-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 1,065.60 पुनर्वि. (-)1,022.21	43.39	43.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,022.21 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(91) 2402-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 710.40 पुनर्वि. (-)681.47	28.93	28.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 681.47 लाख की कमी एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(92) 2403-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(93) 2406-01-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2962—बिगड़े वनों का सुधार— मूल 5,586.88 पूरक 220.00 पुनर्वि. (-)2,522.01	3,284.87	3,126.50	(-)158.37

अनुदान संख्या 64—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 220.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,522.01 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(94) 2406-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6724—बांस वनों का पुनरुद्धार— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)273.11	1,326.89	1,347.43	(+)20.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.11 लाख की कमी जेम पोर्टल एवं ई-कुबेर में तकनीकी समस्या होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(95) 2406-02-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर— मूल 413.10 पुनर्वि. (-)397.08	16.02	16.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 397.08 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(96) 2406-02-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 195.95 पुनर्वि. (-)162.06	33.89	33.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.06 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(97) 2406-02-789-110-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 3730—प्रोजेक्ट टाईगर— मूल 275.40 पुनर्वि. (-)260.29	15.11	15.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 260.29 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(98) 2408-01-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7083—एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन— मूल 1,404.00 पुनर्वि. (-)510.60	893.40	893.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 510.60 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(99) 2408-01-789-101-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7083—एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय प्रचालन एवं एफ.पी.एस. डीलर्स को मार्जिन— मूल 1,404.00 पुनर्वि. (-)510.60	893.40	893.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 510.60 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(100) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 1,020.00 पुनर्वि. (-)1,020.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधि आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(101) 2408-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 1,074.86 पूरक 749.52 पुनर्वि. (-)1,824.38	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की लागत भारत सरकार द्वारा वहन होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(102) 2408-01-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 235.89 पूरक 957.36 पुनर्वि. (-)1,193.25	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 986.03 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 207.22 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग को दिसम्बर 2028 तक सीधे भुगतान होने एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की लागत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(103) 2425-789-107-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5628—कृषक ऋण ब्याजदर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 3,480.00 पुनर्वि. (-)1,134.70	2,345.30	2,345.30	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 116.86 लाख की कमी बैंक से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,017.84 लाख की कमी वित्त विभाग से निधि आहरण हेतु कम राशि का अनुमोदन किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,134.70 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(104) 2501-06-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 10,139.40 पुनर्वि. (-)5,995.55	4,143.85	4,143.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,995.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(105) 2501-06-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 6,759.61 पुनर्वि. (-)3,997.04	2,762.57	2,762.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,997.04 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(106) 2505-60-789-196-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)173.80	2,226.20	2,226.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.80 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(107) 2505-60-789-196-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 23,478.30 पुनर्वि. (-)14,152.44	9,325.86	9,325.86	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 14,152.44 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(108) 2505-60-789-196-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 6,615.00 पुनर्वि. (-)4,206.19	2,408.81	2,408.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,206.19 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(109) 2810-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7110—ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप प्रोग्राम— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से निधि आहरण हेतु विभागीय प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(110) 2852-80-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9068—औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान— मूल 2,000.00 पूरक 5,136.00 पुनर्वि. (-)546.36	6,589.64	6,589.64	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 546.36 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा मांग से अधिक प्रावधान प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-113-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 7,560.00 पुनर्वि. (-)932.92	6,627.08	8,588.11	(+)1,961.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 932.92 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(2) 2202-01-789-113-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 5,040.00 पुनर्वि. (-)1,283.90	6,323.90	6,323.90	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,905.87 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 621.97 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,283.90 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(3) 2202-02-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 110—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 1,000.00 पुनर्वि. 385.56	1,385.56	1,385.56	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 445.00 लाख की वृद्धि स्थापना शीर्ष के अंतर्गत कम आवंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 59.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 385.56 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-02-789-113-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 2,160.00 पुनर्वि. 449.16	2,609.96	2,609.96	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 608.65 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 158.69 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 449.96 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(5) 2401-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7162—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 471.16	471.16	471.16	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,266.68 लाख की वृद्धि नए शीर्ष के खुलने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 795.52 लाख की कमी निधि फरवरी 2025 में प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 471.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(6) 2401-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7162—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 598.78	598.78	314.11	(-)284.67
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 844.45 लाख की वृद्धि नए शीर्ष के खुलने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 245.67 लाख की कमी निधि फरवरी 2025 में प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 598.78 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(7) 2401-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7164—कृषि विस्तार पर प्रस्तुति— पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. 177.90	177.90	157.23	(-)20.67
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 270.00 लाख की वृद्धि नए शीर्ष के खुलने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 92.10 लाख की कमी निधि फरवरी 2025 में प्राप्त होने एवं एस.एन.ए. स्पर्श में तकनीकी समस्याओं के कारण बिलों के निरस्तीकरण होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 177.90 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(8) 2401-789-113-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 680.00 पुनर्वि. 261.00	941.00	941.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 280.00 लाख की वृद्धि मूल स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 19.00 लाख की कमी मूल स्वीकृति/निधि के अनुमोदन प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 261.00 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401-789-113-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 455.00 पुनर्वि. 142.33	597.33	882.00	(+)284.67

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.05 लाख की वृद्धि मूल स्वीकृति प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.72 लाख की कमी मूल स्वीकृति/निधि के अनुमोदन प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 142.33 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(10) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6401—राईस फोर्टिफिकेशन— मूल 1,200.00 पुनर्वि. 986.03	2,186.03	2,186.03	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 986.03 लाख का आवर्धन चालू एवं पिछले वर्ष की राशि की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2024 (₹ 209.00 लाख) एवं मार्च 2025 (₹ 24,615.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 24,824.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 74,779.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 74,745.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-03-789-105-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 1,022.40 पूरक 125.40 पुनर्वि. (-)209.80	938.00	938.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.80 लाख की कमी निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4215-01-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6383—जल जीवन मिशन योजना— मूल 53,985.68 पुनर्वि. (-)15,076.73	38,908.95	38,908.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,076.73 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण राज्यांश विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4217-60-789-051-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7103—शहरी निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग जोन का निर्माण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4217-60-789-051-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7706—अमृत मिशन— मूल 4,022.90 पुनर्वि. (-)3,718.80	304.10	304.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,718.80 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4217-60-789-051-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7706—अमृत मिशन— मूल 4,268.50 पुनर्वि. (-)3,964.40	304.10	304.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,964.40 लाख की कमी योजना का कार्यान्वयन एस.एन.ए. स्पर्श मॉडल के माध्यम से होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 4,600.00 पुनर्वि. (-)183.24	4,416.76	4,416.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 183.24 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 4225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 5,700.00 पुनर्वि. (-)5,545.00	155.00	155.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,545.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 4225-01-789-102-0706— केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4250-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 976—आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 1,300.00 पुनर्वि. (-)1,300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 4401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 216.00 पुनर्वि. (-)216.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

सम्पूर्ण प्रावधान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत मूल स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4700-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)975.71	524.29	524.17	(-)0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 975.71 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 4700-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 2,000.00 पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)311.30	3,188.70	3,188.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 311.30 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 4700-10-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)376.75	123.25	123.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 376.75 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 4700-10-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)313.00	187.00	187.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 313.00 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4700-10-789-800-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)313.00	187.00	187.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 313.00 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4700-11-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)431.23	68.77	68.77	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.23 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 4700-11-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)243.45	256.55	256.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.45 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4700-11-789-800-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)243.45	256.55	256.55	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.45 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4700-12-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 510.00 पुनर्वि. (-)261.09	248.91	248.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.09 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने एवं भूमि मुआवजे का प्रकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(22) 4702-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 2,050.00 पुनर्वि. (-)1,026.43	1,023.57	1,023.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,026.43 लाख की कमी वन भूमि मुआवजे का प्रकरण नहीं होने, नई योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059—एनिकट / स्टापडेम का निर्माण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)447.70	2,052.30	2,052.30	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 447.70 लाख की कमी नई योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निविदा प्रक्रिया में देरी तथा पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(24) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)589.65	410.35	410.35	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 589.65 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(25) 4801-02-789-190-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7498—पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)3,600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार योजन का क्रियान्वयन वितरण कंपनी की प्राप्ति से होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4801-80-789-004-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6415—प्रधानमंत्री कुसुम योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4810-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7061—सौर सामुदायिक सिंचाई योजना— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से योजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(28) 4810-789-101-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7693—सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान— मूल 15,800.00 पुनर्वि. (-)9,775.00	6,025.00	6,025.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,775.00 लाख की कमी विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्ति अनुसार निधि जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 4810-789-101-0410-विद्युत विकास निधि- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(30) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 4149-वृहद पुलों का निर्माण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,358.13	641.87	647.01	(+)5.14
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,358.13 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7976-जवाहर सेतु योजना- मूल 310.00 पुनर्वि. (-)310.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(32) 5054-04-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6450-मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)193.00	307.00	307.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.00 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 5054-04-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण- मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)11,651.06	8,348.94	8,376.88	(+)27.94
--	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,600.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,051.06 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,651.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)550.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2023-24 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(35) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)560.92	39.08	23.30	(-)15.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 560.92 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(36) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650—मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)525.43	74.57	53.75	(-)20.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 525.43 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 5054-04-789-337-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 4,320.00 पुनर्वि. (-)3,589.96	730.04	728.25	(-)1.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,589.96 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(38) 5054-04-789-337-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 2,880.00 पुनर्वि. (-)2,349.19	530.81	529.62	(-)1.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,600.00 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(39) 6408-02-789-190-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 64—समाप्त

सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से निधि आहरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-05-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6596-सीजी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्य हेतु सहायता-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	6,600.00	11,600.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,600.00 लाख का आवर्धन एस.सी.ए. कार्य के अंतर्गत स्वीकृति कार्यों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,40,18,06		
पूरक	25,00,00	1,65,18,06	1,55,63,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)9,54,12 9,54,07
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	10		
पूरक	..	10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)10 ..
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	60,30,30		
पूरक	6,50,00	66,80,30	37,28,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)29,51,58 29,51,58
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 954.12 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 954.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई हैं।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-091-4043-विमानन			
संचालनालय—			
मूल	14,006.06		
पूरक	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)953.28	15,552.78	15,552.73
			(-)0.05

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 953.28 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने, मितव्ययी उपायों के अपनाने एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2004-05 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 650.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार-			
मूल	2,620.00		
पूरक	650.00		
पुनर्वि.	(-)-1,047.06	2,222.94	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,047.06 लाख की कमी कोरिया में नए हवाई पट्टियों के निर्माण नहीं होने, कोरबा में कॉमर्शियल एयरपोर्ट विकास कार्य शुरू नहीं होने एवं कोरिया में हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5053-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

4043-विमानन

संचालनालय-

मूल
 3,410.30 | | |

पुनर्वि.
 (-)-1,904.52 | 1,505.78 | 0.00 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,904.52 लाख की कमी वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,78,42,32			
पूरक	2,00,00	2,80,42,32	2,06,43,71	(-)73,98,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				73,98,10

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	27,49,00			
पूरक	..	27,49,00	13,24,94	(-)14,24,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				14,24,06

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 200.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,398.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 7,398.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना—			
मूल	680.50		
पुनर्वि.	(-)518.44	162.06	162.06
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 518.44 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 723.20 पुनर्वि. (-)116.87	606.33	605.72	(-)0.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.87 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 21,500.00 पुनर्वि. (-)3,120.08	18,379.92	18,379.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,120.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6140—छात्र भोजना सहाय योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,275.60	224.40	224.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,275.60 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा करियर विकास योजना— मूल 200.34 पुनर्वि. (-)104.28	96.06	96.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(6) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(7) 2202-02-109-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— राज्यांश— 8050—छात्रवृत्तियां— मूल 340.00 पुनर्वि. (-)340.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(8) 2225-03-102-6749—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग— मूल 196.85 पुनर्वि. (-)140.53	56.32	56.38	(+)0.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.53 लाख की कमी क्षेत्रीय कार्यालयों से निधि का उपयोग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2225-04-277-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5488—छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी का गठन— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)78.88	141.12	88.00	(-)53.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.88 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4225-03-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5096—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 4225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास— मूल 1,004.25 पुनर्वि. (-)1,004.25	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4225-04-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास— मूल 334.75 पुनर्वि. (-)279.65	55.10	55.10	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
3053—नागर विमानन्			
4059—लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	8,48,63,44		
पूरक	10,50,00	8,59,13,44	7,16,27,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-) 1,42,85,61 32,08,32
प्रभारित—			
मूल	1,58,00		
पूरक	..	1,58,00	1,48,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-) 9,45 8,14
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	9,95,78,47		
पूरक	35,91,88	10,31,70,35	3,34,08,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-) 6,97,62,01 6,68,28,39
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 1,050.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 14,285.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 3,208.32 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत भवन—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)624.65	875.35	873.35
			(-)2.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की कमी कम व्यय की अनुमान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 124.65 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 624.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख-रखाव—			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)262.81	987.19	987.19
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी कम व्यय की अनुमान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 62.81 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 262.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—क्रियान्वयन—			
मूल	47,092.30		
पुनर्वि.	(-)940.00	46,152.30	36,559.60
			(-)9,592.70
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 940.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं लंबित बिलों का भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 34,606.29 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 1,800.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना—			
मूल	2,573.40		
पूरक	(-)10.00	2,563.40	1,972.65
			(-)590.75
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 10.00 लाख की कमी कम व्यय की अनुमाद होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2059-80-052-9269—मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन—			
मूल	540.10		
पुनर्वि.	(-)323.69	216.41	216.40
			(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.69 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2059-80-799-1051—स्टॉक—			
मूल	177.00		
पुनर्वि.	(-)177.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2011-12 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2059—80—799—4056—विविध लोक निर्माण पेशगियां— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)140.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 20245 2020—21 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2210—05—105—4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,820.27	179.73	179.72	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,400.00 लाख की कमी कम व्यय की अनुमान होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 420.27 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 420.27 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(9) 2216—80—001—2300—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)448.41	151.59	151.59	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 448.41 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रोराटा विवरण तथा बजट में प्रावधानित प्रोराटा अंश के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 3053—60—102—4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)1,000.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 940.00 लाख की कमी व्यय नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059—01—053—2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)— मूल 1,500.00 पुनर्वि. 775.12	2,275.12	2,275.12	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 324.88 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 775.12 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2059-01-053-6519—योजनाओं के अनुश्रवण व्यवस्था का सुदृढीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. 266.81	2,766.81	2,766.80	(-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 33.19 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 266.81 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(3) 2059-01-053-7479—छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली— मूल 100.00 पुनर्वि. 154.18	254.18	254.18	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 45.82 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 154.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(4) 2216-05-053-4095—विशेष मरम्मतें— मूल 900.00 पुनर्वि. 172.32	1,072.32	1,272.32	(+)200.00
--	----------	----------	-----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 27.68 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 172.32 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2216-05-053-4489—सामान्य मरम्मतें— मूल 2,200.00 पुनर्वि. 476.50	2,676.50	2,653.20	(-)23.30
--	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 23.50 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 476.50 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2216-05-053-6220—लोक निर्माण विभाग— मूल 250.00 पुनर्वि. 186.77	436.77	436.74	(-)0.03
---	--------	--------	---------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.23 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिय में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 186.77 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय को "2059—लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (iii) में दिए गए हैं।

अनुदान संख्या 67—जारी

वर्ष 2024—25 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2024 को नामे (+)/ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2025 को नामे (+)/जमा (-)
2059—लोक निर्माण कार्य—	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-)2,282.95
(ii) भण्डार	(+)1,965.62	0.00	0.00	(+)1,965.62
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+)7,145.80	0.00	18.89	(+)7,129.91
योग	(+)6,828.47	0.00	15.89	(+)6,812.58

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 2,641.88 लाख), दिसम्बर 2024 (₹ 950.00 लाख) एवं मार्च 2025 (सांकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया ₹ 3,591.88 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 69,762.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 66,828.39 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2407—निर्वाचन— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)283.15	166.85	166.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 283.15 लाख की कमी कार्यों की स्वीकृत नहीं होने, प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2449—न्याय प्रशासन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)187.55	12.45	12.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.55 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 2,331.00 पूरक 602.51 पुनर्वि. (-)2,348.95	584.56	561.95	(-)22.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,348.95 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस-			
मूल	168.00		
पुनर्वि.	(-)168.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2956-बिक्री कर-			
मूल	305.00		
पुनर्वि.	(-)305.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3643-राज भवन-			
मूल	152.00		
पुनर्वि.	(-)152.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान किसी भी कार्य की स्वीकृति नहीं होने, प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3843-संभागीय वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य भवन-			
मूल	19,550.00		
पूरक	500.01		
पुनर्वि.	(-)15,205.73	4,844.28	4,844.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,205.73 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4606-स्टाम्प एवं पंजीयन-			
मूल	1,663.00		
पुनर्वि.	(-)1,497.01	165.99	151.78
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी कम व्यय होने की संभावन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,297.01 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,497.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5049-राज्य विधान मण्डल-			
मूल	11,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,453.28	7,546.72	7,546.71
			(-)0.01

अनुदान संख्या 67—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,205.73 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण-			
मूल	975.01		
पुनर्वि.	(-)816.54	158.47	156.45
			(-)2.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 816.54 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होम गार्ड परिसर में निर्माण-			
मूल	657.97		
पुनर्वि.	(-)618.74	39.23	39.23
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 210.00 लाख की कमी कम व्यय होने की संभावन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 408.74 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 618.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,880.17	119.83	119.82
			(-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 850.00 लाख की कमी कम व्यय होने की संभावन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,030.17 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,880.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(14) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7716-क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं-			
मूल	967.96		
पुनर्वि.	(-)962.32	5.64	5.64
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.00 लाख की कमी कम व्यय होने की संभावन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 951.32 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 962.32 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(15) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8040-जेल भवनों का निर्माण-			
मूल	5,255.50		
पुनर्वि.	(-)3,261.11	1,994.39	1,982.73
			(-)11.66

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,261.11 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2008-09 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4059-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 6,000.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)1,298.29	4,701.71	4,587.17	(-)114.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,298.29 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4059-01-051-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 4,000.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)865.53	3,134.47	3,058.11	(-)76.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 865.53 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4202-01-202-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3490—माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण— मूल 9,400.00 पुनर्वि. (-)4,859.69	4,540.31	1,147.18	(-)3,393.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,859.69 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(19) 4202-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 9,875.00 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)7,952.14	1,922.86	1,927.07	(+)4.21
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की कमी कम व्यय होने की संभावना होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 6,902.14 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,952.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 924.00 पूरक 103.00 पुनर्वि. (-)708.46	318.54	320.01	(+)1.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 708.46 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई हैं।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि—			
मूल	1,458.00		
पूरक	1,609.00		
पुनर्वि.	(-)2,400.64	666.36	1,360.71
			(+)694.35

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 1,609.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,400.64 लाख की कमी किसी भी कार्य के स्वीकृति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(22) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7296—खेल अकादमी—			
मूल	10.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)510.00	0.00	0.00
			0.00

यद्यपि सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 500.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण प्रावधान किसी भी कार्य की स्वीकृति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(23) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण— मूलभूत सेवाओं के लिये—			
मूल	1,000.01		
पुनर्वि.	(-)1,000.01	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(24) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—			
मूल	200.01		
पुनर्वि.	(-)200.01	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(25) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)477.86	22.14	22.13
			(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 477.86 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(26) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,824.25	175.75	173.03
			(-)2.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,824.25 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)999.56	0.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 999.56 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 550.00 लाख की कमी व्यय नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 450.00 लाख की कमी प्रशासकीय अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(29) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4095-विशेष मरम्मतें-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(30) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)594.72	5.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 594.72 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(31) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6645-जी.ए.डी. शासकीय क्वार्टर निर्माण-			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	(-)1,250.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(32) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-औ.प्र.स. कार्यालय भवनों का निर्माण-			
मूल	7,506.00		
पुनर्वि.	(-)6,774.90	731.10	(+)1.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,774.90 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(33) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6781-पशुपालन विभाग- भवन-			
मूल	400.10		
पुनर्वि.	(-)355.87	44.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.87 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3321-मत्स्यालय-			
मूल	195.00		
पुनर्वि.	(-)195.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3342-छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली-			
मूल	350.01		
पुनर्वि.	715.16	1,065.17	1,065.17

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयको के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 334.84 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 715.16 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
मूल	1.01		
पुनर्वि.	195.06	196.07	196.07

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 210.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयको के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 14.94 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 195.06 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(3) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय केम्पस का निर्माण-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	1,168.84	2,368.84	2,368.84

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,350.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयको के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 181.16 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,168.84 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।

अनुदान संख्या 68—अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	2,87,57,09			
पूरक	4,74,61	2,92,31,70	39,95,74	(-)2,52,35,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)				2,23,41,45

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 421.00 लाख) एवं दिसम्बर 2024 (₹ 53.61 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 474.61 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 25,235.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 22,341.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)332.25	467.75	467.74	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.25 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना—

3490-माध्यमिक शाला

भवनों का निर्माण—

मूल 8,300.00

पूरक 121.00

पुनर्वि. (-)3,832.36

4,588.64

1,688.63

(-)2,900.01

अनुदान संख्या 68—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया ₹ 121.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,832.36 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5086-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण— मूल 4,925.00 पुनर्वि. (-)4,154.75	770.25	775.79	(+)5.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,154.75 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8071-पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,186.88	13.12	13.11	(-)0.01
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,186.88 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 4202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 521.00 पूरक 300.00 पुनर्वि. (-)811.36	9.64	9.64	0.00
--	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 811.36 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)9,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976-आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 3,200.00 पूरक 53.61 पुनर्वि. (-)2,675.67	577.94	577.93	(-)0.01
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,675.67 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 4250—796—203—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)137.65	242.35	242.34	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.65 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान			
2217—शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत्त—			
मूल	15,57,18,52		
पूरक	15,57,18,52	7,36,25,97	(-)8,20,92,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			8,20,92,55
पूंजीगत:			
दत्तमत्त—			
मूल	5,39,51,00		
पूरक	40,00,00	5,79,51,00	(-)3,61,18,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			3,61,18,58
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत्त—			

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049—60—701—7709—सबके लिए आवास योजना—			
मूल	15,647.38		
पुनर्वि.	(-)2,323.27	13,324.11	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,323.27 लाख की कमी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त दर के अनुसार ऋण की अदायगी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2217—05—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना—			
मूल	140.00		
पुनर्वि.	(-)140.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण योजना बन्द किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217—05—192—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना—			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण योजना बन्द किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-05-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7681—वाटर ए.टी.एम. की स्थापना— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)140.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण योजना बन्द किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6630—रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)8,162.50	1,837.50	1,837.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,162.50 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6631—बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)3,875.00	6,125.00	6,125.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,875.00 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 3,059.64 पुनर्वि. (-)3,059.64	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।			
(8) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 2,821.64 पुनर्वि. (-)2,821.64	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज— मूल 459.02 पुनर्वि. (-)190.43	268.59	268.59	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.43 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 3,529.10 पुनर्वि. (-)2,280.47	1,248.63	1,248.63	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,280.47 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 27,445.95 पुनर्वि. (-)18,773.62	8,672.33	8,672.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,773.62 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 789.07 पुनर्वि. (-)387.20	401.87	401.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 387.20 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6630—रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)8,162.50	1,837.50	1,837.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,162.50 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6631—बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)3,875.00	6,125.00	6,125.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,875.00 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6652—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी / सामुदायिक / सार्वजनिक / एस्पीरेशनल शौचालय— मूल 157.19 पुनर्वि. (-)135.02	22.17	22.17	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.02 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 3,059.64 पुनर्वि. (-)3,059.64	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।			
(17) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 4,797.19 पुनर्वि. (-)4,797.19	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज— मूल 305.89 पुनर्वि. (-)126.83	179.06	179.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.83 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(19) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7706—अमृत मिशन— मूल 2,267.20 पुनर्वि. (-)742.20	1,525.00	1,525.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 742.20 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 526.05 पुनर्वि. (-)258.14	267.91	267.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 1,035.08 पुनर्वि. (-)1,008.74	26.34	26.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,008.74 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट— मूल 954.57 पुनर्वि. (-)954.57	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज— मूल 155.29 पुनर्वि. (-)153.49	1.80	1.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.49 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(24) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 425.00 पुनर्वि. (-)402.24	22.76	22.76	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 402.24 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने से निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 9,285.05 पुनर्वि. (-)6,415.17	2,869.88	2,869.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,415.17 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार आहरण होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(26) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 219.90 पुनर्वि. (-)107.90	112.00	112.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट— मूल 1,035.08 पुनर्वि. (-)1,017.52	17.56	17.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,017.52 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 1,622.90 पुनर्वि. (-)1,622.90	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज— मूल 103.48 पुनर्वि. (-)102.28	1.20	1.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.28 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 523.99 पुनर्वि. (-)493.07	30.92	30.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 493.07 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(31) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेट— मूल 483.24 पुनर्वि. (-)483.24	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 550.00 पुनर्वि. (-)520.54	29.46	29.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 520.54 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 4,700.40 पुनर्वि. (-)3,247.57	1,452.83	1,452.83	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,247.57 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 284.58 पुनर्वि. (-)139.65	144.93	144.93	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.65 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2217-80-193-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 523.99 पुनर्वि. (-)503.38	20.61	20.61	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 503.38 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(36) 2217-80-193-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6654—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट— मूल 821.57 पुनर्वि. (-)821.57	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने से अप्रयुक्त रहा।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 4,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4217-60-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7103—शहरी निकायों में केन्द्रीय पुस्तकालय सह रीडिंग जोन का निर्माण— मूल 5,400.00 पुनर्वि. (-)5,400.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4217-60-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 23,429.60 पुनर्वि. (-)21,706.39	1,723.21	1,723.21	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 21,706.39लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4217-60-051-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7109—प्रधानमंत्री ई बस सेवा— पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)633.00	367.00	367.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 633.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ति अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 4217-60-051-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7706—अमृत मिशन— मूल 24,721.40 पुनर्वि. (-)7,998.19	16,723.21	16,723.21	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,998.19 लाख की कमी योजना का संचालन एस.एन.ए. स्पर्श द्वारा किए जाने के कारण निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 71—इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य संचार सेवायें			
5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत्त—			
मूल	1,84,75,94		
पूरक	1,50,00	1,86,25,94	88,91,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)97,34,68 1,05,71,93
पूंजीगत:			
दत्तमत्त—			
मूल	81,00,01		
पूरक	..	81,00,01	4,78,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)76,22,01 76,22,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत्त

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 (₹ 150.00 लाख), दिसम्बर 2024 (सांकेतिक, ₹ 100) एवं मार्च 2025 (सांकेतिक, ₹ 100) में प्राप्त किया गया ₹ 150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9,734.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 10,571.93 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6413—बिल्ड नेक्स्ट			
परियोजना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	100.00	100.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी डी.डी.ओ. का हस्तांतरण से बजटीय राशि के व्यय हेतु कम समय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3275—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6481—छत्तीसगढ़ सेंटर आफ

जियो इन्फॉरमेटिक्स

परियोजना—

मूल

पुनर्वि.

700.00

(-)700.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7062-पी.एम. वाणी परियोजना- मूल 3,700.00 पुनर्वि. (-)3,700.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नई डी.पी.आर. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7086-पंचायतो में एफ.टी.टी.एच. हेत अनुदान- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान पंचायतों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7087-नवाचार प्रोत्साहन एवं नवीनतम तकनीक- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नई डी.पी.आर. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा, जो प्रक्रियाधीन थी।			
(6) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,653.00	847.00	847.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,653.00 लाख की कमी भुगतान देयताओं के अनुसार निधि आहरित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7612-एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी प्रस्ताव के अनुसार निधि के आहरण के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7752-कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सीलरेटर संस्थान- मूल 960.00 पुनर्वि. (-)960.00	0.00	200.00	(+)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान नई डी.पी.आर. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8955-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना- मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)646.00	554.00	820.00	(+)266.00

अनुदान संख्या 71—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 646.00 लाख की कमी आई.टी./आई.टी.ई.एस. नीति के अंतर्गत विभिन्न सब्सिडी दायित्वों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर-निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6382-सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान एस.टी.पी.आई. भिलाई द्वारा डी.पी.आर. तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 3275-800-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6382-सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान एस.टी.पी.आई. भिलाई द्वारा डी.पी.आर. तैयार नहीं किए जाने के कारण प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7270-ई-जिला परियोजना			
मूल.	850.00	850.00	1,045.00
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			(+)195.00
(2) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7821-जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन			
मूल.	300.00	300.00	376.25
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			(+)76.25

पूंजीगत :
दत्तमत्त-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु-			
मूल	8,100.00		
पुनर्वि.	(-)8,100.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 71—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 478.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,622.00 लाख की कमी उच्च न्यायालय द्वारा परियोजना पर रोक के कारण मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों हेतु निधि का आहरण नहीं होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7861-संचार क्रांति योजना-			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	477.99	478.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 478.00 लाख की वृद्धि भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधि आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी सांकेतिक राशि होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 477.99 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत्त—			
मूल	3,53,01,00		
पूरक	..	3,53,01,00	2,46,97,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,06,03,79 1,05,99,44

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

दत्तमत्त—

(i) ₹ 10,603.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 10,599.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—			
5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,380.29	2,619.71	2,619.71
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,380.29 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य की प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं शहरी निकाय एवं पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(2) 4700-04-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—			
5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)418.61	81.39	81.39
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 418.61 लाख की कमी निविदा कार्य के प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4700-05-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—			
5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)—			
मूल	5,000.00		
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	(-)1,795.48	3,204.52	3,204.52
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,795.48 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य के प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं शहरी निकाय एवं पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-07-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,012.02	1,487.98	1,487.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,012.02 लाख की कमी निविदा कार्य में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 4700-12-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 4700-12-101-0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 4701-01-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(8) 4701-04-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 4701-05-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)211.81	288.19	288.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.81 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4701-06-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)301.09	198.91	198.91	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 301.09 लाख की कमी निविदा कार्यों में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 4701-08-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)344.96	1,155.04	1,155.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.96 लाख की कमी व्यय की संभावना नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 4701-09-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)293.55	6.45	6.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 293.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(13) 4701-15-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)196.80	3.20	0.00	(-)3.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.80 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 4701-28-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(15) 4701-48-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 4702-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)1,266.64	6,733.36	6,729.01	(-)4.35

अनुदान संख्या 75—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,266.64 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य की प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4702-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)– 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)– मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)603.63	396.37	396.37	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 603.63 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, निविदा कार्य की प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत्त—			
मूल	5,75,62,32		
पूरक	5,75,62,32	3,41,14,88	(-)2,34,47,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			2,27,62,91
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
दत्तमत्त—			

(i) ₹ 23,447.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹ 22,762.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
6602-छत्तीसगढ़ रोड			
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट			
(लोन-4)—			
मूल	2,073.30		
पुनर्वि.	(-)2,073.30	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड			
डेवलपमेन्ट सेक्टर			
प्रोजेक्ट, फेज-III—			
मूल	50,000.00		
पुनर्वि.	(-)19,523.93	30,476.07	30,470.04

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की कमी कम व्यय की संभावना होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 17,523.93 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 19,523.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोगिता)—			
6602-छत्तीसगढ़ रोड			
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट			
(लोन-4)—			
मूल	293.00		
पुनर्वि.	(-)293.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)761.67	3,238.33	2,581.53
			(-)656.80

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 761.67 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019-20 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोगना)- 6602-छत्तीसगढ़ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (लोन-4)-				
मूल	446.00			
पुनर्वि.	(-)446.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोगना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II-				
मूल	550.01			
पुनर्वि.	(-)417.76	132.25	132.25	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 417.76 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोगना)- 7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	752.76	952.76	931.06
			(-)21.70

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,247.24 लाख की कमी प्रशासनिक अनुमोदन एवं अन्य विभागीय प्रक्रियाओं में विलम्ब होने एवं कम व्यय होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 752.76 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	14,85,62,22		
पूरक	..	14,85,62,22	10,22,55,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 20225)			(-)4,63,06,32 4,63,29,90
प्रभारित—			
मूल	2.20		
पूरक	..	2.20	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)2.20 2.20
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	3,03,23,90		
पूरक	5,00,00	3,08,23,90	2,79,08,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)29,15,89 29,15,90
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 46,306.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 46,329.90 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 2071-01-800-5499-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—				
मूल	400.00			
पुनर्वि.	(-)134.29	265.71	192.58	(-)73.13
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.29 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(2) 2071-01-800-8676-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—				
मूल	86.00			
पुनर्वि.	(-)12.65	73.35	0.00	(-)73.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।				

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6387—कैंसर संस्थान— मूल 1,746.30 पुनर्वि. (-)421.79	1,324.51	1,324.51	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 421.79 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2021-22 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2210-01-110-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2210-01-110-6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 44,318.00 पुनर्वि. (-)12,468.54	31,849.46	31,834.58	(-)14.88
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,468.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2210-01-110-6389—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय— मूल 7,138.00 पुनर्वि. (-)3,079.50	4,058.50	4,058.51	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,079.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 3,104.15 पुनर्वि. (-)794.50	2,309.65	2,311.44	(+)1.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 794.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार— मूल 594.40 पुनर्वि. (-)223.00	371.40	368.81	(-)2.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 223.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना— मूल 1,316.70 पुनर्वि. (-)215.85	1,100.85	1,105.87	(+)5.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.85 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7511—आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय— मूल 1,004.65 पुनर्वि. (-)253.47	751.18	745.34	(-)5.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.47 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण— मूल 1,496.49 पुनर्वि. (-)390.28	1,106.21	1,103.66	(-)2.55
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.28 लाख की वृद्धि श्रम भुगतान हेतु निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 397.56 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 390.28 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। 2012-13 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन— मूल 527.91 पुनर्वि. (-)101.44	426.47	425.35	(-)1.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.44 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2210-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)— मूल 668.71 पुनर्वि. (-)207.12	461.59	460.11	(-)1.48
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.12 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-04-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 14,464.10 पुनर्वि. (-)2,251.23	12,212.87	12,416.60	(+)203.73
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.28 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,243.95 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं श्रम भुगतान मद में बचत होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,251.23 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2210-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)— मूल 622.21 पुनर्वि. (-)155.16	467.05	468.64	(+)1.59
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2210-05-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 4,006.52 पुनर्वि. (-)622.38	3,384.14	3,381.80	(-)2.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 622.38 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय— मूल 537.70 पुनर्वि. (-)227.91	309.79	309.45	(-)0.34
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि परियोजना प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ सलाहकार हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 247.91 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 227.91 लाख का कमी उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2018-19 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6386—दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 57,456.65 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)21,140.45	36,316.20	36,305.28	(-)10.92
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 21,120.15 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 21,140.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)360.00	440.00	440.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 360.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 3,613.80 पुनर्वि. (-)1,297.32	2,316.48	2,315.91	(-)0.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,297.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(21) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)324.00	396.00	396.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iii) ₹ 2.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2025 को अभ्यर्पित किया गया। 2023-24 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 1,675.00 पुनर्वि. (-)395.21	1,279.79	1,279.80	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 395.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2020-21 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4210-01-110-0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय-			
मूल	18,468.00		
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)7,512.63	11,445.37	11,455.37
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,176.67 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 335.96 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 7,512.63 लाख की कमी के कारण उल्लिखित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	4,306.00	4,306.00	4,306.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,306.00 लाख का आवर्धन एस.एन.ए. स्पर्श के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(2) 4210-01-105-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय-			
पूरक सांकेतिक (₹ 100)			
पुनर्वि.	2,870.67	2,870.67	2,870.67
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,870.67 लाख का आवर्धन एस.एन.ए. स्पर्श के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	39,90,12,22		
पूरक	18,18,29	40,08,30,51	36,37,35,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 20225)			(-)3,70,94,53 3,70,56,72
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	86,50,01		
पूरक	30,00,00	1,16,50,01	1,16,48,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)1,37 1,37
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 20,00 हजार सम्मिलित है जिसको जनवरी 2025 में स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2025 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 1,818.29 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 37,094.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को केवल ₹ 37,056.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 80—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202—01—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 393.00 पूरक 471.89 पुनर्वि. (-)116.77	748.12	747.15	(-)0.97
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 116.77 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2515—01—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2219—नलकूपों का अनुरक्षण— मूल 3,400.00 पुनर्वि. (-)186.97	3,213.03	3,178.28	(-)34.75
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 186.97 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2235—60—198—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 972.00 पुनर्वि. (-)367.93	604.07	604.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 367.93 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2019—20 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2235—60—198—4858—सुखद सहारा योजना— मूल 9,840.00 पुनर्वि. (-)337.01	9,502.99	9,502.99	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 189.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 148.01 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 337.01 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(5) 2235—60—198—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 45,329.40 पुनर्वि. (-)2,581.08	42,748.32	42,748.32	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,190.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 391.08 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,581.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(6) 2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6449—सखी निवास— मूल 2,826.27 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)2,500.21	326.06	326.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,500.21 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)। 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2405—101—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6449—सखी निवास— मूल 1,882.98 पूरक सांकेतिक (₹ 100) पुनर्वि. (-)1,665.61	217.37	217.38	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,665.61 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(8) 2515—196—8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं— मूल 843.75 पुनर्वि. (-)274.07	569.68	569.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.07 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2515—198—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 2,400.00 पूरक 739.50 पुनर्वि. (-)2,264.50	875.00	875.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,264.50 लाख की कमी केंद्र सरकार से शेष निधि जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2515—198—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 1,600.00 पूरक 493.00 पुनर्वि. (-)1,509.67	583.33	583.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,509.67 लाख की कमी केंद्र सरकार से जारी केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश का विमुक्ति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7056—ग्राम पंचायतों को विद्युत शुल्क भुगतान हेतु अनुदान— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 1,500.00 लाख की कमी बिजली बिलों के भुगतान के बाद बचत होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8214—सचिवीय व्यवस्था— मूल 63,090.00 पुनर्वि. (-)13,278.40	49,811.60	49,811.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13,278.40 लाख की कमी दिशा—निर्देशों की अनुपलब्धता के कारण पंचायत सचिवों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2515-198-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 89,400.00 पुनर्वि. (-)674.82	88,725.18	88,728.71	(+)3.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 674.82 लाख की कमी भारत सरकार से निधि जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2515-198-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं— मूल 15,573.50 पुनर्वि. (-)535.31	15,038.19	15,038.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 535.31 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 12,734.00 पुनर्वि. (-)12,734.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7921-मुख्यमंत्री पेंशन योजना— मूल 40,500.00 पुनर्वि. 2,340.45	42,840.45	42,840.45	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,379.00 लाख की वृद्धि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की संभावना होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 38.55 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,340.45 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(2) 2515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7789-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास— मूल 2,000.00 पुनर्वि. 1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन बजट में कम निधि आवंटन होने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 80—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2515—198—8918—विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना—			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	500.00	1,200.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन बजट में कम निधि आवंटन होने के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—			
8991—गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-150.00)	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त होने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—198—1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)—			
8986—मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना—			
मूल	1,500.00		
पूरक	3,000.00		
पुनर्वि.	149.71	4,649.71	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.29 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 149.71 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4215—जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	22,20,13,72		
पूरक	1,30,00,00	22,50,13,72	18,37,62,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)5,12,50,93 5,12,50,93
प्रभारित—			
मूल	1,00,00,00		
पूरक	..	1,00,00,00	1,00,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)		
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	5,25,10,22		
पूरक	2,61,00,00	7,86,10,22	7,55,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11,10,22 11,10,22
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2024 में प्राप्त किया गया ₹ 13,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-191-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	39,722.24		
पुनर्वि.	(-)32,687.13	7,035.11	7,035.12
			(+)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 32,687.13 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-05-191-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 4,880.00 पुनर्वि. (-)4,880.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,570.00 लाख की कमी पिछले तीन वर्षों से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधि प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 302.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2217-05-192-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 12,804.82 पुनर्वि. (-)9,887.12	2,917.70	2,917.71	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,887.12 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2217-05-192-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,680.00 पुनर्वि. (-)1,680.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,579.00 लाख की कमी पिछले तीन वर्षों से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधि प्राप्त नहीं होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 101.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति अनुसार व्यय होने के संयुक्त प्रभाव से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2217-05-193-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 8,872.94 पुनर्वि. (-)6,840.69	2,032.25	2,032.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,840.69 लाख की कमी केन्द्रांश जारी अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217-05-193-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)1,440.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2235-60-191-4858—इंदिरा सहारा योजना— मूल 2,160.00 पुनर्वि. (-)106.58	2,053.42	2,053.43	(+)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.58 लाख की कमी अनुमानित संख्या से कम लाभार्थियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	5,318.10		
पुनर्वि.	(-)266.56	5,051.54	5,051.54
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.56 लाख की कमी अनुमानित संख्या से कम लाभार्थियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2235-60-192-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	2,795.40		
पुनर्वि.	(-)86.80	2,708.60	2,708.60
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.80 लाख की कमी अनुमानित संख्या से कम लाभार्थियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2235-60-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)94.84	105.16	105.16
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.84 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2235-60-193-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	2,502.60		
पुनर्वि.	(-)151.72	2,350.88	2,350.88
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.72 लाख की कमी अनुमानित संख्या से कम लाभार्थियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7611-गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण-			
मूल	288.00		
पुनर्वि.	(-)288.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान लघु खनिजों और साधारण रेत पर व्यय के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7948-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-			
मूल	622.00		
पूरक	6,000.00		
पुनर्वि.	4,578.00	11,200.00	11,200.00
			0.00

अनुदान संख्या 81—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,578.00 लाख का आवर्धन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रिंग-फेंसिंग की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7948-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-			
मूल	357.00		
पूरक	3,500.00		
पुनर्वि.	1,579.00	5,436.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,579.00 लाख का आवर्धन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रिंग-फेंसिंग की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

(3) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7948-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-			
मूल	21.00		
पूरक	3,500.00		
पुनर्वि.	1,343.00	4,864.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,343.00 लाख का आवर्धन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रिंग-फेंसिंग की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित किया गया है।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6623-सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना-			
मूल	3,000.00		
पूरक	13,000.00		
पुनर्वि.	(-)700.00	15,300.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 700.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7958-जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान योजना की कार्ययोजना पूर्ण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशु-पालन			
2405—मछली-पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,25,91,23		
पूरक	9,36,70	4,35,27,93	3,40,90,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)94,37,56 94,39,66

पूंजीगत :

दत्तमत—			
मूल	27,50,01		
पूरक	50,00,00	77,50,01	77,49,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)37 37

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2025 में प्राप्त किया गया ₹ 936.70 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9,437.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को किया गया ₹ 9,439.66 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—60—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना—			
मूल	440.00		
पुनर्वि.	(-)184.00	256.00	256.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2405-796-101-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6449—सखी निवास— मूल 1,442.50 पुनर्वि. (-)1,077.57	364.93	364.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,077.57 लाख की कमी भारत सरकार से व्यय हेतु स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उल्लिखित की गई है। 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2405-796-101-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6449—सखी निवास— मूल 895.00 पुनर्वि. (-)651.71	243.29	243.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 651.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।			
(4) 2515-796-198-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 1,824.00 पूरक 562.02 पुनर्वि. (-)1,797.02	589.00	589.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,797.02 लाख की कमी भारत सरकार से शेष केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2515-796-198-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 1,216.00 पूरक 374.68 पुनर्वि. (-)1,198.01	392.67	392.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,198.01 लाख की कमी भारत सरकार से शेष केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2853-02-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उप-योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 4,218.00 पुनर्वि. (-)4,218.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान लघु खनिजों एवं साधारण रेत पर संवितरण के प्रस्ताव को समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 82—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8991-गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण—			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 8986-मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास—			
मूल	2,500.00		
पूरक	5,000.00		
पुनर्वि.	249.64	7,749.64	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि कम बजट आवंटन होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.36 लाख की कमी होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 249.64 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2025)।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	60,93,52		
पूरक	..	60,93,52	56,14,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)4,78,86 4,78,86

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	1,05,00,11		
पूरक	50,00,00	1,55,00,11	1,55,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2025)			(-)11 11

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2853—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण—			
मूल	381.00		
पुनर्वि.	(-)381.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान उपखनिजों एवं सामान्य रेत के वितरण हेतु निर्धारित समयावधि में स्वीकृति नहीं प्राप्त होने कारण अप्रयुक्त रहा। 2023—24 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

2024-25 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।

(₹ हजार में)

संख्या और अनुदान का नाम	लेखे का मुख्य शीर्ष	अग्रिम से खर्च	अग्रिम की मंजूरी की तारीख	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तारीख
03. पुलिस	2055	37,41,15	26.03.2025	2025-26 में प्रतिपूर्ति किया जाएगा
महा योग		37,41,15	—	—

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 14 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
03. पुलिस राजस्व— दत्तमत	00	3,09,79	(+)3,09,79
06. वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत	00	9,35,51	(+)9,35,51
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व— दत्तमत	54,00	4,77,95	(+)4,23,95
पूंजीगत— दत्तमत	3,21,54,00	1,05,84,85	(-)2,15,69,15
10. वन राजस्व— दत्तमत	10,04,00,00	5,05,58,07	(-)4,98,41,93
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय राजस्व— दत्तमत	20,25,00	16,54,25	(-)3,70,75
पूंजीगत— दत्तमत	1,11,20,04	1,01,20,00	(-)10,00,04
13. कृषि राजस्व— दत्तमत	00	1,16,34	(+)1,16,34
16. मछली पालन राजस्व— दत्तमत	00	43,91	(+)43,91
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व— दत्तमत	00	5,53,34	(+)5,53,34
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व— दत्तमत	16,20,10	1,19,66	(-)15,00,44

परिशिष्ट-II-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
23. जल संसाधन विभाग राजस्व-			
दत्तमत	2,68,41,44	8,80	(-)2,68,32,64
पूँजीगत-			
दत्तमत	2,00	00	(-)2,00
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल पूँजीगत-			
दत्तमत	3,00,00,00	2,62,16,51	(-)37,83,49
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	1,50,00	1,40,53	(-)9,47
पूँजीगत-			
दत्तमत	6,23,14,13	4,27,64,19	(-)1,95,49,94
27. स्कूल शिक्षा राजस्व-			
दत्तमत	00	1,17,88,13	(+)1,17,88,13
28. राज्य विधान मंडल राजस्व-			
दत्तमत	00	3,71	(+)3,71
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन राजस्व-			
दत्तमत	00	3,89,07,40	(+)3,89,07,40
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	00	96.26	(+)96.26
31. योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	00	22	(+)22
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बन्धित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	00	23,92,00	(+)23,92,00
पूँजीगत-			
दत्तमत	00	2	(+)2

परिशिष्ट-II-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
41. अनुसूचित जनजाति उपयोजना राजस्व-			
दत्तमत	16,71,00	46,21,50	(+)29,50,50
पूँजीगत-			
दत्तमत	96,04,54	1,48,16,10	(+)52,11,56
43. खेल और युवक कल्याण राजस्व-			
दत्तमत	00	25,85,39	(+)25,85,39
47. कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग पूँजीगत-			
दत्तमत	00	94,64,00	(+)94,64,00
55. महिला एवं बाल कल्याण से सम्बन्धित व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	00	3,17	(+)3,17
56. ग्रामोद्योग राजस्व-			
दत्तमत	00	33	(+)33
पूँजीगत-			
दत्तमत	19,50	00	(-)19,50
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	7,17,00,00	3,12,07,50	(-)4,04,92,50
पूँजीगत-			
दत्तमत	20,00	00	(-)20,00
60. जिला परियोजनाओं से सम्बन्धित व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	00	53	(+)53
पूँजीगत-			
दत्तमत	00	6,68,97	(+)6,68,97
64. अनुसूचित जाति उपयोजना राजस्व-			
दत्तमत	4,54,00	32,02,63	(+)27,48,63
पूँजीगत-			
दत्तमत	34,00,03	50,68,00	(+)16,67,97

परिशिष्ट-II-समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
67. लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व-			
दत्तमत	71,61,00	30,33,91	(-)41,27,09
पूंजीगत-			
दत्तमत	84,89,27	00	(-)84,89,27
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण राजस्व-			
दत्तमत	00	27,98,47	(+)27,98,47
79. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण पूंजीगत-			
दत्तमत	00	6,04,00	(+)6,04,00
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-			
दत्तमत	70,00,00	3,09,99,24	(+)2,39,99,94
योग-			
राजस्व-			
दत्तमत	21,90,76,54	18,65,59,24	(-)3,25,17,30
प्रभारित	00	00	00
पूंजीगत-			
दत्तमत	15,71,23,51	12,03,06,64	(-)3,68,16,87
प्रभारित	00	00	00
महायोग-			
राजस्व	21,90,76,54	18,65,59,24	(-)3,25,17,30
पूंजीगत	15,71,23,51	12,03,06,64	(-)3,68,16,87

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/chhattisgarh/hi>

